

32<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

32<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट  
32<sup>nd</sup> ANNUAL REPORT  
2020-2021



नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION  
(A Government of India Undertaking)



(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)  
(An ISO 9001: 2015 Certified Company)



14<sup>वीं</sup> मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092  
14<sup>th</sup> Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092  
फोन / Phone: 011- 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 011-22054395  
ई-मेल / E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/website: www.nsfdc.nic.in



## विषय–सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	नोटिस	1
2.	कंपनी–सूचना	2
3.	अध्यक्षीय संदेश	3
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	7
5.	तुलन–पत्र	102
6.	आय और व्यय लेखा	103
7.	नकद प्रवाह विवरण	105
8.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	170
9.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर	181
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	183
11.	पंजीकृत कार्यालय और संपर्क केन्द्र	184





CIN : U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION  
(A Government of India Undertaking)

एनएसएफडीसी/सचि/32वीं वाआबै/279/5504/

23 नवंबर, 2021

## नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 32<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 26.11.2021 (शुक्रवार) को अपराह्न 1:00 बजे सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता कक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6<sup>वीं</sup> मंजिल (ए विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001 में निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए होगी:


### सामान्य कार्य :

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, प्रबंध समिति के उत्तर और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका पर विचार करना, अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर प्रबंध समिति के उत्तर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया।"

कृते निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : दिल्ली  
दिनांक: 23 नवंबर, 2021

  
(अन्नु भोगल)  
उप महाप्रबंधक (वित्त, लेखापरीक्षा,  
एमआईएस व कॉर्पोरेट सेवाएं)

### टिप्पणी:

बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है (परोक्षी फार्म संलग्न है)।

पंजीकृत एवं प्र. का. : 14<sup>वीं</sup> मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092  
Regd. & H.O. : 14<sup>th</sup> Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092  
फोन/Phone: 011- 22054391, 22054392, 22054394 फैक्स/Fax : 22054395, 2205439  
ई-मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in website: www.nsfdc.nic.in

## कंपनी सूचना

### निदेशक मंडल (2020–21)

श्री रजनीश कुमार जैनव  
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक  
(दिनांक 01.01.2021 से)

श्री के. नारायण  
पूर्व अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक  
(दिनांक 01.09.2019 से 01.01.2021 तक)

श्रीमती उपमा श्रीवास्तव  
(दिनांक 21.09.2020 से)

श्री संजय पांडे  
(दिनांक 18.07.2019 से)

श्री एस.एम. आवले  
(दिनांक 04.06.2015 से)

श्री पीयूष श्रीवास्तव  
(दिनांक 23.03.2018 से 29.07.2021 तक)

डॉ. के. रामलिंगम (स्वतंत्र निदेशक)  
(दिनांक 20.03.2019 से)

श्री बी. गणेशन  
(दिनांक 25.03.2021 से)

सुश्री विशाखा सैलानी (स्वतंत्र निदेशक)  
(दिनांक 17.04.2017 से 16.04.2020 तक)

श्री कैजांग छोफेल लामा  
(दिनांक 17.04.2017 से 30.04.2020 तक)

श्री भास्कर पंत  
(दिनांक 23.03.2018 से 15.05.2020 तक)

श्री लाचीराम भुक्था  
(दिनांक 23.03.2018 से 19.08.2020 तक)

### सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स वी. त्रिपाठी एंड कं., सनदी लेखाकार,  
हंसालय, 15, बाराखंबा रोड  
कनॉट प्लेस  
नई दिल्ली –110 001

### बैंकर्स

केनरा बैंक, दिल्ली / मुंबई / बंगलूरु  
भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली / कोलकाता  
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली  
पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली  
इंडियन ओवरसीज बैंक, दिल्ली  
आईडीबीआई, दिल्ली  
बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली  
पंजाब एंड सिंध बैंक, दिल्ली  
कोटक महिंद्रा बैंक, दिल्ली  
इंडियन बैंक, दिल्ली  
एयू स्मॉल फिन. बैंक, दिल्ली  
बंधन बैंक, दिल्ली  
आईडीएफसी बैंक, दिल्ली  
इंडस्ट्रियल बैंक, दिल्ली  
आईसीआईसीआई बैंक, दिल्ली

### पंजीकृत कार्यालय

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2,  
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,  
लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110 092

### कंपनी सचिव

सीए अन्नु भोगल, कंपनी सचिव  
उमप्र (वित्त, लेखापरीक्षा, एमआईएस व कंपनी सचिव)



## 26 नवंबर, 2021 को एनएसएफडीसी की 32<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक पर अध्यक्षीय संदेश

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से मैं निगम की 32<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं इस विशिष्ट अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

आप सभी सदस्यों को दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखें को पहले ही परिचालित कर दिया गया है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा समझूंगा।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु.1500.00 करोड़ थी और प्रदत्त अंश पूंजी रु.1500.00 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को रु.627.27 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए और 94,002 लाभार्थियों को लाभांशित करने हेतु रु.548.23 करोड़ अर्थात् वर्ष 2020–21 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों का 87.47% संवितरित किया।

वर्ष 2020–21 के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने शीर्ष निगमों (आपके निगम सहित) को उनके लक्षित समूहों के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए 'प्रधान मंत्री-दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष)' नामक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। इसके चार घटक हैं अर्थात् (i) 32–80 घंटे की अवधि के साथ अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग, (ii) 80–90 घंटे की अवधि के साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रम, (iii) 200–600 घंटे की अवधि के साथ अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, और (iv) 600–1000 घंटे की अवधि के साथ दीर्घावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुसूचित जातियों के 10,511 व्यक्तियों (पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत 8064 व्यक्ति सहित) को प्रशिक्षित करने के लिए रु.21.18 करोड़ की अनुमानित लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत और कार्यान्वित किए हैं और सैंतीस (37) कौशल प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय कौशल परिषदों को रु.15.99 करोड़ संवितरित किए हैं। जिसमें से 5,215 प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार/वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 69,193 महिला लाभार्थियों को रु.244.37 करोड़ की रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जो कि महिला लाभार्थियों को लाभांशित करने के वित्तीय और भौतिक रूप में 40% मानदंड की तुलना में वर्ष के दौरान कुल संवितरण का 44.57% था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक नई ब्याज सहायता योजना नामतः वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विसवास) योजना को लागू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से, पात्र स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और व्यक्तिगत लाभार्थियों का डेटा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और इसी तरह के वित्तीय संस्थानों द्वारा निगम को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद, 5% की दर से ब्याज सबवेंशन पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

आपके निगम ने वर्ष 2020–21 के दौरान अपनी गतिविधियों को और व्यापक एवं सुदृढ़ करने के लिए विशेष पहल की हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- नवंबर/दिसंबर, 2020 माह के दौरान, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई, द्वारा आयोजित वर्चुअल/डिजिटल हैंडलूम प्रदर्शनी आईएमखादी (IAMKHADI) में भाग लिया, जिसमें एनएसएफडीसी लाभार्थियों ने पहली बार अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रदर्शन किया।
- विभिन्न सीएसआर कोविड-19 राहत पहल के माध्यम से चिकित्सा एवं राशन किट वितरण शिविरों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में निगम की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए 45 जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- दिनांक 14.04.2021 को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर एनएसएफडीसी की योजनाओं पर जागरुकता के लिए एक लघु वीडियो फिल्म जारी की गई।
- एनएसएफडीसी ने एसईसीसी-2011 रिपोर्ट के अनुसार तीन या अधिक वंचन बिंदुओं पर विचार करने का निर्णय लिया है।
- मियादी ऋण योजना में एनएसएफडीसी की सहायता प्रमात्रा को इकाई लागत के 90% से बढ़ाकर 95% तक करना।
- महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई) के नाम से एक नई महिला केंद्रित योजना की शुरुआत।
- स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) नाम से एक नई योजना की शुरुआत।
- भारत सरकार की वेबसाइट दिशानिर्देशों (GIGW) के अनुपालन में एक गतिशील, दिव्यांग अनुकूल, द्विभाषी वेबसाइट का अनुरक्षण।
- परियोजना से संबंधित डेटा के लिए इन-हाउस डेटाबेस का विकास।

कोविड-19 महामारी के दौरान एनएसएफडीसी गतिविधियां:

- विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों/परियोजनाओं के लिए रु.220.33 लाख की राशि जारी की गई।
- एनएसएफडीसी ने पीएम केयर्स फंड में रु.20.00 लाख की राशि का योगदान दिया।
- दिल्ली, बेंगलूरु और मुंबई में रु.39.81 लाख के पके हुए 10,97,250 भोजन का वितरण।
- दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, पुद्दुचेरी और हरिद्वार में रु.43.19 लाख की 6,613 राशन किटों का वितरण।
- त्रिवेंद्रम, चंडीगढ़, पटना और मुंबई में रु.13.43 लाख की 1,600 पीपीई किट का प्रावधान।
- दिल्ली, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, चुराचांदपुर, मणिपुर, हैदराबाद और तेलंगाना में कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रु.41.30 लाख की राशि के चिकित्सकीय उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसेंटेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, एक्स-रे मशीन, दवाएं, ऑक्सीजन कंट्रोल पैनल का प्रावधान।
- धारावी, मुंबई में रु.6.14 लाख की लागत से 160 सामुदायिक शौचालयों का कीटाणुशोधन।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तत्वावधान में लगभग 100 व्यक्तियों को टीकाकरण की सुविधा।

दिनांक 8 फरवरी, 2021 को आपके निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यालय भवन में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन, राशन किट का वितरण और माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के कर कमलों से निगम की गृह पत्रिका (अनुविनि गृह पत्रिका) का विमोचन किया गया।

दिनांक 8 मार्च, 2021 को निगम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य के विषय पर व्याख्यान देने के लिए प्रख्यात वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था।

आपके निगम को कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान की गई। निगम कॉरपोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपके निगम ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस को आईएस/आईएसओ 9001:2008 से आईएस/आईएसओ 9001:2015 में परिवर्तित किया है। आईएसआई/आईएसओ 9001:2015 के अनुसार, दिसंबर 2020 माह में नवीन लेखापरीक्षा के संतोषजनक समापन पर लाइसेंस को नवंबर, 2022 तक की अवधि के लिए संस्तुत किया गया है।

आपका निगम मौजूदा सहयोगात्मक संबंधों को जारी रखेगा और चैनलाइजिंग एजेंसियों तथा अन्य विकास भागीदारों के साथ नई साझेदारी विकसित करेगा और साथ ही अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहु-आयामी रणनीति पर बल देगा। इसके साथ ही निगम को उम्मीद है कि वह लाभार्थियों को सीधे ब्याज लाभ प्रदान करके अनुसूचित

जाति-स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नई ब्याज सहायता योजना- 'विसवास योजना' के माध्यम से अधिक से अधिक राज्यों तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा।

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं आपकी सतत सहायता और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पर्याप्त सहायता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ मैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ मैं, विभिन्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, चैनलाइजिंग एजेंसियों जिसमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस संस्थान, कौशल प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल हैं, से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, अपने निगम के सभी कर्मचारियों के निष्ठापूर्वक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ जिसकी वजह से हम उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। मैं इस यात्रा में सभी स्टेकहोल्डरों के सतत सहयोग की आशा करता हूँ।



(रजनीश कुमार जैनव)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 23 नवंबर, 2021

## निदेशक मंडल की रिपोर्ट (2020–21)

आपके निगम की 32<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक में, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वार्षिक आम बैठकें, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियों के साथ आपके निगम की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अवसर है।

### 1. निगम की रूपरेखा

आपका निगम, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा-8) के अंतर्गत 'लाभ-निरपेक्ष कंपनी' के रूप में स्थापित किया गया था। इसने दिनांक 09.04.2001 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। निगम का, दिनांक 10.04.2001 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के कारण द्विभाजन हुआ। इस द्विभाजन के परिणामस्वरूप, आपका निगम अब पूर्णतः अनुसूचित जाति के लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

#### 1.1 दृष्टि

अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

#### 1.2 लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

#### 1.3 उद्देश्य

आपके निगम के संस्था के ज्ञापन-पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) में, प्राप्त किए जाने वाले निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों की सूची दी गई है:

- (i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।
- (ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना।
- (iii) छोटे, कूटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।
- (iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना।
- (v) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए उनके वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

- (vi) लक्ष्य समूह को अपनी परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए सहयोग प्रदान करना।
- (vii) भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण प्रदान करना।
- (viii) पात्र युवाओं को भारत में वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के बाद कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऋण प्रदान करना।

उक्त उद्देश्य के अनुसरण में आपका निगम राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल भागीदारों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देने और विभिन्न ऋणोत्तर योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रहा है।

### 1.4 प्राधिकृत और प्रदत्त अंश पूंजी

वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु.1500.00 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के आरंभ और अंत में प्रदत्त अंश पूंजी रु.1500.00 करोड़ ही थी।

### 1.5 संगठन की संरचना

आपके निगम के कार्यालयाध्यक्ष अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें दो मुख्य महाप्रबंधक, एक महाप्रबंधक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की टीम द्वारा सहायता मिलती है। आपके निगम में 78 कर्मचारी हैं। परियोजना, वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन विभाग के अलावा निगमित सेवाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा, समन्वय, सतर्कता, विधि, एमआईएस, कौशल प्रशिक्षण, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, आरटीआई, आईएसओ, रिकार्ड प्रबंधन और राजभाषा कक्ष जैसे अन्य विभाग/कक्ष हैं। राज्यों में एनएसएफडीसी की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशिष्ट राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ मुख्य महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में परियोजना डेस्क भी हैं। उपर्युक्त के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों, अन्य संस्थाओं और अंतिम वित्त प्रदाताओं अर्थात् गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्तपोषण संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के माध्यम से पूरे भारत में एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से एक बैंकिंग प्रभाग है, जिसके प्रमुख महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक है। परियोजना विभाग और बैंकिंग प्रभाग के इन दो डेस्कों के अलावा एक प्रशिक्षण कक्ष है, जिसे अनन्य रूप से लक्ष्य समूह के कौशल विकास से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं।

संगठन का चार्ट अनुलग्नक-I पर दर्शाया गया है।

### 1.6 संपर्क केंद्र

आपके निगम के तीन संपर्क केंद्र हैं, जो संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल पार्टनरों से संपर्क रखते हैं और संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। संपर्क केंद्रों के स्थल और उनके क्षेत्राधिकार नीचे दिए जा रहे हैं:

क्रम सं.	संपर्क केंद्र	क्षेत्राधिकार
(i)	बैंगलूरु	तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुद्दुचेरी
(ii)	मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली
(iii)	कोलकाता	ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम

मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे उत्तरी राज्यों और दिल्ली व चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेशों को सीधे प्रधान कार्यालय द्वारा देखा जा रहा है।

### 1.7 चैनल वित्त प्रणाली

- (i) आपका निगम संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नामित पूरे देश के 37 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह को विभिन्न ऋण और ऋणोत्तर सुविधाएं देता है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन द्वारा नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपके निगम ने योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) और अन्य संस्थाओं को वैकल्पिक चैनल के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में दिनांक 31.03.2021 को आपके निगम के पास 50 **(पीएसबी और आरआरबी के एकीकरण के बाद)** वैकल्पिक चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं।
- (ii) राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची **अनुलग्नक-II (क) और (ख)** पर दी गई है।
- (iii) स्थानीय जरूरतों, पात्र आवेदकों की पहचान और लाभार्थियों के चयन, ऋणी के साथ प्रलेखन, योजनाओं का कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों से ऋण की वसूली पर आधारित परियोजना प्रस्तावों की तैयारी एवं प्रायोजन, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में है।

### 1.8 निधियों का नोशनल आबंटन

आपका निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियाँ नोशनल रूप से आबंटित करता है।

### 1.9 निधियों के संवितरण के लिए मानक (नॉर्म्स)

#### 1.9.1 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के मानक

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति करने से पहले, निम्नलिखित मानकों पर विचार किया जाता है:

### ❖ गारंटी:

राज्य सरकार की गारंटी/बैंक गारंटी/राज्य सरकार के आदेशों/राज्य सरकार के आश्वासनों की पर्याप्त उपलब्धता।

### ❖ उपयोगिता स्तर:

फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

### ❖ देयों की चुकौती:

एक वर्ष से अधिक कोई अतिदेय राशि नहीं होनी चाहिए।

उक्त मानदंडों का ऋण योजनाओं में संवितरण के मामले में पालन किया जाता है। जहां तक दिनांक 01.12.2009 से आरंभ शिक्षा ऋण योजना का संबंध है, राज्य सरकार गारंटी की उपलब्धता और एक वर्ष से अधिक पुराना अतिदेय का न होना, शिक्षा ऋण की मंजूरी के समय सुनिश्चित किया जाता है।

### 1.9.2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, पीएसबी और आरआरबी (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- मांग के भुगतान के समय पूर्व संवितरण की कोई अतिदेय राशियाँ नहीं होनी चाहिए।
- फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- क. निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) संवितरण के वर्ष से पिछले 6 वर्षों में से कम-से-कम 3 वर्षों के दौरान 15% से कम होनी चाहिए।
- ख. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) संवितरण के वर्ष से पिछले 6 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों के दौरान लाभ में होना चाहिए।
- ग. किसी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- घ. समामेलित/विलय वाली संस्थाओं के मामले में, संबंधित प्रायोजक बैंक के पास आरआरबी के प्रमुख भागीदार के पिछले वर्षों के एनपीए मानदंडों पर विचार किया जाएगा।

### 1.9.3 अन्य संगठनों के लिए मानक

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) द्वारा जारी एनएसएफडीसी के पक्ष में एनएसएफडीसी के लिए सावधि जमा/बैंक गारंटी/उत्तर दिनांकित बहु-शहरीय (मल्टीसिटी पोस्ट डेटेड) चेक।

### 1.9.4 एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार एनबीएफसी-एमएफआई (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक के लिए एनएसएफडीसी निधियों का उपयोग लंबित नहीं होना चाहिए।
- फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।
- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अतिदेय राशि भुगतान योग्य नहीं होनी चाहिए।
- एनबीएफसी-एमएफआई को संवितरण प्रतिभूति की निम्नांकित शर्तों के अधीन होगा:—
  - क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) से गारंटी संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य या उत्तर दिनांकित चेकों (पीडीसी) के रूप में 50% और पीएसबी से 50% सावधि जमा के रूप में हो। संवितरित की जाने वाली धनराशि के 50% के समतुल्य एक अदिनांकित पीडीसी हो।
  - गैर-क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य गारंटी/सावधि जमा या 50% तक संबंधित संपत्ति मालिक (मालिकों) की व्यक्तिगत/कॉरपोरेट गारंटी के साथ-साथ आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के बंधक के रूप में और शेष पीसीबी से गारंटी/सावधि जमा के रूप में होनी चाहिए।

### 1.9.5 सहकारी बैंकों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी बैंकों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।
- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, सहकारी बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

अथवा

- पिछले 05 वित्तीय वर्षों का औसत निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का निवल एनपीए इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- सहकारी बैंक के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट।

### 1.9.6 सहकारी समितियों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी समितियों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।
- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपरोक्त के अलावा, सहकारी समितियों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- सहकारी समिति की शेयर पूंजी में केंद्र / राज्य सरकार को हित धारक होना चाहिए।
- केंद्र / राज्य सरकार को सहकारी समिति के निदेशक मंडल / शासकीय निकाय में सदस्यों का नामित करना चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

अथवा

पिछले 05 वित्तीय वर्षों का औसत निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होनी चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की क्रिसिल के 'ए' के समकक्ष पर्याप्त सुरक्षा के साख की रेटिंग होनी चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले तीन वर्षों में किसी बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान का चूककर्ता या किसी कॉर्पोरेट ऋण को पुनर्गठन नहीं करना चाहिए।
- सहकारी समिति के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट होनी चाहिए।

### 1.10 आवेदकों का पात्रता मानदंड

एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत शामिल होने के लिए आवेदकों के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

- आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय का होना चाहिए।
- ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रु.3.00 लाख तक (दिनांक 08.03.2018 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए) होनी चाहिए।

वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राशि को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

### 1.11 महिला लाभार्थियों के समावेशन के लिए मानदंड

आपका निगम अपनी योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला लाभार्थियों को शामिल करने पर बल देता है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिमुखीकरण और समन्वय पर टास्क फोर्स की अनुशंसा के परिणामस्वरूप, आपके निगम में वित्तीय और प्रत्यक्ष दोनों रूप से 40% महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए मानदंड हैं।

### 1.12 निगम की योजनाएं

आपके निगम की लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋण आधारित और गैर-ऋण आधारित योजनाएं हैं। लाभार्थियों को कृषि और समवर्गी, लघु उद्योगों और परिवहन सेक्टरों सहित सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आपका निगम उच्च शिक्षा लेने और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए भी ऋण प्रदान करता है।

आपके निगम द्वारा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए वित्तपोषित योजनाओं के विवरण निम्नलिखित हैं:

#### 1.12.1 ऋण आधारित योजनाएं

आपके निगम ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लक्ष्य समूह के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मियादी ऋण, लघु ऋण वित्त, महिला समृद्धि योजना, महिला किसान योजना, महिला अधिकारिता योजना, शिल्पी समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय योजना, शिक्षा ऋण योजना, वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, हरित व्यवसाय योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना, उद्यम निधि योजना और स्वच्छता उद्यमी योजना सहित विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही ऋण राशि की प्रमात्रा के आधार पर 1% से 6% तक वार्षिक की रेंज में रियायती ब्याज-दर पर ऋण दिया जाता है, सिवाय स्टैंड अप इंडिया योजना के मामले में जिसमें योजना/ऋण की प्रमात्रा के आधार पर ब्याज दर 7% है। इसके अलावा, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उक्त ब्याज दरों में 2–3% (आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना और उद्यम निधि योजना के मामले में 8% को छोड़कर) जोड़ने की और लाभार्थियों से ब्याज प्रभारित करने की अनुमति दी जाती है।



जनरल स्टोर की दुकान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत लाभार्थी

1.12.1 (क) यूनिट लागत, एनएसएफडीसी का अंश और ब्याज दर

क्र. सं.	योजना	यूनिट लागत	निम्नलिखित पर प्रभारित वार्षिक ब्याज दर	
			चैनलाइजिंग एजेंसी	लाभार्थीगण
(i)	मियादी ऋण	रु.50.00 लाख तक, तथापि एनएसएफडीसी अंश/ इकाई के आधार पर निम्नानुसार ब्याज प्रभारित किया जाता है।		
(क)		रु.5.00 लाख तक	3%	6%
(ख)		रु.5.00 लाख से अधिक व रु.10.00 लाख तक	5%	8%
(ग)		रु.10.00 लाख से अधिक और रु.50.00 लाख तक	6%	9%
(ii)	लघु ऋण वित्त	रु.1.40 लाख तक	2%	5%
(iii)	महिला समृद्धि योजना	रु.1.40 लाख तक	1%	4%
(iv)	महिला किसान योजना	रु.2.00 लाख तक	2%	5%
(v)	शिल्पी समृद्धि योजना	रु.2.00 लाख तक	2%	5%
(vi)	महिला अधिकारिता योजना	रु.5.00 लाख तक	2.5%	5.5%
(vii)	लघु व्यवसाय योजना	रु.5.00 लाख तक	3%	6%
(viii)	शिक्षा ऋण योजना	एनएसएफडीसी का अंश संपूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क का 90% तक अथवा रु.10.00 लाख तक (भारत में) और रु.20.00 लाख तक (विदेश में), जो भी कम हो।	1.5% (पुरुष) 1% (महिला)	4% (पुरुष) 3.5% (महिला)
(ix)	वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	दो वर्ष की अवधि तक के पाठ्यक्रम के लिए रु.4.00 लाख तक	1.5% (पुरुष) 1% (महिला)	4% (पुरुष) 3.5% (महिला)
(x)	हरित व्यवसाय योजना	रु.7.50 लाख तक रु.7.50 लाख से अधिक और रु.15.00 लाख तक रु.15.00 लाख से अधिक और रु.30.00 लाख तक	2% 3% 4%	4% 6% 7%
(xi)	स्टैंड-अप इंडिया योजना	रु.10.00 लाख से अधिक और रु.20.00 लाख तक रु.20.00 लाख से अधिक और रु.30.00 लाख तक	6% 7%	9% 10%
(xii)	स्वच्छता उद्यमी योजना	रु.15.00 लाख तक	2% (पुरुष) 1% (महिला)	4% (पुरुष) 3% (महिला)
(xiii)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना *	रु.1.40 लाख तक	3% (पुरुष) 2% (महिला)	11% (पुरुष) 10% (महिला)
(xiv)	उद्यम निधि योजना#	रु.5.00 लाख तक	4%	12%

\* आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना एनबीएफसी-एफएमआई के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

# उद्यम निधि योजना सहकारी सोसायटियों/ बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

1.12.1(ख) वित्त के साधन

आपके निगम की ऋण नीति के अनुसार, एनएसएफडीसी (निगम) इकाई लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध कराता है मियादी ऋण को छोड़कर, जहां यह 95% है और शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी एवं/अथवा प्रवर्तक (प्रमोटर) 10% उपलब्ध कराते हैं तथा वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, जहां ऋण के रूप में परियोजना लागत का शत-प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है।



रेडीमेड गारमेंट विनिर्माण कार्य, लखनऊ, उप्र में लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत लाभार्थी

1.12.1(ग) प्रवर्तक का अंशदान

परियोजना में प्रवर्तक की हिस्सेदारी और योगदान के लिए प्रति इकाई रु.1.00 लाख से अधिक लागत की मियादी ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रवर्तक (प्रमोटर) के अंशदान पर नीचे दिए विवरण के अनुसार बल दिया जाता है:

क्रम सं.	परियोजना/प्रति इकाई लागत	परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में प्रवर्तक का कम से कम अंशदान
(i)	रु.1.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	बल नहीं दिया जाता
(ii)	रु.1.00 लाख से अधिक तथा रु.5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	2%
(iii)	रु.5.00 लाख से अधिक तथा रु.10.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	3%
(iv)	रु.10.00 लाख से अधिक तथा रु.50.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	5%

1.12.1(घ) लाभार्थियों को आर्थिक सहायता (सब्सिडी)

शिक्षा ऋण योजना तथा वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना को छोड़कर, सभी योजनाओं में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से रु.10,000 /- की दर से अथवा इकाई लागत का 50%, जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) गरीबी रेखा से कम आय वाले लाभार्थियों

के लिए उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित लाभार्थी (12वीं कक्षा के बाद) मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी के भी पात्र हैं, जोकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए केंद्रीय ब्याज सब्सिडी की योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

### 1.12.1(ड) विलंबन काल (मोरेटोरियम)

लाभार्थियों को ऋण संवितरण के बाद मूलधन की अदायगी के लिए विलंबन काल (अदायगी अवधि छूट) दिया जाता है ताकि लाभार्थी अपने व्यवसाय क्रियाकलापों में मजबूती से खड़े हो सकें। तथापि, ब्याज राशि के भुगतान के लिए विलंबन काल नहीं दिया जाता है। योजना-वार विलंबन अवधि नीचे दी जा रही है:

योजना	विलंबन काल
➤ मियादी ऋण योजना	व्यापार कार्य की प्रकृति के आधार पर 6 माह से 12 माह
➤ लघु ऋण वित्त	3 माह
➤ महिला समृद्धि योजना	3 माह
➤ महिला किसान योजना	12 माह
➤ शिल्पी समृद्धि योजना	6 माह
➤ महिला अधिकारिता योजना	12 माह
➤ लघु व्यवसाय योजना	6 माह
➤ शिक्षा ऋण योजना	पाठ्यक्रम पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोजगार पाने पर, जो भी पहले हो।
➤ वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	पाठ्यक्रम पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोजगार पाने पर, जो भी पहले हो।
➤ हरित व्यवसाय योजना	6 माह
➤ आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	3 माह
➤ स्टैंड-अप इंडिया योजना	भारत सरकार की स्टैंड-अप इंडिया योजना के नॉर्म के अनुसार
➤ उद्यम निधि योजना	3 माह
➤ स्वच्छता उद्यमी योजना	3 माह

1.12.1(च) ऋण अदायगी अवधि

ऋण अदायगी अवधि मोटे तौर पर नकदी प्रवाह अर्जन के मूल्यांकन, परियोजना परिसंपत्ति का जीवन-काल एवं परियोजना की गेस्टेशन (परिपक्वता) अवधि के आधार पर निश्चित की जाती है। विभिन्न योजनाओं और क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण अदायगी अवधियां नीचे दी जा रही हैं:

योजनाएं	अदायगी की अवधि
मियादी ऋण योजना	
भूमि आधारित कार्य (कृषि भूमि पर खेती, बागवानी व सिंचाई इत्यादि)	10 वर्ष तक
परिवहन कार्य (ऑटोरिक्षा, जीप, मालवाहक इत्यादि)	5 वर्ष तक
लघु उद्योग	5 वर्ष तक
सर्विस क्षेत्र गतिविधियां	5 वर्ष तक
महिला किसान योजना	10 वर्ष तक
शिल्पी समृद्धि योजना	5 वर्ष तक
महिला अधिकारिता योजना	10 वर्ष तक
लघु व्यवसाय योजना	6 वर्ष तक
वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	दो वर्ष तक की अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिए 7 वर्ष तक
शिक्षा ऋण योजना	10 वर्ष तक (₹.7.50 लाख तक के ऋण हेतु) और 15 वर्ष तक (₹.7.50 लाख से अधिक ऋण हेतु)
लघु ऋण वित्त	3½ वर्ष तक
महिला समृद्धि योजना	3½ वर्ष तक
हरित व्यवसाय योजना	10 वर्ष तक
आजीविका माइक्रो फाइनेंस वित्त योजना	3½ वर्ष तक
स्टैंड-अप इंडिया योजना	भारत सरकार की स्टैंड-अप इंडिया योजना के नॉर्म के अनुसार
उद्यम निधि योजना	6 वर्ष तक
स्वच्छता उद्यमी योजना	10 वर्ष तक

**1.12.1(छ) दूसरी बार ऋण सुविधा**

लाभार्थी, यदि उन्होंने एनएसएफडीसी की किसी भी योजना के अंतर्गत पहली बार ऋण लिया है, तो निर्धारित अवधि में पूरी ऋण राशि की अदायगी करने के पश्चात, आपके निगम की किसी भी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं:

(क) पहले लिए गए ऋण की समय पर पूरी अदायगी हो और

(ख) वास्तव में सृजित परिसंपत्ति तथा व्यापार के सफलतापूर्वक चलने की फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की हो।

**1.12.1(ज) वित्तपोषित परियोजनाओं की क्षेत्र-वार निदर्शी सूची**

विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं को चार मुख्य क्षेत्रों नामतः कृषि और समवर्गी, उद्योग, सेवा एवं परिवहन तथा शिक्षा ऋण योजना में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं की निदर्शी सूची नीचे दी जा रही है:

<b>कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र</b>	
➤ कृषि भूमि खरीद	➤ ट्रैक्टर ट्रॉली
➤ पॉली हाऊस	➤ ट्रॉली के साथ पॉवर टिल्लर
<b>उद्योग क्षेत्र</b>	
➤ आटा चक्की और मिर्च पिसाई चक्की	➤ फलाई ऐश ईट निर्माण
<b>सर्विस एवं परिवहन क्षेत्र</b>	
➤ लघु उद्यम	➤ टेंट हाऊस
➤ किराना और शीतल पेय	➤ सेंट्रिंग मैटीरियल
➤ मिनी होटल	➤ दवाई की दुकान
➤ मिनी सुपर बाजार	➤ चमड़े की चप्पल उत्पादन इकाई
➤ कंक्रीट मिश्रण	➤ लेजर और स्क्रीन के साथ डीटीपी
➤ इंटरनेट के साथ जीरॉक्स मशीन	➤ वकील कार्यालय
➤ मशरूम प्रसंस्करण	➤ फास्ट फूड
➤ हरित व्यवसाय (ई-रिक्शा)	➤ गेस्ट हाऊस सह-लॉज
➤ पिकअप वैन	➤ ऑटो टैक्सी
➤ सामान वाहक ऑटो ट्रॉली	➤ जीप टैक्सी
➤ टैक्सी कार	➤ लघु व्यवसाय
➤ लघु व्यवसाय (कृषि एवं समवर्गी)	➤ सामान वाहक ऑटो
	➤ सवारी ऑटो

शिक्षा ऋण योजना	
➤ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, बी.ई., बी.टेक, एम टेक इत्यादि)	➤ नर्सिंग (बी.एससी.)
➤ परिवहन डिजाइन में पी.जी. डिप्लोमा	➤ सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमसीए)
➤ वास्तुकला (बी.आर्क)	➤ प्रबंधन (बीबीए/एमबीए)
➤ चिकित्सा (बीएएमएस/बीएचएमएस/एमबीबीएस/एमडी)	➤ विधि (एलएलबी/एलएलएम)
➤ फार्मसी (बी.फार्मा/एम.फार्मा)	➤ डेंटल (बीडीएस)
➤ हॉस्पिटलिटी और होटल प्रबंधन (बी.एससी.)	➤ शिक्षा (पीटीसी/बी.एड.)

### 1.12.2 गैर-ऋण आधारित योजनाएं

#### 1.12.2 (क) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपका निगम अपैरल, इलेक्ट्रानिक्स, फर्नीचर व फिटिंग्स, चर्मोद्योग, रबड़ और पेट्रो-रसायनों, वस्त्र, टेलीकॉम, पूंजीगत वस्तु, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कारपेट, यंत्रीकरण तथा स्वचालन, घरेलू सहायक, ब्यूटी एवं वैलनेस, जीव विज्ञान, ऊर्जा, खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, पर्यटन और आतिथ्य सेवा, मीडिया और मनोरंजन, अवसंरचना इत्यादि नियोजन योग्य क्षेत्रों में लक्ष्य

समूह के व्यक्तियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम प्रायोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीकी कौशल के अलावा सॉफ्ट कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों/क्षेत्रीय कौशल परिषद्/क्षेत्रीय कौशल परिषद् से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और गैर-आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रतिमाह रु.1,500/- की दर से वृत्तिका दी जाती है। एनएसएफडीसी द्वारा अतिरिक्त रूप से आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सामान्य मानक में निर्धारित दरों के अनुसार आवास और भोजन का प्रभार वहन किया जाता है।

प्रशिक्षणार्थियों को, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनल भागीदारों के जरिए आपके निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता के साथ नियोजन सहायता और/अथवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमीय मार्गदर्शन भी दिए जाते हैं।



पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत चंबा, हिमाचल प्रदेश में 'सिलाई मशीन प्रचालन' प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2020–21 के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने शीर्ष निगमों (आपके निगम सहित) को उनके लक्षित समूहों के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री-दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) नामक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। इसके चार घटक हैं अर्थात् (i) 32–80 घंटे की अवधि के साथ अप-स्किलिंग / री-स्किलिंग, (ii) 80–90 घंटे की अवधि के साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रम, (iii) 200–600 घंटे की अवधि के साथ अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, और (iv) 600–1000 घंटे की अवधि के साथ दीर्घावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।



पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत शाहबाद, हरियाणा में 'दंत सहायक' प्रशिक्षण कार्यक्रम

#### 1.12.2(ख) लाभार्थियों को विपणन सहायता

आपका निगम लाभार्थियों को अपने उत्पादों को चुनिंदा प्रदर्शनियों एवं मेलों में बिक्री योग्य उत्पादों को बेचने के लिए अवसर प्रदान करता है।

#### 1.12.2(ग) मेले और प्रदर्शनी में लाभार्थियों को निःशुल्क स्टाल

- (i) आपका निगम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेता है एवं लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री हेतु निःशुल्क स्टाल उपलब्ध कराता है।
- (ii) इन प्रदर्शनियों में सहभागिता से लाभार्थियों को न केवल अपने उत्पाद को बेचने बल्कि ग्राहकों, डीलरों और निर्यातकों से बातचीत करने एवं नए उत्पादों के विकास के लिए जरूरतों/आवश्यकताओं को जानने का भी अवसर मिलता है।

#### 1.12.2(घ) लाभार्थियों को विपणन प्रशिक्षण

ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार, कारीगरों के उत्पादों के विपणन और विकास/पुनः डिजाइनिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के आदानों को लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए विपणन प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में काउंटर पर अच्छी विक्रय कला के कार्य-निवेश के साथ ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल उत्पादों में रूपांतर कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है।

#### 1.12.2 (ङ) जागरूकता शिविर

एनएसएफडीसी की योजनाओं के बारे में लक्ष्य समूह के बीच जन-जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों

में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जाता है और उपस्थितों को निगम की योजनाओं की जानकारी संबंधी ब्रोशर और पैम्फलेट बांटे जाते हैं। सफल लाभार्थियों को निगम की योजनाओं और व्यापार संबंधी अन्य क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण लेने के अपने अनुभवों के बारे में जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

## 2. प्रबंधन चर्चाएं और विश्लेषण रिपोर्ट

### 2.1 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

#### 2.1.1 प्रस्तावों की स्वीकृति

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/ चैनलाइजिंग एजेंसियों को रु.627.27 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए।

#### 2.1.2 निधियों का संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 94,002 लाभार्थियों को लाभांशित करने हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/ चैनलाइजिंग एजेंसियों को 90% के लक्ष्य (समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में रु.548.23 करोड़ अर्थात् उपलब्ध कुल निधियों का 87.47% संवितरित किया।

#### 2.1.2(क) संवितरण और शामिल लाभार्थियों के योजना-वार ब्योरे

वर्ष 2020-21 और उससे पूर्व वर्ष के लिए संवितरण और शामिल लाभार्थियों के ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं:

क्र. सं.	योजना	राशि (रुपए करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
क.	मियादी ऋण योजनाएं				
(i)	मियादी ऋण	161.27	49.47	3,235	1,450
(ii)	हरित व्यवसाय योजना	7.58	5.44	216	533
(iii)	उद्यम निधि योजना	5.89	0.00	1,191	0
(iv)	महिला किसान योजना	0.80	0.32	200	80
(v)	शिल्पी समृद्धि योजना	0.40	0.40	100	100
(vi)	लघु व्यवसाय योजना	418.38	405.37	43,400	32,124
(vii)	शिक्षा ऋण योजना	11.59	5.63	583	284
(viii)	वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना	0.90	4.50	100	250
	उप-कुल (क)	606.81	471.13	49,025	34,821

क्र. सं.	योजना	राशि (रुपए करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
ख.	लघु ऋण योजना				
(i)	लघु ऋण वित्त योजना	27.51	14.09	5,451	4,245
(ii)	महिला समृद्धि योजना	46.52	62.26	29,360	54,785
(iii)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	0.66	0.75	134	151
	<b>उप-कुल (ख)</b>	<b>74.69*</b>	<b>77.10*</b>	<b>34,945</b>	<b>59,181</b>
	<b>सकल कुल [(क) + (ख)]</b>	<b>681.50</b>	<b>548.23</b>	<b>83,970</b>	<b>94,002</b>

\*उपर्युक्त के अलावा, शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) और वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) को छोड़कर अन्य योजनाओं के तहत आपके निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दिनांक 8 नवंबर 2019 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019-20/95 के अनुसार रु.1.25 लाख प्रति यूनिट तक के संवितरित धन को सूक्ष्म वित्त ऋण के रूप में माना है।

तदनुसार, 84,509 लाभार्थियों के लिए रु.291.01 करोड़ की संवितरित निधियों को सूक्ष्म वित्त ऋण के रूप में माना गया है।

### 2.1.2(ख) संवितरण और शामिल लाभार्थियों के क्षेत्र-वार ब्योरे:

क्र. सं.	योजना	राशि (रुपए करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
(i)	मियादी ऋण				
(क)	प्राथमिक क्षेत्र (भूमि, खरीद, सिंचाई और अन्य संबद्ध क्रियाकलाप)	64.48	15.81	2,158	332
(ख)	द्वितीय क्षेत्र (उद्योग)	0.00	0.19	0	2
(ग)	तृतीयक क्षेत्र (सर्विस व परिवहन)	96.79	33.47	1,077	1116
	<b>जोड़ (क) + (ख) + (ग)</b>	<b>161.27</b>	<b>49.47</b>	<b>3,235</b>	<b>1,450</b>
(ii)	हरित व्यवसाय योजना	7.58	5.44	216	533
(iii)	उद्यम निधि योजना	5.89	0.00	1,191	0
(iv)	महिला किसान योजना (प्राथमिक सेक्टर)	0.80	0.32	200	80

क्र. सं.	योजना	राशि (रुपए करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
(v)	शिल्पी समृद्धि योजना	0.40	0.40	100	100
(vi)	लघु व्यवसाय योजना	418.38	405.37	43,400	32,124
(vii)	लघु ऋण वित्त योजना	27.51	14.09	5,451	4,245
(viii)	महिला समृद्धि योजना	46.52	62.26	29,360	54,785
(ix)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	0.66	0.75	134	151
(x)	शिक्षा ऋण योजना	11.59	5.63	583	284
(xi)	वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना	0.90	4.50	100	250
	<b>सकल जोड़ (i से xi)</b>	<b>681.50</b>	<b>548.23</b>	<b>83,970</b>	<b>94,002</b>

**2.1.2(ग)(i) समझौता-ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां (2020–21)**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए समेकित समझौता-ज्ञापन लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुलग्नक-III** पर दी गई हैं। लेखापरीक्षित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्व मूल्यांकन पर आधारित कुल भारत अंक 48.86 है, जो 'अच्छा' रेटिंग के अनुरूप है।

**(i) प्रचालन से आय (करों का निवल)**

वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन से आय ₹59.92 करोड़ है।

**(ii) प्रचालन से आय (निवल) का प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ**

वर्ष के दौरान, आपके निगम का प्रचालन (निवल) से प्रचालन लाभ या अधिशेष/आय 58.78% है।

**(iii) औसत निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात लाभ (पीएटी)**

वर्ष के दौरान, कर पश्चात लाभ (पीएटी) या अधिशेष 2.26% है।

**(iv) संवितरित ऋण/उपलब्ध कुल निधि**

वर्ष के दौरान, आपके निगम के पास संवितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि 87.47% है।

**(v) कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को ऋण संवितरण**

वर्ष के दौरान, कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को ऋण संवितरण 53.08% है।

**(vi) अतिदेय ऋण/कुल ऋण (निवल)**

वर्ष के दौरान, अतिदेय ऋण/कुल ऋण (निवल) 20.30% है।

(vi) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) / कुल ऋण (निवल)

वर्ष के दौरान, गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) / कुल ऋण (निवल) 0.75% है।

(viii) जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने पिछले वर्ष 2019–20 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल घरेलू खरीद के लिए जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का प्रतिशत 26.05% है।

(ix) मुख्य लाभार्थी को मूल संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम द्वारा मुख्य लाभार्थी को मूल संवितरण किया गया (31.12.2020 तक कुल संवितरण का 88.28%) है।

(x) भौगोलिक कवरेज (राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)


वर्ष के दौरान, भौगोलिक अधिकता (राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या) 30 है।

(xi) समय अवधि के साथ डैशबोर्ड का विकास और संचालन



वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 15.02.2021 तक मूल लाभार्थियों को ऋण संवितरण और अवधि के साथ मध्यस्थता सहित राशि प्राप्त करने के लिए डैशबोर्ड के विकास और संचालन के लक्ष्य को प्राप्त किया।

2.1.2(घ) योजना-वार / क्षेत्रवार संवितरण

वर्ष 2020–21 के दौरान निष्पादन को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:




- (i) मियादी ऋण योजना में लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई), हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस), महिला किसान योजना (एमकेवाई) और शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) शामिल हैं।
- (ii) लघु ऋण में लघु ऋण वित्त (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई) शामिल हैं।
- (iii) शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) और वोकेशनल शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस)।




2.1.3 महिला लाभार्थियों का कवरेज


- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 69,193 महिला लाभार्थियों को रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जो कि महिला लाभार्थियों को लाभांवि्त करने के 40% मानदंड प्रत्यक्ष शर्तों की तुलना में कुल कवरेज का 73.61% है।



- इसी प्रकार, वर्ष के दौरान, आपके निगम ने महिला लाभार्थियों के लिए रु.244.37 करोड़ संवितरित किए हैं, जो 40% के वित्तीय मानदंड की तुलना में वर्ष के कुल संवितरण का 44.57% है।




- गत तीन वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों को संवितरण बढ़ते क्रम में है।



#### 2.1.4 ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का कवरेज:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों से 53.54% और शहरी क्षेत्रों से 46.46% लाभार्थियों को कवर किया है।




### 2.1.5 निधि उपयोग

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ गहन अभियान चलाया है। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2021 को संचयी उपयोग स्तर 87.37% प्राप्त किया गया।


### 2.1.6 लाभार्थियों का कवरेज—संशोधित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के अनुसार

वर्ष के दौरान, चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त उपयोगिता रिपोर्ट के अनुसार, आपकी निगम की योजनाओं के अंतर्गत 64.69% लाभार्थी रु.1.50 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय की श्रेणी में और 35.31% लाभार्थी रु.1.50 लाख से अधिक और रु.3.00 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय श्रेणी में शामिल किए गए थे।




### 2.1.7 संचयी संवितरण की तुलना में इक्विटी सहायता

- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने ₹548.23 करोड़ संवितरित किए।
- दिनांक 31.03.2021 को संचयी इक्विटी सहायता ₹1500.00 करोड़ रही है, जिसकी तुलना में आपके निगम ने ₹6379.63 करोड़ का संचयी संवितरण प्राप्त किया, जिसमें 13.73 लाख लाभार्थी कवर किए गए, जिनमें से महिला लाभार्थी 8.04 लाख (58.54%) थीं।
- अब तक का संवितरण भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी सहायता का 4.25 गुना है।



2.1.8 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी / चैनलाइजिंग एजेंसी से ऋण की वसूली

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों / चैनलाइजिंग एजेंसियों से ₹522.69 करोड़ की वसूली प्राप्त की।



### 2.1.9 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों / चैनलाइजिंग एजेंसियों की कार्यपद्धति

आपका निगम चैनल वित्त प्रणाली अपनाता है, जिसमें राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों / चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को निधियां दी जाती हैं। वित्त वर्ष के आरंभ में सामान्य चैनल में 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां और वैकल्पिक चैनल में 55 चैनलाइजिंग एजेंसियां थीं। वित्तीय वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी के पास 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां और वैकल्पिक चैनल में 50 अन्य एजेंसियां (पीएसबी और आरआरबी के विलय के बाद) थीं। वर्ष के दौरान, 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित क्षेत्रों में से 26 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों ने निधियों का लाभ प्राप्त किया है।

### 2.1.10 भागीदारी

#### 2.1.10(क) निगम के उद्देश्यों से लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों / स्थापित संस्थानों के साथ भागीदारी:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने निगम के उद्देश्यों से लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की:



जनवरी, 2021 में अपोलो मेडिकल के साथ समझौता-करार हस्ताक्षर करते हुए

क्र. सं.	संस्थान	उद्देश्य
1.	न्यू डायरेक्शन एजुकेशनल सोसाइटी (एनडीईएस), हैदराबाद, तेलंगाना	तेलंगाना राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के लिए।
2.	राष्ट्रीय आरसेटि श्रेष्ठता केंद्र, बेंगलूरु, कर्नाटक	
3.	एनएचएफडीसी फाउंडेशन, दिल्ली	
4.	भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी, असम	
5.	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), नोएडा, उत्तर प्रदेश	
6.	अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड (एएमएसएल), हैदराबाद, तेलंगाना	
7.	निकॉन लिमिटेड, चंडीगढ़	
8.	सामाजिक और साक्षरता विकास संघ (एसएलडीए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश	
9.	आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी), आंध्र प्रदेश	
10.	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमकॉन), हिमाचल प्रदेश	
11.	एमपीकॉन लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश	पीएम-दक्ष योजना के तहत एनएसएफडीसी प्रायोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए।
12.	एमएसएमई- प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग, छत्तीसगढ़	
13.	जेम एंड ज्वैलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (जीजेएससीआई), महाराष्ट्र	
14.	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र- भिवाड़ी, राजस्थान	
15.	ब्राइट स्कूल समिति, इंदौर, मध्य प्रदेश	
16.	एपीआईटीसीओ लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना	
17.	राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी), राजस्थान	
18.	इंद्रधनुष कल्याण समिति (आईडीडब्ल्यूएस), इंदौर, मध्य प्रदेश	
19.	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर, इंदौर, मध्य प्रदेश	
20.	कर्नाटक कौशल विकास निगम, कर्नाटक	
21.	एमएसएमई-प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर, मध्य प्रदेश	
22.	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, पुदुचेरी	
23.	जम्मू और कश्मीर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर	

### 2.1.10(ख) प्रदर्शनी/मेलों में भागीदारी

वर्ष के दौरान, कोविड –19 महामारी के परिणामस्वरूप पूरे देश में तालाबंदी हो गई थी, किसी भी प्रदर्शनियों और कार्यशाला में व्यक्तिगत भागीदारी पर प्रतिबंध था। आपके निगम ने नवंबर/दिसंबर 2020 के दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई, आईएमखादी द्वारा आयोजित वर्चुअल/डिजिटल हैंडलूम प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसमें एनएसएफडीसी के लाभार्थियों ने पहली बार अपने उत्पाद को ऑनलाइन मोड में प्रदर्शित किया।

### 2.1.11 जागरुकता कार्यक्रम में एनएसएफडीसी की भागीदारी

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, पुद्दुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्यों में निगम की योजनाओं को प्रचारित करने के लिए लगभग 45 जागरुकता कार्यक्रमों में भाग लिया। ये जागरुकता कार्यक्रम चिकित्सा और राशन किट वितरण शिविरों सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित विभिन्न सीएसआर कोविड –19 राहत पहल के अंतर्गत आयोजित किए गए थे और पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर चयन समिति की बैठकें हुईं।



एनबीसीएफडीसी और एनएसएफडीसी से प्राप्त पीपीई किट को माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और महिला एवं बाल विकास, केरल सरकार डीएमओ, त्रिवेंद्रम को सौंपते हुए



कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब मजदूरों को राशन किट का वितरण



कोविड-19 महामारी के दौरान भोजन पैकेट वितरण कार्यक्रम।

क्र. सं.	कार्यक्रम	एनजीओ / संस्थान	स्थान	दिनांक
1.	चिकित्सा-सह-जागरुकता शिविर	अनुग्रह दृष्टिदान (एडी)	दयालपुर, दिल्ली	2/11/2020-4/4/2020 और 9/11/2020-10/11/2020 (5 दिन)
2	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	अनुग्रह दृष्टिदान (एडी)	करावल नगर, दिल्ली	13/11/2020
3	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	अनुग्रह दृष्टिदान (एडी)	वसंत कुंज, दिल्ली	02/12/2020
4	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	अनुग्रह दृष्टिदान (एडी)	नन्द नगरी, दिल्ली	03/12/2020
5	चिकित्सा-सह- जागरुकता शिविर	अनुग्रह दृष्टिदान (एडी) व सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (SPYM)	बंगला साहिब, दिल्ली	23/12/2020 (1 दिन)
6	चिकित्सा-सह- जागरुकता शिविर	प्रबुद्ध भारती इंटरनेशनल	हरिद्वार, उप्र	26/12/2020 (1 दिन)
7	चिकित्सा-सह- जागरुकता शिविर	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (SPYM) व अनुग्रह दृष्टिदान (एडी)	सराय काले खाँ, नई दिल्ली	28/12/2020 (1 दिन)
8	चिकित्सा-सह- जागरुकता शिविर	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (SPYM) व अनुग्रह दृष्टिदान (एडी)	जामा मस्जिद, नई दिल्ली	30/12/2020 (1 दिन)
9	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	बाल उमंग दृष्टि संस्था (BUDS)	हरिजन बस्ती, सराय काले खाँ, दिल्ली	02/01/2021
10	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	बाल उमंग दृष्टि संस्था (BUDS)	नफीजा मस्जिद, दिल्ली	04/01/2021
11	चिकित्सा-सह- जागरुकता शिविर	शक्ति फाउंडेशन व अनुग्रह दृष्टिदान (एडी)	गाजीपुर, दिल्ली	06/01/2021
12	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	महावीर इंटरनेशनल	मंडावली व चन्द्र विहार, दिल्ली	08/01/2021
13	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (SPYM)	किशनगढ़, दिल्ली	19/01/2021

क्र. सं.	कार्यक्रम	एनजीओ / संस्थान	स्थान	दिनांक
14	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (SPYM)	वसंत कुंज, दिल्ली	20/01/2021
15	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	महावीर इंटरनेशनल	मोरी गेट व चिल्ली खादर, दिल्ली	07/02/2021
16	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (SPYM)	छत्तरपुर, दिल्ली	09/02/2021
17	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	महावीर इंटरनेशनल	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	01/03/2021
18	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	बाल उमंग दृष्टि संस्था (BUDS)	हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली	01/03/2021
19	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	बाल उमंग दृष्टि संस्था (BUDS)	सराय काले खान, दिल्ली	02/03/2021
20	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	बाल उमंग दृष्टि संस्था (BUDS)	मोरी गेट दिल्ली	03/03/2021
21	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	बाल उमंग दृष्टि संस्था (BUDS)	शिव विहार, दिल्ली	04/03/2021
22	कोविड-19 जागरुकता-सह-एनएसएफडीसी योजना जागरुकता शिविर	भारतीय बांस संसाधन प्रौद्योगिकी केंद्र (CIBART)	बहराइच, उप्र	05/03/2021
23	राशन किट वितरण-सह-जागरुकता शिविर	महावीर इंटरनेशनल	नगली खादर, दिल्ली	18/03/2021
24	चयन समिति बैठक-सह-जागरुकता कार्यक्रम	निसबड	बॉदीकुई, दौसा, राजस्थान	08/02/2021
25	चयन समिति बैठक-सह-जागरुकता कार्यक्रम	निसबड	अलवर, राजस्थान	09/02/2021
26	चयन समिति बैठक-सह-जागरुकता कार्यक्रम	निटकॉन	लुधियाना, पंजाब	10/02/2021
27	चयन समिति बैठक-सह-जागरुकता कार्यक्रम	एसएलडीए	आलमनगर, लखनऊ (उप्र)	15/02/21 और 16/02/21
28	चयन समिति बैठक-सह-जागरुकता कार्यक्रम	निटकॉन	गंगा रामपुर (दक्षिण दीनाजपुर) पश्चिम बंगाल	18/02/21
29	चयन समिति बैठक-सह-जागरुकता कार्यक्रम	निसबड	दिल्ली	19/02/21

क्र. सं.	कार्यक्रम	एनजीओ / संस्थान	स्थान	दिनांक
30	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	निटकॉन	तिओर (दक्षिण दीनाजपुर) पश्चिम बंगाल	19/02/21
31	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	एचएलएफपीपीटी	भरतपुर, राजस्थान	19/02/21
32	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	एमएसएमई	इंदौर, मध्य प्रदेश	19/02/21
33	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	इंद्रधनुष वेलफेयर समिति	इंदौर, मध्य प्रदेश	20/02/21 और 21/02/21
34	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	एमएसएमई	पुहुचेरी	22/02/21
35	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	आईआईएसएसएससी	पाटन, गुजरात	22/02/21
36	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	आईआईएसएसएससी	मंडल, अहमदाबाद	23/02/21
37	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	आईआईएसएसएससी	वीरमगाम, अहमदाबाद	24/02/21
38	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	एटीडीसी	प्रतापगढ़, उप्र	25/02/21
39	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	एटीडीसी	उन्नाव, उप्र	26/02/21
40	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	एटीडीसी	दिलशाद गार्डन, दिल्ली	03/03/21
41	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	सिपेट	लखनऊ, उप्र	05/03/21
42	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	सिपेट	कोची—केरल	10/03/21
43	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	सिपेट	भोपाल, मध्य प्रदेश	10/03/21
44	कोविड-19 जागरुकता—सह—एनएसएफडीसी योजना जागरुकता शिविर	भारतीय बांस संसाधन और प्रौद्योगिकी केंद्र	बहराइच, उप्र	05/03/2021
45	चयन समिति बैठक—सह—जागरुकता कार्यक्रम	भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान	बाँदीपुर, जेएंडके	25/08/2021

### 2.1.12 महत्वपूर्ण पहल

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने एनएसएफडीसी के बारे में जागरुकता पर एक लघु वीडियो फिल्म बनाने की महत्वपूर्ण पहल की जिसे अंततः दिनांक 14.04.2021 को डॉ.बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर रिलीज किया गया। वीडियो फिल्म को एनएसएफडीसी और इसकी योजनाओं के बारे में अधिक जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो फिल्म को बाद में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मीडिया डिवीजन ने एनएसएफडीसी लघु फिल्म को मंत्रालय के फेसबुक पर भी अपलोड किया।

### 2.1.13 स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव

निगम ने दिनांक 8 फरवरी, 2021 को अपना स्थापना दिवस रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से कार्यालय भवन में रक्तदान शिविर आयोजित कर तथा स्लम क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन किट वितरित कर मनाया। इस अवसर पर, माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा एनएसएफडीसी गृह पत्रिका का विमोचन किया गया जिसमें एनएसएफडीसी के सामाजिक तथा आर्थिक विकास और उपलब्धियों पर सूचनात्मक लेख शामिल थे।



निगम का 33वां स्थापना दिवस का आयोजन



एनएसएफडीसी के 33वें स्थापना दिवस पर माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत के कर कमलों से निगम की त्रैमासिक 'अनुविनि गृह पत्रिका' के प्रथम अंक का विमोचन



08.02.2021 को एनएसएफडीसी के 33<sup>वें</sup> स्थापना दिवस पर निगम द्वारा स्कोप मीनार में आयोजित रक्त दान शिविर

निगम ने दिनांक 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस अवसर को विशिष्ट करने के लिए प्रतिष्ठित वक्ताओं को महिला अधिकारिता और स्वास्थ्य (वेलनेस) जैसे विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन के अवसर पर श्रीमती किरण पुरी, पूर्व संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'महिला सशक्तिकरण' विषय पर तथा डॉ. एस. दीपा, मुख्य चिकित्सकीय अधिकारी, सीजीएचएस आयुर्वेद वेलनेस सेंटर, नई दिल्ली ने 'स्वास्थ्य देखभाल' पर अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया।

#### 2.1.14 कार्यस्थल पर कोविड के उचित आचरण का अवलोकन करना

चल रही महामारी और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण, इस अवधि के दौरान, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यालय परिसर को नियमित आधार पर साफ किया गया। इसके अलावा, अतिरिक्त उपाय, जैसे सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग, कार्यालय में आगंतुकों की संख्या को सीमित करना, ड्यूटी रोस्टर, मास्क को सख्ती से लागू करना और अन्य के साथ बैठक/सम्मेलनों के लिए वर्चुअल प्लेटफार्मों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया।

#### 2.1.15 ऋण एवं गैर-ऋण आधारित योजनाओं के बाह्य मूल्यांकन अध्ययन (2018-19) की सिफारिशें

वर्ष के दौरान, मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट, नई दिल्ली ने दोनों ऋण आधारित योजनाओं और गैर-ऋण आधारित योजना (कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम) (2018-19 के दौरान आयोजित

अध्ययन) तथा वर्ष 2017–18 के दौरान ऋण प्राप्तकर्ता/कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता 2,400 (1,900 लाभार्थी एवं 500 प्रशिक्षणार्थी) को शामिल करते हुए 9 राज्यों में इसके लक्षित समूहों के आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव की अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

अध्ययन के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार शामिल लाभार्थी/प्रशिक्षणार्थियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र. सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल
(i)	असम	50	70	120
(ii)	छत्तीसगढ़	100	30	130
(iii)	हरियाणा	100	55	155
(iv)	केरल	200	45	245
(v)	महाराष्ट्र	100	0	100
(vi)	राजस्थान	100	60	160
(vii)	तेलंगाना	20	0	20
(viii)	उत्तर प्रदेश	200	150	350
(ix)	पश्चिम बंगाल	1,030	90	1,120
	<b>कुल</b>	<b>1,900</b>	<b>500</b>	<b>2,400</b>

**क. ऋण आधारित योजनाएं:**

योजनाओं का राज्यवार निष्कर्ष निम्नानुसार दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/एससीए या सीए	ऋण आधारित योजनाएं			
		दिए गए उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	संपत्ति अर्जित करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	गरीबी रेखा (बीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	दोगुनी गरीबी रेखा (डीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत
(i)	असम (जीडीएफ)	100.00%	96.00%	-	2.00%
(ii)	छत्तीसगढ़ (सीएसएसएसएफडीसी)	98.00%	95.00%	-	4.00%
(iii)	हरियाणा (एचएसएसएफडीसी)	99.00%	92.00%	-	0.00%

क्र. सं.	राज्य/एससीए या सीए	ऋण आधारित योजनाएं			
		दिए गए उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	संपत्ति अर्जित करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	गरीबी रेखा (बीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	दोगुनी गरीबी रेखा (डीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत
(iv)	केरल (केजीबी)	100.00%	94.00%	-	7.00%
	केरल (केएसडब्ल्यूडीसी)	100.00%	96.00%	-	10.00%
(v)	महाराष्ट्र (एएफएसपीएल)	100.00%	92.00%	-	3.00%
(vi)	राजस्थान (आरएसएफडीसी)	98.00%	88.00%	-	3.00%
(vii)	तेलंगाना (टीजीबी)	100.00%	लागू नहीं	-	0.00%
(viii)	उत्तर प्रदेश (बीयूपीजीबी)	99.00%	91.00%	-	1.00%
	उत्तर प्रदेश (जीबीए)	99.00%	90.00%	-	7.00%
(ix)	पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबीएससीएसटीडीएफसी)	98.00%	95.20%	100.00%	1.70%

जीडीएफ	: ग्रामीण डेवलपमेंट एंड फाइनेंस प्रा. लि.
सीएसएएसएफडीसी	: छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
एचएसएफडीसी	: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
केजीबी	: केरल ग्रामीण बैंक
केएसडब्ल्यूडीसी	: केरल राज्य महिला विकास निगम
एएफएसपीएल	: अनिक फाइनेंशियल सर्विसेस प्रा. लि.
आरएसएफडीसी	: राजस्थान अजा व अजजा वित्त एवं विकास सहकारी निगम
टीजीबी	: तेलंगाना ग्रामीण बैंक
बीयूपीजीबी	: बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक
जीबीए	: ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त
डब्ल्यूबीएससीएसटीडीएफसी	: पश्चिम बंगाल अजा, अजजा व अपिव विकास एवं वित्त निगम

### प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	अध्ययन के दौरान निरीक्षित किए गए लाभार्थियों की संख्या	9 राज्यों में 1,900
2.	दिए गए उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,873 (98.6%)
3.	संपत्ति अर्जित करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,767 (93.00%)
4.	गरीबी रेखा (बीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,900 (100%)*
5.	दोगुनी गरीबी रेखा (डीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	54 (2.8%)

\* इसमें 1896 लाभार्थी शामिल हैं जो ऋण प्राप्त करने से पहले गरीबी रेखा से ऊपर थे।

### सुझाव

- (i) **कम समय में ऋण मंजूर और संवितरित करना:** अध्ययन के दौरान, लाभार्थियों ने चैनल भागीदारों द्वारा आवेदन की धीमी प्रक्रिया और ऋण की स्वीकृति और संवितरण पर प्रकाश डाला है। संबंधित राज्यों में वर्ष 2017–18 में एनएसएफडीसी योजनाओं के तहत लाभार्थियों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने से लेकर ऋण प्राप्त करने तक का औसत समय छह माह का पाया गया। इस तरह की देरी आवेदकों को अपनी संभावित गतिविधियों/स्वरोजगार के लिए ऋण लेने से हतोत्साहित करती है जिसके कारण आर्थिक गतिविधि उसके इष्टतम उपयोग की संभावना को कम कर देती है। चैनल भागीदारों से ऋण राशि की मंजूरी में देरी को इसके मुख्य कारण के रूप में पहचाना गया है। इस प्रकार, आवेदन जमा करने की तारीख से तीन माह के भीतर लक्षित समूह को ऋण की मंजूरी और संवितरण के लिए चैनल भागीदारों को गाइड करना चाहिए और उन्हें निगरानी करनी जानी चाहिए।
- (ii) **ऋण की राशि बढ़ाएं :** अध्ययन में पाया कि एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत वर्ष 2017–18 में लाभार्थियों द्वारा प्राप्त औसत ऋण रु.67,872/- था। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 48% लाभार्थियों ने समुचित रूप से अपनी प्रस्तावित आर्थिक गतिविधि शुरू करने के लिए प्रदान किए गए ऋण की अपर्याप्त राशि के बारे में अपनी अपसन्नता व्यक्त की और ऋण की राशि में वृद्धि करने का सुझाव दिया। इस संबंध में, एनएसएफडीसी महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए ऋण की राशि को रु.1.00 लाख तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है।
- (iii) **चैनल भागीदारों के कार्यालयों के चक्कर लगाने की संख्या कम करें :** सर्वेक्षण में शामिल 70% लाभार्थियों ने कहा कि चैनल भागीदार के कार्यालय का बार-बार चक्कर लगाने के कारण उन्हें एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अतएव, चैनल भागीदारों का इस बात के लिए मार्गदर्शन किया जाए कि प्रलेखन की प्रक्रिया को सरल बनाकर तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए आईटी प्लेटफार्म जैसे कि एसबीएमएस (सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली) साफ्टवेयर लागू करके लाभार्थियों द्वारा चैनल भागीदारों का चक्कर लगाने की संख्या कम करें।
- (iv) **"सफलता की कहानियों" का प्रचार:** योजनाओं के दायरे का विस्तार करने और जागरूकता फैलाने के लिए, लाभार्थियों की 'सफलता की कहानी' को व्यापक रूप से प्रचारित करने की आवश्यकता है। यह इन कहानियों को 'वर्ड-ऑफ-माउथ' और 'पहले और बाद के' परिदृश्यों पर आधारित लघु फिल्मों के माध्यम से प्रसारित करके

किया जा सकता है। 'सफलता की कहानियां' दूसरों को अधिक प्रयोगात्मक होने के साथ-साथ जोखिम लेने की आकांक्षा में वृद्धि करते हुए गतिविधि को जारी रखने के लिए प्रेरित करेंगी।

**ख. गैर-ऋण आधारित योजना (कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एमएमईएस):**

**प्रमुख निष्कर्ष**

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

क्र. सं.	ब्योरा	विवरण
1.	अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या	7 राज्यों में 500
2.	एनएसएफडीसी के कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रतिशत	478 (96%)
3.	प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार की वर्तमान स्थिति	वैतनिक रोजगार      स्वरोजगार      बेरोजगार
		406                      42                      52 (81%)                      (9%)                      (10%)
4.	नौकरीपेशा प्रशिक्षुओं का औसत मासिक वेतन	औसत मासिक वेतन ₹13,108/- है।
5.	स्वरोजगार प्रशिक्षुओं का औसत मासिक वेतन	औसत मासिक आय ₹14,315/- है।

**अनुशासनाँ**

- (i) **दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना :** अध्ययन में पाया गया कि सभी प्रशिक्षुओं को तीन माह का प्रशिक्षण मिला है। 10<sup>वीं</sup> या इससे अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए दीर्घ अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वैतनिक रोजगार में नियुक्ति के बाद नौकरी छोड़ने की दर को कम किया जा सके।
- (ii) **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी):** अध्ययन में पाया गया कि केवल 9% प्रशिक्षु स्वरोजगार में हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) पहले से ही कुशल और उन युवाओं के लिए भी आयोजित किया जाना चाहिए जिनके पास उद्यमशीलता की प्रवृत्ति है और वे स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।

एनएसएफडीसी की गैर-ऋण आधारित योजना का यह मूल्यांकन अध्ययन, उनके उद्देश्यों को पूरा करने में कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की काफी हद तक पुष्टि करता है। यह प्रशिक्षुओं के कौशल विकास द्वारा सृजित किए गए रोजगार के अवसरों, रोजगार प्रदान करने में प्रशिक्षण के महत्व और प्रशिक्षण की गुणवत्ता से संतुष्टि के उदाहरण हैं। कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम हितधारकों के बीच लोकप्रिय पाठ्यक्रम हैं और प्रशिक्षुओं को संबंधित ट्रेडों में रोजगार प्राप्त करने में मदद करते हैं। व्यापक पैमाने पर, एनएसएफडीसी का कौशल विकास कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने में योगदान देता है

और लक्षित आबादी के लिए रोजगार के अवसर के साथ-साथ आवश्यक कौशल प्रदान करके 'समावेशी विकास' मॉडल को अनिवार्य रूप से सशक्त बनाता है।

### **बाह्य मूल्यांकन अध्ययन (2020–21)**

वर्ष 2020–21 के दौरान, एनएसएफडीसी कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए अपनी ऋण और गैर-ऋण आधारित योजनाओं का कोई बाह्य मूल्यांकन अध्ययन शुरू नहीं कर सका।

#### **2.1.16 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम – उपलब्धियां**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुसूचित जातियों के 10,511 व्यक्तियों (पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत 8,064 व्यक्ति और वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2020–21 तक 2,447 व्यक्तियों को पुनः वैध किया) को प्रशिक्षित करने के लिए ₹21.18 करोड़ की लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत और कार्यान्वित किए हैं और 37 कौशल प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय कौशल परिषदों के साथ साझेदारी स्थापित करके ₹16.28 करोड़ (लेखा परीक्षा रहित) [अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान प्रशिक्षण (अनुदान) – अग्रिम एवं प्रशिक्षण व्यय– लाभार्थी सहित, पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुदान तथा लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सीएसआर निधि जुटायी गयी] संवितरित किए।

विभिन्न ट्रेडों/क्षेत्रों जैसे लेखा कार्यकारी, एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क प्रबंधन, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग प्रबंधन में एडवांस डिप्लोमा, परिधान/फैशन डिजाइनर, एराइज हैंड होल्ड उत्पाद, एराइज रूम एयर कंडीशनर और घरेलू उपकरण, सहायक सौंदर्य चिकित्सक, सहायक बढ़ई-लकड़ी के फर्नीचर, सहायक सजावटी पेंटर, सहायक इलेक्ट्रीशियन, ऑटो सीएडी, ऑटोमोटिव सेवा तकनीशियन (दुपहिया और तिपहिया), बांस मैट वीवर, सीएनसी मिलिंग में सर्टिफिकेट कोर्स, सीएनसी टर्निंग में सर्टिफिकेट कोर्स, सीएनसी टर्निंग एंड मिलिंग में सर्टिफिकेट कोर्स, फिटर एंड रिगर में सर्टिफिकेट कोर्स, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स, डेकोरेटिव कटर ग्लासवेयर, डेकोरेटिव पेंटर ग्लासवेयर, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नियन, लीड बढ़ई-लकड़ी के फर्नीचर-लॉक इंस्टालर, मशीन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर-सीएनसी मिलिंग, मशीन ऑपरेटर-प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट-प्लास्टिक प्रोसेसिंग/प्लास्टिक एक्सट्रूजन, मशीन ऑपरेटर-इंजेक्शन मोल्डिंग, मशीन ऑपरेटर-प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मास्टर सीएएम, मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स सीएडी/सीएएम, मेडिकल रिकॉर्ड सहायक, चिकित्सा रिकॉर्ड और स्वास्थ्य सूचना तकनीशियन, मोबाइल फोन हार्डवेयर मरम्मत तकनीशियन, मोल्डिंग ऑपरेटर, ऑपरेटर-सिलाई-जूते, प्लंबर (सामान्य), उत्पादन पर्यवेक्षक (सिलाई), नमूना निर्माता-जूते, स्व-नियोजित दर्जी, सिलाई मशीन ऑपरेटर, स्टिचर-लेदर गुड्स एंड गारमेंट्स, टूल एंड डाई मेकर, ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडर, टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर, वेयरहाउस एसोसिएट्स आदि में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए।

10,511 व्यक्तियों ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जिनमें से 6,604 व्यक्तियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वरोजगार/वैतनिक रोजगार में प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के दौरान प्रशिक्षण शुरू करने वाले 11,945 व्यक्तियों के संबंध में प्रशिक्षण वर्ष के दौरान पूरा हुआ।

वर्ष 2020–21 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए और पूर्ण किए गए प्रशिक्षण का राज्य/संघ राज्यवार क्षेत्रवार सार अनुलग्नक IV में दिया गया है।

### 2.1.17 अनुसूचित जाति के बुनकर क्लस्टर का विकास

वर्ष के दौरान, दिनांक 10.02.2021 को विकास आयुक्त (हथकरघा) और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह सूचित किया गया कि दिनांक 07.08.2019 के पत्र के माध्यम से स्वीकृत ब्लॉक बोरदोलोनी, जिला-धेमाजी और ब्लॉक: अगोमोनी, जिला-धुबरी, असम में सभी स्वीकृत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एनएसएफडीसी के अनुरोध से सचिव, वस्त्र मंत्रालय सहमत नहीं है। ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर (बीएलसी) को मौजूदा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा, जिसमें एनएसएफडीसी बेसलाइन सर्वेक्षण, उत्पाद विकास, क्लस्टर गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, डिजाइनर नियुक्त करना और परियोजना प्रबंधन लागत (पीएमसी) को देखेगा और बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी), गुवाहाटी, वस्त्र मंत्रालय हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस) (प्रौद्योगिकी और कौशल उन्नयन) घटकों को स्वीकृति पत्र में उनके लिए किए गए बजटीय प्रावधान के अनुसार शामिल करेगा। वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले नए दिशानिर्देशों के अनुसार नए ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर (बीएलसी) स्वीकृत किए जाएंगे।



अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी द्वारा गदरा रोड, बाड़मेर, (राजस्थान) में विकसित हस्तशिल्प क्लस्टर का दौरा

### 2.1.18 अनुसूचित जाति के कारीगर क्लस्टर का विकास

इसी प्रकार, दिनांक 09.02.2021 को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वर्ष 2017–18 में राजस्थान राज्य में एनएसएफडीसी को स्वीकृत 02 एएचवीवाई क्लस्टर के तहत कार्यक्रमों को मंजूरी देने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वर्ष 2016–17 में राजस्थान राज्य में एनएसएफडीसी को स्वीकृत 02 एएचवीवाई क्लस्टर के तहत दूसरे वर्ष के हस्तक्षेप को मंजूरी देने पर विचार कर सकते हैं।

### 2.1.19 वर्ष 2020–21 के लिए सर्वोत्तम पांच कार्य-निष्पादन करने वाली राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां

#### (क) प्राप्त किया गया संवितरण

रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	राशि (रु. करोड़ में)
1	डब्ल्यूबीएससीएसटीएंडओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	71.28
2	आरएससीडीसी, राजस्थान	40.03
3	केएसडीसी, केरल	21.05
4	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	14.67
5	जीएससीडीसी, गुजरात	14.67

#### (ख) निधि का उपयोग (संचयी)

रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	प्रतिशत
1	साबको, सिक्किम	100.00%
2	केएसडीसी, केरल	99.51%
3	एचएसएफडीसी, हरियाणा	97.18%
4	यूबीवीईवीएन, उत्तराखंड	93.73%
5	टीएससीडीसी, त्रिपुरा	91.83%

#### (ग) अदायगी की गई

रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	राशि (रु. लाख में)
1	डब्ल्यूबीएससीएसटीएंडओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	5834.94
2	एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश	2000.06
3	जीएससीडीसी, गुजरात	1759.11
4	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	1079.53
5	केएसडीसी, केरल	902.00

(घ) कवर किए गए लाभार्थी

रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	संख्या
1	डब्ल्यूबीएससीएसटीएंडओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	53,573
2	आरएससीडीसी, राजस्थान	5,478
3	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	1,410
4	केएसडीसी, केरल	1,000
5	एचएसएफडीसी, हरियाणा	799

(ङ) महिला लाभार्थी

रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	संख्या
1	डब्ल्यूबीएससीएसटीएंडओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	52,865
2	आरएससीडीसी, राजस्थान	2,717
3	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	1,410
4	केएसडीसी, केरल	422
5	एचएसएफडीसी, हरियाणा	402

2.1.20 वर्ष 2020–21 के लिए सर्वोत्तम तीन कार्य–निष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

अखिल भारत के लिए संवितरण लिया गया		
रैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम	राशि (रु. करोड़ में)
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	34.99
2	बैंक ऑफ बड़ौदा	21.35

2.1.21 वर्ष 2020–21 के लिए सर्वोत्तम पांच कार्य–निष्पादन करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

संवितरण लिया गया		
रैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र के बैंक का नाम	राशि (रु. करोड़ में)
1	आर्यवर्त बैंक, उत्तर प्रदेश	94.50
2	तमिलनाडु ग्रामा बैंक, तमिलनाडु	54.00
3	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक	52.18
4	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा	31.50
5	पंजाब ग्रामीण बैंक, पंजाब	15.30

2.1.22 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलें

2.1.22(क) वसूली अवसंरचना के विकास के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की प्रोत्साहन योजना (आईएसएसडीआरआई)

आपका निगम वर्ष 2007–08 से एक वित्तीय वर्ष में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा एनएसएफडीसी को चुकाई गई कुल राशि का 0.5% की दर से प्रोत्साहन देने के लिए योजना चला रहा है, यह ऐसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के लिए है, जिनकी वित्त वर्ष के अंत में संचयी वसूली 60% से अधिक है अथवा पिछले वित्तीय वर्ष से कम से कम 10% अंश (पॉइंट) का वसूली में सुधार है और जिन्होंने एनएसएफडीसी को शत-प्रतिशत अदायगी की है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के अनुरोध पर, योजना को नीचे दिए अनुसार उदार किया गया है:

- (i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में, एनएसएफडीसी को शत-प्रतिशत अदायगी करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.5% उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5% पॉइंट है।
- (ii) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत में एनएसएफडीसी को 90% अदा करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.25% उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा उनका वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5% पॉइंट है।

चूंकि योजना का राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा अच्छा स्वागत किया गया था, इसलिए इसका कार्यान्वयन दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निम्नलिखित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है:

क्र. सं.	एससीए का नाम	प्रोत्साहन राशि (₹.)
1.	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	3,557 / –
2.	गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, गोवा	1,989 / –
3.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा	64,567 / –
4.	केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, केरल	1,13,656 / –
5.	केरल राज्य महिला विकास निगम, केरल	4,41,571 / –
6.	सिक्किम अजा, जनजाति व पिछड़ा वर्ग विकास निगम, सिक्किम	23,125 / –
7.	पश्चिम बंगाल अजा, अजजा व पिव विकास एवं वित्त निगम, पश्चिम बंगाल	9,04,142 / –
	<b>कुल</b>	<b>15,52,607 / –</b>

2.1.22(ख) 'राष्ट्रीय निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार' (एनएपीई) की योजना

आपका निगम, बेहतर निष्पादन करने वाले एससीए के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2007–08 से 'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का रेटिंग तंत्र और बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार की योजना' चला रहा है। योजना का नाम संशोधित कर 'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना' (एनएपीई) कर दिया गया है। योजना में संशोधन भारत सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

नई योजना वर्ष 2016–17 से लगभग ₹45.00 लाख प्रति वर्ष के कुल बजट से कार्यान्वित की जाएगी।

वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' के अंतर्गत निम्नलिखित एससीए को निष्पादन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी:

स्तर	पैरामीटर	पुरस्कार (रुपए लाख में)			कुल
		पहला	दूसरा	तीसरा	
I	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹3.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	5.00	3.00	2.00	10.00
II	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹3.00 करोड़ से अधिक और ₹10.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	7.00	5.00	3.00	15.00
III	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹10.00 करोड़ से अधिक की निधि लेने वाले एससीए	10.00	6.00	4.00	20.00
	<b>कुल</b>	<b>22.00</b>	<b>14.00</b>	<b>9.00</b>	<b>45.00</b>

2.1.23 लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलें

2.1.23(क) एनएसएफडीसी ऋण नीति में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए संशोधन

i) अतिरिक्त वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता मानदंड के संबंध में ऋण नीति में संशोधन

पहले प्रदान किए गए प्रमाणन मोड के अलावा, बीडीओ कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, एसईसीसी-2011 रिपोर्ट के अनुसार 3 या अधिक वंचित बिंदुओं का सामना करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 1.50 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है और इसलिए वे चालू वर्ष अर्थात् 31.3.2021 तक के लिए पात्र लाभार्थी हैं।

ii) एनएसएफडीसी की मियादी ऋण योजना में सहायता की प्रमात्रा को यूनिट लागत के 90% से बढ़ाकर यूनिट लागत के 95% तक करना।

- iii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार मियादी ऋण योजना के विभिन्न स्लैबों के तहत प्रवर्तक के योगदान में संशोधन:

क्र. सं.	परियोजना / इकाई लागत	पूर्व में	संशोधित
(i)	रु.1.00 लाख तक	इस पर बल नहीं दिया जाता है	
(ii)	रु.1.00 लाख से अधिक और रु.2.50 लाख तक	2%	2%
(iii)	रु.2.50 लाख से अधिक और रु.5.00 लाख तक	3%	
(iv)	रु.5.00 लाख से अधिक और रु.10.00 लाख तक	5%	3%
(v)	रु.10.00 लाख से अधिक और रु.20.00 लाख तक	7%	
(vi)	रु.20.00 लाख से अधिक	10%	5%

- iv) नीचे दी गई तालिका के अनुसार मियादी ऋण योजना के विभिन्न स्लैबों के तहत ब्याज दर में संशोधन:

ऋण सीमा (एनएसएफडीसी का अंश)	पूर्व में		संशोधित	
	एससीए / सीए	लाभार्थी	एससीए / सीए	लाभार्थी
रु.5.00 लाख तक	3%	6%	3%	6%
रु.5.00 लाख से अधिक और रु.10.00 लाख तक	5%	8%	5%	8%
रु.10.00 लाख से अधिक और रु.20.00 लाख तक	6%	9%	6%	9%
रु.20.00 लाख से अधिक और रु.47.50 लाख तक	7%	10%		

- v) लघु-ऋण योजनाओं के तहत यूनिट लागत का संशोधन (सूक्ष्म-ऋण वित्त, महिला समृद्धि योजना और आजीविका सूक्ष्म-वित्त योजनाएं) नीचे दी गई तालिका के अनुसार:

(राशि रुपयों में)

विवरण	पूर्व में		संशोधित	
	इकाई लागत	यूनिट लागत के 90% तक अधिकतम ऋण सीमा	इकाई लागत	इकाई लागत का 90% तक अधिकतम ऋण सीमा बशर्ते कि अधिकतम निर्धारित सीमा तक हों
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई)	75,000	67,500	1,40,000	1,25,000

नोट: अन्य पैरामीटर जैसे पात्रता, सब्सिडी, ब्याज दर, चुकौती अवधि, विलंबन काल और एमसीएफ, एमएसवाई और एएमवाई के दूसरी बार का ऋण अपरिवर्तित रहेगा।

vi) महिला अधिकारिता योजना (एमएआई) के रूप में नई महिला केंद्रित योजना का परिचय, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रूपयों में)

योजना	इकाई लागत	यूनिट लागत के 90% तक अधिकतम ऋण सीमा	वार्षिक ब्याज		चुकौती अवधि
			एससीए / सीए	लाभार्थी	
महिला अधिकारिता योजना (एमएआई)	₹.5.00 लाख तक	₹.4.50 लाख	2.5%	5.50%	10 वर्ष के अंदर

vii) स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के रूप में एक नई योजना का परिचय, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

योजना	इकाई लागत	यूनिट लागत के 90% तक अधिकतम ऋण सीमा	वार्षिक ब्याज		चुकौती अवधि
			एससीए / सीए	लाभार्थी	
स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई)	₹.15.00 लाख तक	₹.13.50 लाख	2% (पुरुष) 1% (महिला)	4% (पुरुष) 3% (महिला)	10 वर्ष के अंदर

viii) एनएसएफडीसी योजनाएं, जो मांग में नहीं हैं, को बंद करना

निम्नलिखित योजनाओं के लिए आवेदन कम आने के कारण दिनांक 01.04.2020 से बंद कर दिया गया है और एनएसएफडीसी की ऋण नीति से हटा दिया गया:

1. महिला किसान योजना,
2. शिल्पी समृद्धि योजना और
3. कार्यशील पूंजी ऋण

(ix) एनएसएफडीसी बोर्ड ने दिनांक 25.03.2021 को आयोजित अपनी 155<sup>वीं</sup> बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी कि पुनर्वित्त दावे की तारीख को बैंक के संपूर्ण बकाया मानक अनुसूचित जाति ऋण पोर्टफोलियो को कवर करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसी को पूर्वव्यापी रूप से पुनर्वित्त की अनुमति दी जाएगी।

- (x) एनएसएफडीसी बोर्ड ने दिनांक 25.03.2021 को आयोजित अपनी 155<sup>वीं</sup> बैठक में निर्धारित समय अवधि के भीतर उपयोग नहीं की गई और वापस की गई निधियों पर उच्च ब्याज दर (एचआरआई) को 4% से घटाकर 3% वार्षिक कर दिया तथा यह एससीए/सीए से एनएसएफडीसी द्वारा प्रभारित सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त होगा एवं यह संवितरण की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगा।

**2.1.23(ख) दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2022 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से रियायती वित्तपोषण के लिए प्रूडेंशियल मानक (नॉर्म्स) में संशोधन**

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए:**

मौजूदा मानक (खंड संख्या 9)	प्रस्तावित मानक (खंड संख्या 9)
क. चैनलाइजिंग एजेंसी की निवल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए 10% से कम होनी चाहिए। या	क. निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) संवितरण के वर्ष से पिछले 6 वर्षों में से कम-से-कम 3 वर्षों के दौरान 15% से कम होनी चाहिए।
ख. पिछले 05 वित्तीय वर्षों के लिए औसत निवल एनपीए 10% से कम होना चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी निवल एनपीए इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए हर वर्ष 10% से कम होना चाहिए।	ख. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) संवितरण के वर्ष से पिछले 6 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों के दौरान लाभ में होना चाहिए।  • फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।
ग. चैनलाइजिंग एजेंसी को पिछले वित्तीय वर्ष में लाभ होना चाहिए। या	ग. मांग के भुगतान के समय पूर्व संवितरण की कोई अतिदेय राशियाँ नहीं होनी चाहिए।
घ. चैनलाइजिंग एजेंसी पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 03 के लिए लाभ में होना चाहिए।	घ. समामेलित/ विलय वाली संस्थाओं के मामले में, संबंधित प्रायोजक बैंक के पास आरआरबी के प्रमुख भागीदार के पिछले वर्षों के एनपीए मानदंडों पर विचार किया जाएगा।
ङ. चैनलाइजिंग एजेंसी को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।	

**3. प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन**

**3.1 आय और व्यय लेखा**

- (i) वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन (निवल) से आय (राजस्व) ₹59.92 करोड़ है। वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन (निवल) से प्रचालन लाभ या अधिशेष/ राजस्व 58.78% है।
- (ii) वर्ष 2020–21 के दौरान, आपके निगम की आय ₹83.61 करोड़ से घटकर ₹72.52 करोड़ हो गई है।

- (iii) वर्ष 2020–21 में कर्मचारी लागत सहित कुल व्यय ₹22.57 करोड़ से बढ़कर ₹24.69 करोड़ हो गया।
- (iv) व्यय से आय की अधिकता, वर्ष 2019–20 के ₹61.04 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020–21 में ₹47.82 करोड़ है।

### 3.2 लाभ का विनियोजन

निगम व्यय से आय की अधिकता का 10% विशेष आरक्षित निधि में तथा शेष राशि सामान्य आरक्षित में अंतरित करता है। तदनुसार, विशेष आरक्षित निधि में ₹451.34 लाख विनियोजित किया है और सामान्य आरक्षित में भावी संवितरण करने के लिए ₹3980.13 लाख अंतरित किया है।

### 3.3 प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर अर्जन वर्ष 2019–20 के ₹40.79 और ₹40.79 (मूलभूत और तरलीकृत) की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान ₹31.88 और ₹31.88 (मूलभूत और तरलीकृत) है।

## 4. निगम की कार्य पद्धति में सुधार

### 4.1 समझौता-ज्ञापन श्रेणीकरण (2019–20)

आपके निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए समझौता-ज्ञापन की स्व-मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्व-मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निगम का समझौता-ज्ञापन के लिए संयुक्त स्कोर 81.94 है और 'बहुत अच्छा' रेटिंग के अनुरूप है।

### 4.2 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस का आईएस/आईएसओ 9001:2008 से आईएस/आईएसओ 9001:2015 में परिवर्तन

आपका निगम आईएसओ प्रमाणित संगठन है और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के आईएसओ मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) प्रमाणन की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

एनएसएफडीसी का गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा वर्ष 2019–20 में आईएसआई/आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) प्रमाणन की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप निगरानी-सह-परिवर्तन लेखापरीक्षा के सफल समापन के बाद, आईएस/आईएसओ 9001:2008 से आईएस/आईएसओ 9001:2015 में संशोधित किया गया था। इसके बाद, दिसंबर, 2020 माह में आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुसार नवीनीकरण लेखापरीक्षा के संतोषजनक समापन पर, लाइसेंस के नवीनीकरण की संस्तुति नवंबर, 2022 तक की अवधि के लिए की गई है।

### 4.3 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सुदृढीकरण

- आपके निगम ने एक नई गतिशील, दिव्यांग अनुकूल, द्विभाषी वेबसाइट प्रारंभ की थी और अनुरक्षित कर रहा है। जो भारत सरकार के वेबसाइट दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुपालन में एक वेब आधारित कौशल प्रशिक्षण अनुप्रयोग है जिसे एनआईसी क्लाउड सर्वर में होस्ट किया जा रहा है।

- आपका निगम विभिन्न रिपोर्टों के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना संबंधी आंकड़ों के लिए डाटाबेस अनुरक्षित कर रहा है। विभिन्न वायरसों, स्पाईवेयर, एडवेयर और अन्य दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति आंकड़ों, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के व्यापक संरक्षण के लिए आपके निगम ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से अपडेट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के सुदृढीकरण हेतु रिपोर्ट वर्ष के दौरान, पीसी, लैपटॉप, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों का प्रापण किया गया।
- योजना नामतः वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विसवास) योजना नाम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक नई ब्याज सहायता को लागू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से, पात्र स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और व्यक्तिगत लाभार्थियों का डेटा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और इसी तरह के वित्तीय संस्थानों द्वारा निगम को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद, 5% की दर से ब्याज सबवेंशन पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
- निगम द्वारा कौशल प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों के लिए एक वेब आधारित पोर्टल आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। पोर्टल में आपके निगम द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किए जा रहे प्रशिक्षु विवरणों को अपलोड करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों/चैनल भागीदारों के लिए प्रावधान है। प्रशिक्षु डेटा को निगम द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों/चैनल भागीदारों को प्रशिक्षण लागत के चरण-वार अंतरण और प्रशिक्षुओं की वृत्तिका के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करने से पूर्व सत्यापित किया जाता है।

## 5. मानव संसाधन विकास

### 5.1 मानव पूंजी और एनएसएफडीसी स्टाफ का प्रशिक्षण

आपके निगम में 31 मार्च, 2021 को प्रधान कार्यालय और निगम के तीन संपर्क केंद्रों को मिलाकर कुल 78 कर्मचारी नियोजित थे। निगम, संगठनात्मक स्थापना में अलग-अलग व्यक्तियों और समूहों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और विकास को, संगठनात्मक क्रियाकलापों से संबंधित कार्य के रूप में मानता है। अपने मानव संसाधनों के कौशल को अधिनियमों, नियमों और व्यवसायिक लक्ष्यों को नवीनतम आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखने के लिए कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, आपके निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रबंधन से संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रमुख संस्थानों में भेजा गया। प्रशिक्षण और संस्थानों के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम
1	पूर्वोत्तर क्षेत्र में समझौता-ज्ञापन दिशानिर्देश 2021-22 पर प्रशिक्षण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई)
2	विवेकपूर्ण वित्तीय योजना	कोटक महिंद्रा लाइफ कंपनी लिमिटेड (जूम के माध्यम से ऑनलाइन कार्यशाला)
3	वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंतरिक हस्तक्षेप को कम करना – डॉ. दीपा मलिक द्वारा	केएसआर स्पोर्टसीड प्राइवेट लिमिटेड (ऑनलाइन गूगल जूम)
4	एडवांस एक्सेल	मेसर्स टुलबज टेक्नोलॉजीज (ऑनलाइन प्रशिक्षण)

**5.2 निगम के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व**

आपके निगम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षण और छूट के लिए भारत सरकार की नीति का अनुपालन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त दि.04.06.2009 के पत्र सं.1-4 / 2009-सम के माध्यम से प्राप्त कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 14.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035 / 17 / 2008-स्था.(आरक्षण) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांगजन के प्रतिनिधित्व संबंधी अपेक्षित डाटा निर्धारित प्रारूप में क्रमशः अनुलग्नक-V, VI और VII पर है।

**5.3 भर्ती में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान देने के लिए उपाय**

आपका निगम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.07.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39016 / 7(एस) / 2006-स्था.(बी) में निहित दिशानिर्देशों और गाइडलाइनों तथा अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की भर्ती के लिए विशेष ध्यान देने के विचारार्थ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रमों का पालन भी कर रहा है।

**5.4 कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न**

निगम ने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है तथा कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा-4 के अनुपालन में आपकी कंपनी ने संगठन के परिसर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं / शिकायतों, यदि कोई हो, की जांच पड़ताल करने के लिए प्रधान कार्यालय में तथा संपर्क केंद्रों के स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति (समितियों) का दिनांक 9 जुलाई, 2019 को पुनर्गठन किया है। प्रधान कार्यालय तथा सभी संपर्क केंद्रों के बोर्ड पर आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्यों के नामों और संपर्क ब्यौरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी की वेबसाइट पर आंतरिक शिकायत समिति, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू) अधिनियम, हैंडबुक, शी-बॉक्स लिंक (<http://www.shebox.nic.in/user/faq>) और ई-मेल आईडी ([nsfdc.shwwicc@gmail.com](mailto:nsfdc.shwwicc@gmail.com)) से संबंधित सभी सूचना उपलब्ध कराई गई थी।

निगम ने 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूकता पर आधारित 'स्पर्श' शीर्षक से एक लघु वीडियो जारी किया।

**आंतरिक शिकायत समिति की बैठकें:**

वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए दिनांक 26.06.2020, 07.12.2020 और 24.03.2021 को एनएसएफडीसी की आंतरिक समिति (आईसीसी) की तीन बैठकें हुईं।

**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति की वार्षिक रिपोर्ट**

इसके अलावा, अधिनियम की धारा-22 के अनुपालन में यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित है:

1.	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निपटान किया गया	लागू नहीं
3.	ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक तक लंबित थे	लागू नहीं
4.	यौन उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्या	शून्य
5.	कार्रवाई का स्वरूप	अपेक्षित नहीं

## 6. अन्य उपलब्धियां

### 6.1 राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

एनएसएफडीसी, संघ की राजभाषा नीति और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, निगम के कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। हिंदी कार्यान्वयन का कार्य उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग) की अध्यक्षता में प्रबंधक, कार्यपालक और कनिष्ठ कार्यपालक द्वारा किया जाता है।

#### 6.1.1 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) रूप से जारी किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020–21 और अन्य आदेश/निर्देशों को अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम के सभी विभागों/अनुभागों/संपर्क केंद्रों को प्रेषित किया गया। राजभाषा नीति के अनुपालन में जांच बिंदुओं को जारी किया गया।

#### 6.1.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

एनएसएफडीसी में राजभाषा नीति के अनुसार, राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एनएसएफडीसी राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है और इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित हुईं। वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कुल चार बैठकें दिनांक 25.06.2020, 24.09.2020, 02.12.2020 और 23.02.2021 को आयोजित की गईं। समिति ने वार्षिक कार्यक्रम 2020–21 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) और राजभाषा नियम, 1976 के संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु रणनीति की रूपरेखा तैयार की। समिति ने इस संबंध में, आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा की और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित सुझावों की सिफारिश की।

#### 6.1.3 हिंदी कार्यशाला का आयोजन

वर्ष के दौरान, दिनांक 14.09.2020, 21.09.2020, 02.11.2020, 05.01.2021 और 02.03.2021 को पांच इन-हाउस कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिसमें एनएसएफडीसी कार्मिकों को राजभाषा हिंदी में टिप्पण और

मसौदा लेखन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी का बेहतर उपयोग करने और इनस्क्रिप्ट / लिप्यंतरण / कंप्यूटर पर गूगल वॉयस टाइपिंग टूल्स के साथ यूनिकोड में हिंदी टाइपिंग, हिंदी तिमाही रिपोर्ट भरने, कंठस्थ एप्लिकेशन के अलावा संघ की राजभाषा नीति के नवीनतम प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

### 6.1.4 हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह

वर्ष के दौरान, 14 सितंबर, 2020 को हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी के संदेश पढ़े गए। निगम के कार्मिकों द्वारा कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने हेतु प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्रों में 14–18 सितंबर, 2020 की अवधि के दौरान 'हिंदी सप्ताह' का आयोजन किया गया। इस दौरान, प्रधान कार्यालय, दिल्ली और संपर्क केंद्रों में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे – हिंदी टिप्पण/आलेखन, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता, निजी संस्मरण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।



दिनांक 14 सितंबर, 2020 को हिंदी सप्ताह का उद्घाटन

इसके अलावा, इस वर्ष के दौरान निगम ने कार्मिकों के तीन आयु समूहों में 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता शुरू की गई। इस प्रतियोगिता का आयोजन सफल रहा। सभी पाँच विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

### 6.1.5 हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं

वर्ष के दौरान, गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कार्मिकों को हिंदी में अधिकाधिक काम करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं जैसे (1) मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना, (2) अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना, (3) हिंदी में टाइपलेखन और आशुलिपि कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता



राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु एनएसएफडीसी कार्मिकों का सम्मान

योजना, (4) एनएसएफडीसी राजभाषा चल शील्ड योजना, (5) श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना और (5) समवर्ती मूल्यांकन पुरस्कार योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया। श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना के अंतर्गत श्री हरीभजन, उप प्रबंधक, प्रशासन विभाग को राजभाषा हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। राजभाषा चल शील्ड पुरस्कार के अंतर्गत प्रशासन विभाग को सम्मानित किया गया और विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



माननीय संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17 नवंबर, 2020 को नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का दिल्ली स्थित नगर राजभाषा समिति के अध्यक्ष तथा अन्य 9 सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों सहित विचार-विमर्श कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन

### 6.1.6

#### हिंदी कवि सम्मेलन

दिनांक 08.02.2021 को हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया गया था। जिसमें सुप्रसिद्ध कवियों डॉ. लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, श्रीमती ममता किरण, श्री महेंद्र शर्मा और श्री दीपक गुप्ता ने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को आनंदित किया। इस कार्यक्रम को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया।



हास्य कवि सम्मेलन – गजलकार श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, कवियत्री श्रीमती ममता किरण, कवि श्री महेंद्र शर्मा और श्री दीपक गुप्ता

### 6.1.7

#### गृह पत्रिका

वर्ष के दौरान, 08 फरवरी, 2021 को निगम के 33<sup>वें</sup> स्थापना दिवस पर माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता श्री थावरचंद गहलोत के कर कमलों से एनएसएफडीसी की गृह पत्रिका "अनुविनि गृह पत्रिका" का विमोचन किया गया। जिसका ई-संस्करण भी जारी किया गया।

6.2

### सतर्कता जागरुकता सप्ताह

वर्ष के दौरान, आपके निगम में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' विषय पर दिनांक 27.10.2020 से 02.11.2020 तक 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह- 2020' मनाया गया।

'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' का उद्घाटन दिनांक 27.10.2020 को निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा – शपथ दिलाने के साथ आरंभ हुआ। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने कार्मिकों को सतर्कता के महत्व पर संबोधित किया। इसी प्रकार, आपके निगम के संपर्क केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने संपर्क केंद्रों में भी शपथ लेने के साथ 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' का आरंभ हुआ।



सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान प्रतिज्ञा लेते हुए एनएसएफडीसी के कार्मिक

इस अवसर पर भारत के महामहीम राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार और मुख्य सतर्कता आयुक्तों के संदेशों को आपके निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ के लिए सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया गया। साथ ही सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर एनएसएफडीसी सूचना प्रदाता नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) भी प्रदर्शित की गई थी।

'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' के दौरान आपके निगम द्वारा आंतरिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर आयोजित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने की अनुभूतिपूर्ण आवश्यकता पर विचार करने और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर/नारे प्रदर्शित किए गए।

उपर्युक्त के अलावा, सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन तीन राष्ट्रीय निगमों अर्थात् एनएसएफडीसी, नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनबीसीएफडीसी) और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसकेएफडीसी) के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 14वीं मंजिल, (कोर 1 व 2), एनएसएफडीसी बोर्ड रूम, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली में दिनांक 02.11.2020 एनएसएफडीसी की सतर्कता इकाई द्वारा एक कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

श्री जे. एस. इमैनुएल, अपर पुलिस अधीक्षक, सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद द्वारा कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम का संचालन किया गया, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए एनएसएफडीसी द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित कार्यक्रम में एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के अधिकारियों ने भाग लिया। श्री

इमैनुएल ने भारत में सतर्कता की उत्पत्ति से लेकर उसकी विकास प्रक्रिया पर सारगर्भित वक्तव्य देते हुए सीबीआई में कार्यरत अपने लंबे अनुभव तथा भ्रष्टाचार रोधी शाखा संबंधी व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की। इस कार्यशाला ने सभी तीन राष्ट्रीय निगमों के अधिकारियों के लिए रोचक एवं सचेत करने वाले अनुभव के रूप में काम किया क्योंकि सतर्कता के निवारक एवं दंडात्मक पहलुओं पर, विस्तार से चर्चा की गई और इस विषय पर पर्याप्त जागरुकता का सृजन किया जा सका।

इसके अलावा, निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए 'क्या करें और क्या न करें' की सूची, एनएसएफडीसी की आचार, अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत परिभाषित कदाचारों और एनएसएफडीसी की सूचना प्रदाता नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया।

एनएसएफडीसी के कौशल प्रशिक्षण भागीदार नामतः डालमिया भारत फाउंडेशन एंड लाइफ साइंस सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एलएसएसएसडीसी) तथा सीएसआर भागीदारों जैसे अनुग्रह दृष्टिदान एवं टेक महिंद्रा फाउंडेशन ने अपने कार्यस्थल पर सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया।

### 6.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपका निगम अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन कर रहा है।

- (i) अपने कार्यकर्ताओं सहित निगम के कार्य का ब्योरा निगम की वेबसाइट ([www.nsfdc.nic.in](http://www.nsfdc.nic.in)) पर दिया गया है।
- (ii) अधिनियम के अंतर्गत, यथा अपेक्षित मैनुअलों को तैयार किया गया और वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।
- (iii) निगम ने अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपीलीय प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी को पदनामित किया।
- (iv) निगम आरटीआई के शुरुआती वर्ष 2016–17 से ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रबंधित आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर अनुकूलन के जरिए आरटीआई को ऑनलाइन कार्यान्वित कर रहा है।
- (v) वर्ष के दौरान, 47 आवेदन और 02 अपील प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों को निर्धारित समय के अंदर निपटाया गया।
- (vi) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 और 10.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/2011-आईआर के संबंध में, इस निगम ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत दी गई समय-सीमा के भीतर स्वतः खुलासा करने संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। वर्ष 2019–20 के दौरान, सीआईसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, एनएसएफडीसी ने पारदर्शिता लेखापरीक्षा के ढांचे में एनएसएफडीसी द्वारा किए गए स्व-मूल्यांकन के आईएसटीएम, नई दिल्ली द्वारा किए गए तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षा के बाद 728 (95.88%) में से 698 अंक प्राप्त किए। एनएसएफडीसी द्वारा प्रकाशित स्वतः संज्ञान (सू-मोटो) के खुलासे <https://nsfdc.nic.in/hi/rti-act> पर उपलब्ध हैं।

(vii) केंद्रीय सूचना आयोग को ऑन-लाइन रिपोर्ट किए गए अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदनों की वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रत्येक तिमाही की स्थिति नीचे दी जा रही है:

	तिमाही के आरंभ में प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को रद्द किया	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को रद्द किया
<b>पहली तिमाही के दौरान प्रगति (अप्रैल से जून, 2020)</b>						
अनुरोध	01	0	11	02	04	05
पहली अपील	0	लागू नहीं	1	लागू नहीं	0	0
<b>दूसरी तिमाही के दौरान प्रगति (जुलाई से सितंबर, 2020)</b>						
अनुरोध	01	04	10	0	01	14
पहली अपील	01	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	01
<b>तीसरी तिमाही के दौरान प्रगति (अक्तूबर से दिसंबर, 2020)</b>						
अनुरोध	0	0	8	03	01	04
पहली अपील	0	लागू नहीं	01	लागू नहीं	0	01
<b>चौथी तिमाही के दौरान प्रगति (जनवरी से मार्च, 2021)</b>						
अनुरोध	0	0	13	0	05	06
पहली अपील	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0
	नामोद्दिष्ट सीएपीआईओ की कुल संख्या	नामोद्दिष्ट सीएपीआईओ की कुल संख्या	नामोद्दिष्ट पारदर्शिता अधिकारी की कुल संख्या	नामोद्दिष्ट अपीलीय अधिकारी की कुल संख्या		
	0	1	1	1		

**ब्लॉक II (संगृहीत शुल्क, प्रभारित दंड और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विवरण)**

	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
धारा 7(1) के अंतर्गत संगृहीत पंजीकरण शुल्क (रु. में)	0	10	0	0
धारा 7(3) के अंतर्गत संगृहीत अतिरिक्त शुल्क (रु. में)	0	0	0	0

(viii) केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड सूचना का अधिकार पर चौथी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2021 के सूचना का अधिकार के 02 आवेदन लंबित थे। इन आवेदनों का बाद में निर्धारित समय सीमा में जवाब दिया गया।

#### 6.4 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

आपके निगम द्वारा किए गए क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के अंतर्गत विवरणों के प्रकटीकरण के दायरे में नहीं आते, जहां तक यह ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित है।

#### 6.5 वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार

कंपनी की वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार फार्म संख्या एमजीटी-9 में अनुलग्नक-VIII पर अनुबद्ध है।

#### 7. कर्मचारी और संबंधित प्रकटन का विवरण

अधिनियम की धारा 197(12) के प्रावधान और कंपनी नियम, 2014 के नियम 5(2) 5(3) (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के संबंध में पूर्ण वर्ष तक नियोजित रहे कर्मचारियों, जिन्हें उक्त नियमों में दी सीमा से अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है, के नाम और विवरण इसके साथ अनुलग्नक-IX पर अनुबद्ध हैं।

पारिश्रमिक संबंधी प्रकटन और अधिनियम की धारा 197(2) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के तहत आवश्यक अन्य विवरणों को वार्षिक लेखे में दिया गया है।

#### 8. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) नीति बनाई और बोर्ड को संस्तुति के लिए प्रस्तुत की गई है। कंपनी के कार्यकलापों को दर्शाने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को कंपनी की वेबसाइट पर <http://www.nsfdc.nic.in/hi/csr> पर देखा जा सकता है।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक-X में संलग्न है।

#### 9. संसाधन संपर्क कार्यक्रम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में कुछ प्रकटीकरण अपेक्षित हैं। आपका निगम अधिनियम की अनुसूची-VII में निर्दिष्ट गतिविधियों को पूरा करता है। अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत आने वाली निगमित कंपनियां, जो दिनांक 27.02.2014 की अधिसूचना के अनुसार जारी नई कंपनी नियमावली (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति), 2014 में भी उल्लेखित हैं कि वे कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कोविड-19 राहत गतिविधियों के संचालन के लिए लागत साझा करने के लिए कॉर्पोरेट फाउंडेशन के साथ भागीदारी की। कॉर्पोरेट फाउंडेशन हिंदुस्तान लेटेक्स

फैमिली प्लानिंग ट्रस्ट (HLFPT) और टेक महिंद्रा फाउंडेशन (TMF) हैं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कोविड-19 राहत गतिविधियों के लिए अपने अंश के रूप में क्रमशः एचएलएफपीटी द्वारा रु.11.99 लाख की राशि और टीएमएफ द्वारा रु.11.79 लाख की राशि का योगदान दिया गया था जो समग्रतरु रु.23.78 है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल लागत रु.77.78 लाख है और कोविड-19 राहत गतिविधियों की कुल लागत रु.19.82 लाख है।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम फील्ड तकनीशियन हैं – अन्य घरेलू उपकरण (120 सं.), स्व-रोजगार दर्जी (60 सं.) और परिधान / फैशन डिजाइनर (90 सं.)। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम नयागढ़, ओडिशा और भरतपुर, राजस्थान में स्वीकृत किए गए हैं। कोविड-19 राहत गतिविधियों में मुंबई, महाराष्ट्र में सामुदायिक शौचालयों की कीटाणुशोधन (160 सं.) और दिल्ली में राशन किट वितरण (1000 सं.) हैं।

### 10. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कंपनी, कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन करती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट इस रिपोर्ट का अविभाज्य अंग है और अनुलग्नक—XI पर है। कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण-पत्र कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं एवं कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट अनुलग्नक—XII पर अनुबद्ध हैं।

### 11. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की अध्यक्षता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने की। दिनांक 31.03.2021 को बोर्ड में 7 सदस्य थे। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संबद्ध कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

### 12. निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की दो बैठकें आयोजित हुईं। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुबद्ध कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

#### 12.1 पारिश्रमिक समिति

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, पारिश्रमिक समिति की एक बैठक दिनांक 27.11.2020 को आयोजित हुई।

#### 12.2 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 की शर्तें पूरी करता है। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में श्री रजनीश के. जैनव, श्री संजय पांडे, श्री एस. एम. आवले हैं। श्रीमती अन्नु भोगल (कंपनी सचिव), लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

### 13. जोखिम प्रबंधन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में निदेशक मंडल द्वारा जोखिम का उचित मूल्यांकन करने, प्रबंधन, कार्य (फ्रेम वर्क) और आंतरिक जोखिम मूल्यांकन को भी कम करने, कॉरपोरेट के उद्देश्यों को एकीकृत और संरेखित करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति अनुमोदित की गई है, जिसे दिनांक 15.11.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 152<sup>वीं</sup> बैठक में संशोधित किया गया।

कंपनी, मुख्य जोखिम एवं अनिश्चितताएं, जो कंपनी की कार्यनीति के उद्देश्य की प्राप्ति के सामर्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, को सुलझाने का प्रबंध, अनुश्रवण करती है तथा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। कंपनी की प्रबंधन समिति, संगठनात्मक ढांचा, प्रक्रिया और स्तर तथा आचार संहिता बताती है कि कंपनी व्यापार को तथा उससे जुड़े जोखिमों को कैसे प्रबंधित करती है। तदनुसार, निगम के सभी विभागों के प्रमुख जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा संभावित जोखिम क्षेत्रों का आकलन किया जाता है और सुझाए गए संवेदनशील क्षेत्रों को निदेशक मंडल के समक्ष और तिमाही निदेशकों की समीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाता है।

### 14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

### 15. वार्षिक आम बैठक

वर्ष के दौरान, वर्ष 2019–20 के लेखों को अपनाने के लिए दिनांक 30.12.2020 को 31<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई थी। अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नाम में एक शेरर के सिवाय संपूर्ण शेरर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा धारित है, जिनका प्रतिनिधित्व सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है। वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखे निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ अपनाए गए।

### 16. निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134(5) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकों का कहना है कि:

- क. वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- ख. वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।

- ग. निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखे को कार्यशील आधार पर तैयार किया है।
- ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने योग्य आंतरिक नियंत्रणों को बनाया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

### 17. कोविड-19 महामारी के दौरान एनएसएफडीसी के कार्यक्रम

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020 के तहत राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा की, जिसे समय-समय पर 17.05.2020 तक बढ़ाया गया।

हालांकि, कंपनी का संचालन बाधित नहीं हुआ और इसका कोई वित्तीय प्रभाव भी नहीं है। इस महामारी का 31.03.2021 तक कंपनी के नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया है।

एनएसएफडीसी ने पैन इंडिया में महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 सीएसआर पहल की है।

कोविड-19 सीएसआर पहल परियोजनाओं के लिए रु.168.02 लाख की राशि मंजूर की गई और रु.159.32 लाख की राशि जारी की गई। एनएसएफडीसी ने हर समय वंचित लोगों की मदद करने के उद्देश्य से अपने नियमित और सीएसआर कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। जोकि निम्नानुसार है:

- एनएसएफडीसी ने पीएम केयर्स फंड में ₹20.00 लाख का योगदान किया गया।
- दिल्ली, बंगलूरु और मुंबई में ₹39.81 लाख की राशि से 1097250 (सं) तैयार भोजन का वितरण।
- दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, पुद्दुचेरी और हरिद्वार में ₹43.19 लाख राशि से 6613 (सं) राशन किट का वितरण।
- त्रिवेंद्रम, चंडीगढ़, पटना और मुंबई में अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों को ₹13.43 लाख की 1600 (सं) पीपीई किट का प्रावधान।
- दिल्ली, कुशीनगर, चुराचांदपुर और हैदराबाद के कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्रों में ₹41.30 लाख के चिकित्सा उपकरणों जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, एक्स-रे मशीन, दवाएं, ऑक्सीजन कंट्रोल पैनल का प्रावधान किया।
- मखनीपुरवा और हिमाचल प्रदेश में ₹1.66 लाख की एनिमेशन फिल्म के माध्यम से कोविड-19 पर जागरूकता अभियान।
- धारावी, मुंबई में ₹6.14 लाख की लागत से 160 सामुदायिक शौचालयों का कीटाणुशोधन।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली में लगभग 100 व्यक्तियों को टीकाकरण की सुविधा।

## 18. लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

### 18.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स वी. सहाय त्रिपाठी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। इस रिपोर्ट में कंपनी की रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर क्रमशः परिशिष्ट—क और ख पर दिए गए हैं।

### 18.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एमएबी—IV के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) और (7) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां और कंपनी का उत्तर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट—ग पर है।

### 18.3 आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध समिति के लिए कार्य प्रबंधन कोड और नीति बनाई है। कंपनी के सभी निदेशक मंडल और कोड के अनुपालन को मुख्य अधिकारियों ने स्वीकार किया है।

## 19. सामान्य

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है:

- धारा 149 की उप धारा (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर बयान;
- यदि कंपनी धारा 178 की उप धारा (1) के अंतर्गत शामिल है तो अर्हताएँ निश्चित करने के मानदंड, कंपनी की नीति, सकारात्मक विशेषताएँ, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा धारा 178 की उप धारा (3) के अंतर्गत दिए अन्य मामलों सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति;
- धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण;
- धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ संविदा अथवा व्यवस्था संबंधी निर्धारित प्रारूप में विवरण;
- राशि, यदि कोई है, उसे लाभांश के रूप में अदा करने के लिए संस्तुत किया जाना चाहिए;

- (vi) प्राधिकारियों अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई विशेष या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी प्रचालन को प्रभावित करें।

20. आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, निगम के कार्मिकों द्वारा वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आपके निगम को बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए समय-समय पर मार्गदर्शन देने में सतत् सहायता करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण, कंपनी कार्य विभाग, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं राज्य स्तर के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों तथा अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा दी गई सतत् सहायता के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों की सतत् सलाह एवं मार्गदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।


कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(रजनीश कुमार जैनव)  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
डीआईएन : 09056584

स्थान : दिल्ली  
दिनांक : 06.10.2021

संगठन चार्ट (31.03.2021 को)



**राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार सूची**

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड 2. आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम
2.	असम	3. असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड
3.	बिहार	4. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
4.	छत्तीसगढ़	5. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
5.	गोवा	6. गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
6.	गुजरात	7. गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम 8. डॉ. अम्बेडकर अंतोदय और विकास निगम
7.	हरियाणा	9. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
8.	हिमाचल प्रदेश	10. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम
9.	झारखंड	11. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम
10.	जम्मू व कश्मीर	12. जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड
11.	कर्नाटक	13. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विकास निगम लिमिटेड
12.	केरल	14. केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड 15. केरल राज्य महिला विकास निगम
13.	मध्य प्रदेश	16. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
14.	महाराष्ट्र	17. महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड 18. साहित्यरत्न लोकशाहिर अन्ना भाऊ साठे विकास निगम 19. संत रोहिदास चर्मोद्योग एवं चर्मकार विकास निगम
15.	मणिपुर	20. मणिपुर जनजाति विकास निगम लिमिटेड 21. मणिपुर राज्य अजजा और अजा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड
16.	मेघालय	22. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड
17.	मिजोरम	23. मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड 24. मिजोरम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
18.	ओडिशा	25. ओडिशा अजा और अजजा विकास वित्त सहकारी निगम लिमिटेड
19.	पंजाब	26. पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम
20.	राजस्थान	27. राजस्थान अजा और अजजा वित्त एवं विकास सहकारी निगम
21.	सिक्किम	28. सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम
22.	तमिलनाडु	29. तमिलनाडु आदि द्रविड़ गृह एवं विकास निगम
23.	त्रिपुरा	30. त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
24.	उत्तर प्रदेश	31. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
25.	उत्तराखंड	32. उत्तराखंड बहु-उद्देशीय वित्त एवं विकास निगम
26.	पश्चिम बंगाल	33. पश्चिम बंगाल अजा एवं अजजा विकास एवं वित्त निगम
27.	चंडीगढ़	34. चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
28.	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव	35. दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
29.	दिल्ली	36. दिल्ली अजा, अजजा, अपिव, अल्पसंख्यक और विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम लि.
30.	पुद्दुचेरी	37. पुद्दुचेरी आदि द्रविड़ विकास निगम लिमिटेड

**टिप्पणी:**

विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप राज्य और संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर है, जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है इसलिए विवरणिका में शामिल नहीं किया गया है।

अनुलग्नक-II (ख)  
(पैरा 1.7 देखें)  
(2 का 1)

### चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची – वैकल्पिक चैनल

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
		2. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
		3. सप्तगिरी ग्रामीण बैंक
		4. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
2	असम	5. ग्रामीण विकास एवं वित्त प्राइवेट लिमिटेड
		6. असम ग्रामीण विकास बैंक
		7. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम
3	बिहार	8. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक
		9. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
4	छत्तीसगढ़	10. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
5	दिल्ली	11. पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली (संपूर्ण भारत में)
		12. पंजाब एंड सिंध बैंक, नई दिल्ली (संपूर्ण भारत में)
		13. डॉन बास्को टेक सोसायटी
6	गुजरात	14. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
		15. श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड
		16. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
7	हरियाणा	17. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक
8	हिमाचल प्रदेश	18. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
9	झारखंड	19. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
		20. झारखंड सिल्क, टेक्सटाइल्स एवं हैंडिक्राफ्ट्स विकास निगम
10	कर्नाटक	21. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
		22. कर्नाटक ग्रामीण बैंक
		23. केनरा बैंक, बेंगलूरु (संपूर्ण भारत में)
11	केरल	24. केरल ग्रामीण बैंक
12	महाराष्ट्र	25. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
		26. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक
		27. अनिक वित्तीय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
		28. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (संपूर्ण भारत में)
		29. बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई (संपूर्ण भारत में)
13	मध्य प्रदेश	30. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
		31. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
14	मणिपुर	32. मणिपुर ग्रामीण बैंक
15	ओडिशा	33. संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
16	पुद्दुचेरी	34. पुद्दुवई भरतियार ग्रामा बैंक
17	पंजाब	35. पंजाब ग्रामीण बैंक
18	राजस्थान	36. राजस्थान मरूधर बैंक
		37. बड़ौदा राजस्थान क्षत्रिय ग्रामीण बैंक
19	तमिलनाडु	38. इंडियन ओवरसीज बैंक, चैन्ने (संपूर्ण भारत में)
		39. इंडियन बैंक, चैन्ने (संपूर्ण भारत में)
		40. तमिलनाडु ग्रामा बैंक
20	तेलंगाना	41. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
		42. स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड
21	त्रिपुरा	43. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
22	उत्तर प्रदेश	44. आर्यावर्त बैंक
		45. बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक
		46. प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक
		47. यू.पी. सहकारी ग्रामीण बैंक
23	उत्तराखंड	48. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
24	पश्चिम बंगाल	49. पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक
		50. ब्रिटी प्रोशिक्षण प्राइवेट लिमिटेड

अनुलग्नक-III  
(पैरा 2.1.2 (ग) देखें)  
(2 का 1)

समझौता-ज्ञापन लक्ष्य की उपलब्धियां (2020–21)

क्र. सं.	निष्पादन मापदंड	अंक	लक्ष्य					उपलब्धियां (अंतिम)
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब	
1.	कारोबार-प्रचालन से आय (कर का निवल) [करोड़]	10	70.00	69.00	67.00	66.00	65.00	<b>59.92</b>
2.	प्रचालन से आय के प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ या अधिशेष (निवल) [प्रतिशतता]	20	68.00	67.00	66.00	65.00	64.00	<b>58.78</b>
3.	औसत निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात् लाभ (पीएटी) [प्रतिशतता]	20	3.20	2.95	2.60	2.40	2.20	<b>2.26</b>
4.	संवितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि [प्रतिशतता]	9	90.00	85.00	83.00	82.00	81.00	<b>87.47</b>
5.	कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में लघु वित्त लाभार्थियों को संवितरित ऋण [प्रतिशतता]	7	50.00	49.00	48.00	47.00	46.00	<b>53.08</b>
6.	अतिदेय ऋण/कुल ऋण (निवल) [प्रतिशतता]	7	17.00	18.00	18.50	19.00	19.50	<b>20.30</b>
7.	एनपीए/कुल ऋण (निवल) [प्रतिशतता]	7	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	<b>0.75</b>
8.	विगत वर्ष 2019–20 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल घरेलू खरीद में से जेम (GeM) पोर्टल से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का प्रतिशत [प्रतिशतता]	5	25.00	20.00	15.00	10.00	5.00	<b>26.05</b>
9.	दिनांक 31.12.2020 तक किए गए कुल संवितरण में से मुख्य लाभार्थी को किया गया मूल संवितरण [प्रतिशतता]	5	100.00	97.00	95.00	94.00	93.00	<b>88.28</b>

क्र. सं.	निष्पादन मापदंड	अंक	लक्ष्य					उपलब्धियां (अंतिम)
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब	
10.	भौगोलिक कवरेज (राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या)* [संख्या]	5	32	30	28	27	26	30
11.	मुख्य लाभार्थियों को ऋण संवितरण और दी गई अवधि में राशि प्राप्त करने के लिए डेश बोर्ड का विकास और संचालन [दिनांक]	5	15.2.21	28.2.21	10.3.21	20.3.21	31.3.21	15.2.21
	कुल	100						

\*सीपीएसई ने सूचित किया है कि जनगणना-2011 के अनुसार कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (4) जोकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान व निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में कोई लक्षित अनुसूचित जाति आबादी नहीं है।

नोट: उपरोक्त उपलब्धियों को संबंधित विभागों जैसे वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन और कौशल प्रशिक्षण द्वारा उपलब्ध कराया गए आंकड़ों/सूचनाओं के अनुसार संकलित किया गया है।

अनुलग्नक-IV  
(पैरा 2.1.16 देखें)

राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार  
आरंभ और पूर्ण कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (2020–21)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आरंभ किए गए कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थियों की सं.)	पूर्ण कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थियों की सं.)
1.	आंध्र प्रदेश	320	260
2.	असम	325	265
3.	बिहार	590	347
4.	छत्तीसगढ़	68	0
5.	दिल्ली	70	50
6.	गुजरात	571	393
7.	हरियाणा	225	85
8.	हिमाचल प्रदेश	173	93
9.	जम्मू व कश्मीर	110	80
10.	झारखंड	110	50
11.	कर्नाटक	264	94
12.	केरल	324	84
13.	मध्य प्रदेश	1016	496
14.	महाराष्ट्र	455	255
15.	मणिपुर	100	30
16.	ओडिशा	375	122
17.	पुद्दुचेरी	31	31
18.	पंजाब	730	450
19.	राजस्थान	639	549
20.	तमिलनाडु	525	495
21.	तेलंगाना	300	240
22.	त्रिपुरा	25	25
23.	उत्तर प्रदेश	2557	1622
24.	उत्तराखंड	120	60
25.	पश्चिम बंगाल	488	428
	<b>कुल</b>	<b>10511</b>	<b>6604</b>

अनुलग्नक-V  
(पैरा 5.2 देखें)

**बैंचमार्क दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व  
(1 जनवरी, 2021 को यथास्थिति)**

समूह	कार्मिकों की संख्या				सीधी भर्ती द्वारा								पदोन्नति					
	आरक्षित रिक्रियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्रियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या					
	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि	दृबा	श्रबा	लोवि	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि	दृबा	श्रबा	लोवि	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह 'क'	47	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	24	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>78</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

टिप्पणी : दिव्यांगजन व्यक्तियों का समग्र प्रतिनिधित्व 3.84% है।

(दृबा - दृष्टि बाधित, श्रबा - श्रवण बाधित, लोवि - लोकोमोटिव विकलांग)

वर्ष की पहली जनवरी को समूह 'क' की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम: नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली

वेतनमान (रुपयों में)	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2021 को)				कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या									
	कार्मिकों की कुल सं.	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
प्रतिनियुक्ति पर अप्रति [कैम्प पद्धति]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-7: ₹100000-260000	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-6: ₹90000-240000	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-5: ₹80000-220000	6	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ई-4: ₹70000-200000	5	1	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-
ई-3: ₹60000-180000	3+1*	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ई-2: ₹50000-160000	9	2	-	1	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-
ई-1: ₹40000-140000	10	3	-	2	-	-	-	-	9	3	-	-	-	-
ई-0: ₹30000-120000	9	3	2	2	-	-	-	-	8	3	1	-	-	-
कुल	47	12	3	7	-	-	-	-	33	9	1	-	-	-

\* प्रतिनियुक्ति पर

अनुलग्नक-VII  
(पैरा 5.2 देखें)  
अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट-I

वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम: नेशनल शेखबूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली

समूह	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2021 को)				कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या										
	कार्मिकों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	
समूह 'क' प्रबंधकीय/कार्यपालक स्तर*	47	12	03	07	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-
समूह 'ख' गैर-पर्यवेक्षीय स्तर	07	04	-	02	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
समूह 'ग' गैर-कार्यपालक स्टाफ (सफाई कर्मियों के अलावा)	24	11	01	06	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित।

**प्ररूप एमजीटी-9**  
**वार्षिक विवरणी का सार**  
**31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार**

**अनुलग्नक-VIII**  
**(पैरा 10 देखें)**  
**(पृष्ठ 6 का 1)**

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

**I. पंजीकरण और अन्य ब्योरे**

(i) सीआईएन	U93000DL1989NPL034967
(ii) पंजीकरण की तारीख	8 फरवरी, 1989
(iii) कंपनी का नाम	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
(iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	प्राइवेट कंपनी/ शेयर्स द्वारा परिसीमित
(v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क के ब्योरे	14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110 092
(vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है	जी नहीं।
(vii) रजिस्ट्रार और स्थानांतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क के ब्योरे	लागू नहीं।

**II कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ**

कंपनी के कुल आवर्त का 10% या अधिक का अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किया जाएगा:-

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	वित्तीय	99912	100%

**III. स्वामित्व, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण:-**

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	स्वामित्व/सहायक/ सहयोगी	धारित शेयर का %	लागू धारा
1.					
2.					

**IV. शेयर धारण प्रतिमान (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में साम्य शेयर पूंजी ब्योरा)**

**(i) श्रेणी-वार शेयर धारण**

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयरों का %	
(क) प्रवर्तक									
<b>1. भारतीय</b>									
क. एकल/अ.हि.प.									
ख. केंद्र सरकार	-	15000000	15000000	100	-	15000000	15000000	100	शून्य
ग. राज्य सरकार (रिं)									
घ. निकाय/निगम									
ङ. बैंक/वि.सं.									
च. कोई अन्य									
<b>उप-जोड़ (क) (1)</b>									

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयरों का %	
<b>2. विदेशी</b>									
क. अ.भा.–एकल									
ख. अन्य – एकल									
ग. निकाय निगम									
घ. बैंक / वि.सं.									
ङ. कोई अन्य									
<b>उप-जोड़ (क) (2)</b>									
<b>प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (क) = क(1) (क)(2)</b>									
<b>(ख) पब्लिक शेयरधारिता</b>									
<b>1. संस्थाएँ</b>									
(क) म्युचुअल फंड									
(ख) बैंक / वि.सं.									
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार(रें)									
(ङ) उद्यम पूंजी कोष									
(च) एफआईआईएस									
(छ) विदेशी संस्थागत निवेशक									
(ज) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
<b>उप-जोड़ (ख)(1)</b>									
<b>2. गैर संस्थागत</b>									
<b>(क) कॉर्पोरेट निकाय</b>									
(i) भारतीय									
(ii) विदेशी									
<b>(ख) व्यक्तिगत</b>									
(i) रु.1.00 लाख तक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक									
(ii) रु.1.00 लाख से अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक									
<b>(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</b>									
<b>उप-जोड़ (ख) (2)</b>									

अनुलग्नक-VIII  
(पैरा 10 देखें)  
(पृष्ठ 6 का 3)

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयरों का %	
कुल पब्लिक शेयर धारित (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)									
(ग) जीडीआर एवं एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर									
सकल योग (क+ख+ग)		15000000	15000000	100	-	15000000	15000000	100	शून्य

(ii) संप्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारिता			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	14999999	99.999%	-	14999999	99.999%	-	शून्य
2.	श्रीमती उपमा श्रीवास्तव	1	0.001%	-	1	0.001%	-	शून्य
	कुल	15000000	100%		15000000	100%		

(iii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में कृपया स्पष्ट करें)

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	15000000	100%	15000000	100%
2.	वर्ष के प्रारंभ में वृद्धि/गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/ अंतरण/ बोनस/ श्रमसाध्य साम्य आदि) वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/गिरावट	-	-	-	-
3.	वर्ष के अंत में	15000000	100%	15000000	100%

(iv) शीर्ष दस शेयर धारकों (निदेशकों, संप्रवर्तकों एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) का शेयर धारिता प्रतिमान : शून्य

क्रम सं.	प्रत्येक शीर्ष दस शेयर धारकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारंभ में				
2	बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/ अंतरण/ बोनस/ श्रमसाध्य साम्य इत्यादि) शेयर धारिता में वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि-वार बढ़त/घटत				
3	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए)				

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता:

क्रम सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	1	0.001	1	0.001
2	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.001	1	0.001
3	बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/अंतरण/ बोनस/ श्रमसाध्य साम्य इत्यादि) शेयर धारिता में वर्ष के दौरान तिथि-वार बढ़त/घटत	–	–	–	–
4	वर्ष के अंत में	1	0.001	1	0.001

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की बकाया/प्रोद्भूत किंतु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज समाहित ऋणग्रस्तता: शून्य

	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i) मूलधन				
(ii) देय किंतु अप्रदत्त ब्याज				
(iii) प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज				
<b>योग</b>				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
– अभिवर्धन				
– कटौती				
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i) मूलधन				
(ii) देय किंतु अप्रदत्त ब्याज				
(iii) प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज				

अनुलग्नक–VIII  
(पैरा 10 देखें)  
(पृष्ठ 6 का 5)

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों औरध्या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि (रुपए)
1	सकल वेतन		
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन	श्री रजनीश कुमार जैनव के. नारायण, अप्रनि (01.01.2021 तक)	8,23,056 / – –
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य		शून्य
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ		शून्य
	स्टॉक विकल्प		शून्य
	श्रमसाध्य साम्य		शून्य
	कमीशन		
	– लाभ के % के रूप में		
	– अन्य, विनिर्दिष्ट करें		शून्य
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें		2,16,426 / –
	<b>योग (क)</b>		10,36,782 / –
	अधिनियम के अनुसार सीमा		

(ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

(रुपयों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	प्रनि/पूकानि/प्रबंधक का नाम* के. रामलिंगम *	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक		
	– बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस	14,160	14,160
	– कमीशन		
	– अन्य, विनिर्दिष्ट करें		
	योग (1)	14,160	14,160
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक		
	– बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस		
	– कमीशन		
	– अन्य, विनिर्दिष्ट करें		
	योग (2)		
	<b>कुल (ख) = (1+2)</b>	14,160	14,160
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		

(ग) प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक:

क्रम सं.	पारिश्रमिक के विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी*	जोड़
1	सकल वेतन				
(क)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन	—	31,76,176 /—	52,51,268 /—	84,27,444 /—
(ख)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	—	2,950 /—	3,540 /—	6,490 /—
(ग)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	—	—	—	—
2	स्टॉक विकल्प	—	—	—	—
3	श्रमसाध्य साम्या	—	—	—	—
4	कमीशन	—	—	—	—
	— लाभ के प्रतिशत के रूप में	—	—	—	—
	— अन्य, विनिर्दिष्ट करें (पुरस्कार+पीएफ अंशदान)	—	—	—	—
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	—	1,86,627 /—	2,65,021 /—	4,51,648 /—
	योग	—	33,65,753 /—	55,19,829 /—	88,85,582 /—

(viii) शास्ति या दंड या अपराध उपशमन : शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति / दंड / अपराध उपशमन की फीस	प्राधिकारी (प्रादेशिक निदेशक या एनसीएलटी न्यायालय)	अपील, यदि हो (ब्योरा दें)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारियों के विवरण

(क) समीक्षाधीन पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित थे और वित्तीय वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक का कुल योग ₹1,02,00,000 / – से कम नहीं था:

क्रम सं.	नाम और आयु	पदनाम और ज्यूरियों का स्वरूप	प्राप्त पारिश्रमिक	अर्हताएँ	अनुभव (वर्ष)	नियोजन प्रारंभ की तारीख	पूर्व नियोजन	अधिनियम की धारा 217 की उप-धारा (2क) के खंड (क) के उप-खंड (iii) के अर्थात्गत में कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
शून्य								

(ख) वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित थे एवं प्राप्त पारिश्रमिक प्रतिमाह ₹8,50,000 / – की दर से कम न हो।

क्रम सं.	नाम और आयु	पदनाम और ज्यूरियों का स्वरूप	प्राप्त पारिश्रमिक	अर्हताएँ	अनुभव (वर्ष)	नियोजन प्रारंभ की तारीख	पूर्व नियोजन	ऊपर उप-नियम (2) के उप-खंड (iii) के अर्थात्गत कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	क्या ऐसा कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार है और यदि हां, तो उस निदेशक या प्रबंधक का नाम
शून्य									

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त सभी नियुक्तियों की शर्तें एवं निबंधन कंपनी के नियमों के अनुसार हैं।
- प्राप्त किए गए पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वेतन, भत्ते और बोनस शामिल हैं।
- यदि पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए नियोजित किया गया है, तो उस वर्ष में प्राप्त कुल पारिश्रमिक अथवा यथास्थिति, ऐसी दर पर प्राप्त किया जा, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के वेतन से अधिक था और जो स्वयं अथवा अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का न्यूनतम 2 प्रतिशत धारित करता हो।

**कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट**

**1. कंपनी की सीएसआर नीति का प्रारूप:**

**लक्ष्य:**

निगम की सीएसआर नीति का लक्ष्य सतत् आजीविका पर बल देने और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज हेतु जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए योगदान सुनिश्चित कर एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में स्थापित होना।

**उद्देश्य:**

सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए विकास कार्यक्रमों और अन्य नवीन पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से समावेशी संवृद्धि और समान विकास को बढ़ावा देना।

**केंद्रित कार्यनीति:**

एनएसएफडीसी की मूल आकांक्षा लक्ष्य समूह के बीच गरीबी को कम करना और अंततः समाप्त करना है। एनएसएफडीसी सतत् आर्थिक विकास पर बल देने वाली कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास (सीएसआर और एसडी) परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा। एनएसएफडीसी आर्थिक विकास पर बल देगा जो पर्यावरणीय स्थिरता सहित आय, लिंग और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने पर केंद्रित है। एनएसएफडीसी इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोणों का प्रयोग करेगा। इसके अलावा, एनएसएफडीसी और उसके सीएसआर भागीदारों की सेवाओं के वितरण और विकास प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए आंतरिक क्षमताओं और दक्षताओं में सुधार हेतु उपाय अपनाए जाएंगे। एनएसएफडीसी बृहद् सामाजिक प्रभाव के लिए संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए सहयोग एवं संसाधन जुटाएगा। एनएसएफडीसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास गतिविधियों के लिए लाभ कमाने वाले सीएसपीई से सीएसआर फंड का लाभ उठाना जारी रखेगा।

**2. कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन:**

दिनांक 31.03.2021 को बोर्ड स्तरीय सीएसआर गतिविधियों की संरचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
1	(i) श्री के. नारायण, पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 01.01.2021 तक सेवारत। (ii) श्री रजनीश के. जैन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 01.01.2021 से सेवारत।	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री एस.एम. आवले, मुख्य महाप्रबंधक, आईडीबीआई बैंक	सदस्य	2	2

**अनुलग्नक-X**  
(पैरा 8 देखें)  
(पृष्ठ 10 का 2)

- सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में सूचना निगम की वेबसाइट <https://nsfdc.nic.in/hn/csr> पर दी गई है।
- कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है।
- कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, पिछले वित्तीय वर्षों से समंजन हेतु उपलब्ध राशि 'शून्य' है एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए समंजन हेतु अपेक्षित राशि भी 'शून्य' है।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समंजन के लिए उपलब्ध राशि (रु. लाख में)	वित्तीय वर्ष के लिए समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई है (रु. लाख में)
1	2018-19	0	0
2	2019-20	0	0
3	2020-21	0	0
	<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- धारा- 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: रु.5,324.03 लाख

(रु. लाख में)

7.	(i)	धारा- 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	रु.106.48
	(ii)	अव्ययित सीएसआर	रु.106.22
	(iii)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	शून्य
	(iv)	वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली राशि, यदि कोई है	रु.8.33
	(v)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7(i)+7(ii)-7(iii))	रु.212.70

- (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि	खर्च न की गई राशि (रुपये लाख में)				
	धारा-136(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा-135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची- VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
152.58	67.75	30.04.2021	0	0	0

अनुलग्नक-X  
(पैरा 8 देखें)  
(पृष्ठ 10 का 3)

(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जारी परियोजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

1 क्र. सं.	2 परियोजना का नाम	3 इस अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची में मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना की अवस्थिति		6 परियोजना अवधि	7 परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. लाख में)	8 चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	9 धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अत्यधिक सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	10 कार्यान्वयन की पद्धति-सीधे (हां/ नहीं)	11 कार्यान्वयन की पद्धति-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	राशन कार्ड रहित दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी कामगारों को कोविड-19, के कारण संकट शमन के लिए दिल्ली राज्य में राशन किट का वितरण।	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	225000	225000	0	0	प्रबुद्ध भारती इंटरनेशनल	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
2	चुराचांदपुर, मणिपुर में कोविड रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान	खंड 1(i)	हां	मणिपुर	चुराचांदपुर	01 वर्ष	200625	200625	0	नहीं	सामुदायिक पहल केंद्र	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
3	कोविड-2019 लॉकडाउन 4.0 (घरण IV) के दौरान प्रवासी और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य वितरण कार्यक्रम	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	255000	255000	0	नहीं	अनुग्रह दृष्टिदान	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
4	तेलंगाना राज्य में राशन कार्ड रहित बेरोजगार आदिवासियों को कोविड-19 के कारण राशन किट वितरण	खंड 1(i)	हां	तेलंगाना राज्य	महबूबाबाद	01 वर्ष	618734	618734	0	नहीं	सर्ज इम्पैक्ट फाउंडेशन	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
5	मोबाइल साइंस लैब	खंड 1(ii)	हां	दिल्ली	दिल्ली	02 वर्ष	2000000	2000000	0	नहीं	टेक माहिंद्रा फाउंडेशन	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
6	कोविड-2019 लॉकडाउन 3.0 (घरण II) के दौरान यमुना पुस्ता प्रवासियों और जेजे क्लस्टर	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	425000	425000	0	नहीं	अनुग्रह दृष्टिदान	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं

अनुलग्नक-X  
(पैरा 8 देखें)  
(पृष्ठ 10 का 4)

1 क्र. सं.	2 परियोजना का नाम	3 इस अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची में मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना की अवस्थिति		6 परियोजना अवधि	7 परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. लाख में)	8 चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	9 धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	10 कार्यान्वयन की पद्धति-सीधे (हां/ नहीं)	11 कार्यान्वयन की पद्धति-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
	निवासियों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम											
7	कोविड-2019 लॉकडाउन 2.0 (घरण I) के दौरान यमुना पुस्ता प्रवासियों और जेजे क्लस्टर निवासियों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	425000	425000	0	नहीं	अनुग्रह दृष्टिदान	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
8	कोविड-2019 लॉकडाउन 4.0 (घरण III) के दौरान यमुना पुस्ता प्रवासियों और जेजे क्लस्टर निवासियों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	319000	319000	0	नहीं	अनुग्रह दृष्टिदान	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
9	डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट	खंड 1(i)	हां	केरल	केरल	01 वर्ष	492800	492800	0	नहीं	केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड-केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
10	पीएम केयर्स फंड में सीएसआर योगदान	खंड 1(viii)	हां	पैन इंडिया	पैन इंडिया	01 वर्ष	2000000	2000000	0	नहीं	पीएम केयर्स फंड	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
11	प्रवासी और अन्य जरूरतमंद लोग (कोविड-19) के लिए खाद्य वितरण कार्यक्रम	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	220000	220000	0	नहीं	अनुग्रह दृष्टिदान	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं

अनुलग्नक-X  
(पैरा 8 देखें)  
(पृष्ठ 10 का 5)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
				राज्य	परियोजना की अवस्थिति जिला						कार्यान्वयन की पद्धति- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची में मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	राज्य	परियोजना की अवस्थिति जिला	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की पद्धति- सीधे (हां/ नहीं)	वर्ष	वर्ष	
12	बायो-डिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	100000	100000	0	नहीं	2020-21 के लिए लागू नहीं	स्वावलम्बन	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
13	नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना (सरकारी अस्पताल) में चिकित्सा कमियों के लिए 500 पीपीई किट	खंड 1(i)	हां	बिहार	पटना	01 वर्ष	223000	223000	0	नहीं	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं	सुलभ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्शन सोशियोलॉजी	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
14	कोविड लॉकडाउन (1.0 से 4.0) के दौरान आश्रयहीनों के भोजन हेतु बर्तन	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	964500	289350	0	नहीं	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
15	वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रित और मानसिक रूप से बीमारों के लिए भोजन	खंड 1(iii)	हां	हरियाणा	गुरुग्राम	01 वर्ष	529240	529240	0	नहीं	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं	द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
16	एसएस मोहाली, चंडीगढ़ में कोविड मरीजों के इलाज के लिए पीपीई, सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था	खंड 1(i)	हां	पंजाब	एसएस मोहाली	02 वर्ष	297000	207900	89100	नहीं	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं	पंजाब विरसा सब्यचरक सोसाइटी	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
17	असम राज्य के नलबाड़ी जिले में बाढ़ प्रभावित (100 अनुसूचित जाति परिवार) को भोजन और आवश्यक किट का वितरण	खंड 1(i)	हां	असम	नलबाड़ी	02 वर्ष	251500	176050	75450	नहीं	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं	भारतीय उद्यमिता संस्थान	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं

अनुलग्नक-X  
(पैरा 8 देखें)  
(पृष्ठ 10 का 6)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
				परियोजना की अवस्थिति	जिला						कार्यान्वयन की पद्धति- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	सीएसआर पंजीकरण संख्या
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची में मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	राज्य	परियोजना की अवस्थिति	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की पद्धति- सीधे (हां/ नहीं)	नाम	वर्ष
18	एससी छात्रावास- त्रिपुरा एससी कारपोरेशन को उपकरण का वितरण	खंड 1(ii)	हां	त्रिपुरा राज्य	पश्चिम त्रिपुरा, धलाई और उनाकोटि	02 वर्ष	1975525	1679196	296329	नहीं	त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
19	दिल्ली राज्य में कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए राशन कार्ड रहित कृषि और दिहाड़ी मजदूरों को राशन किट वितरण	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	02 वर्ष	647500	453250	194250	नहीं	महावीर इंटरनेशनल	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
20	धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक शौचालयों का कीटाणुशोधन और स्वच्छता	खंड 1(i)	हां	महाराष्ट्र	मुंबई	01 वर्ष	613600	429520	184080	नहीं	टेक महिंद्रा फाउंडेशन	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
21	पुदुचेरी राज्य में कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए राशन कार्ड रहित और दिहाड़ी मजदूरों को राशन किट वितरण	खंड 1(i)	हां	पुदुचेरी	पुदुचेरी	01 वर्ष	375000	262500	112500	नहीं	पुदुचेरी आदि द्रविदार विकास निगम लिमिटेड	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
22	दिल्ली दंगों से पीड़ित 250 लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	300039	210027	90012	नहीं	बाल उमंग दृश्य संस्था	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं

अनुलग्नक-X  
(पैरा 8 देखें)  
(पृष्ठ 10 का 7)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
				राज्य	परियोजना की अवस्थिति						कार्यान्वयन की पद्धति- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	सीएसआर पंजीकरण संख्या
23	राजस्थान राज्य में कोविड 19 के कारण उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए गैर राशन कार्ड और दिहाड़ी मजदूरों को राशन किट वितरण	खंड 1(i)	हां	राजस्थान	बाड़मेर	01 वर्ष	225000	157500	67500	नहीं	महिला मंडल बाड़मेर अगोर	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
24	मखनीपुरवा, बहराइच में वीडियो फिल्म और राशन किट वितरण के माध्यम से जागरूकता (1000 व्यक्ति)	खंड 1(i)	हां	उत्तर प्रदेश	बहराइच	01 वर्ष	165675	115973	49702	नहीं	भारतीय बांस संसाधन और प्रौद्योगिकी केंद्र	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
25	अस्पताल प्रयोगशाला उपकरण-राज्य स्वास्थ्य समिति, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	खंड 1(i)	हां	मणिपुर	पूर्व और पश्चिम इंफाल और थौबल	02 वर्ष	2187171	1089799	1097372	नहीं	राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
26	कोविड-19 जागरूकता-सह-स्वास्थ्य शिविर (05 दिन)	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	293750	293750	0	नहीं	अनुग्रह दृष्टिदान	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
27	राशन कार्ड रहित दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी कामगारों को दिल्ली राज्य में कोविड 19 के कारण उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए राशन किट वितरण	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	225000	225000	0	नहीं	मुस्कान फाउंडेशन	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं

**अनुलग्नक-X**  
**(पैरा 8 देखें)**  
**(पृष्ठ 10 का 8)**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
				राज्य	परियोजना की अवस्थिति जिला						परियोजना की पद्धति- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	नाम
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची में मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	राज्य	परियोजना की अवस्थिति जिला	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की पद्धति-सीधे (हां/ नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
28	कोविड लॉकडाउन 3.0 (चरण II) के दौरान आश्रयहीनों को भोजन वितरण के लिए परिवहन व्यवस्था	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	252000	176400	75600	नहीं	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
29	250 राशन किट के वितरण के लिए एनसीसीएफ	खंड 1(i)	हां	दिल्ली	दिल्ली	01 वर्ष	188750	188750	0	नहीं	महावीर इंटरनेशनल, बाल उमंग दृष्टि संस्था, अनुग्रह दृष्टिदान और सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
30	अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए उपकरण	खंड 1(ii)	हां	तेलंगाना	जयशंकर भूपालपल्ली	01 वर्ष	1088674	552137	536537	नहीं	हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
31	बकरी पालन-गोट ट्रस्ट के माध्यम से आजीविका	खंड 1(ii)	हां	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	01 वर्ष और 01 माह	1793250	717300	1075950	नहीं	गोट ट्रस्ट	वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं
							<b>19877333</b>	<b>15257801</b>	<b>3944382</b>			

अनुलग्नक-X  
(पैरा 8 देखें)  
(पृष्ठ 10 का 9)  
(रु. लाख में)

(ग)	वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण	लागू नहीं
(घ)	प्रशासनिक मद में व्यय की गई राशि	शून्य
(ङ)	प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू है,	लागू नहीं
(च)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ)	152.58
(छ)	समंजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई है	0.00
(i)	धारा-135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	0.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	0.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	0.00
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई है।	0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0.00

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा-135 (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्ट वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा-135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अधीन निर्दिष्ट किसी भी निधि को अंतरित राशि, यदि कोई है			उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि	
1.	2017-18	0	32,76,365	0	0	0	53,38,000
2.	2018-19	0	41,77,142	0	0	0	1,05,33,000
3.	2019-20	0	97,57,551	0	0	0	1,06,22,000
	<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>1,72,11,058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,64,93,000</b>

अनुलग्नक-X  
(पैरा 8 देखें)  
(पृष्ठ 10 का 10)

9. (ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए व्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. सं.	परियोजना पहचान	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ हुई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति— पूर्ण की गई/ चालू है
1.	एनएसएफडीसी / सीएसआर / डीएलएच / एसपीवाईएम / 30	कोविड लॉकडाउन (1.0 से 4.0) के दौरान आश्रयहीनों को भोजन हेतु बर्तन	2019–20	01 वर्ष	964500	289350	964500	पूर्ण
2.	एनएसएफडीसी / सीएसआर / टेली / एचएलएफपीपीटी / 02	अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए उपकरण	2019–20	01 वर्ष	1088674	552137	1088674	पूर्ण
	<b>कुल</b>				<b>2053174</b>	<b>841487</b>	<b>2053174</b>	

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा : **लागू नहीं**

11. कारण (कारणों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा-135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो:

वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं आवंटन योग्य अधिशेष की सीमा तक हैं और पूरी तरह कार्यान्वित हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनएसएफडीसी को लंबित अपेक्षित दस्तावेजों के कारण राशि अव्ययित है क्योंकि कुल स्वीकृत राशि परियोजना के आनुपातिक / आवश्यक रूप से पूरा होने के आधार पर किशतों में या चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है। यह कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों के कारण एनएसएफडीसी टीम के काम के घंटों को भी कम करता है।

ह.  
(थोटा सतीश)  
सहायक महाप्रबंधक (सीएसआर)

## कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित अभिशासन) रिपोर्ट

### 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड (निगमित अभिशासन की संहिता) संबंधी कंपनी की राय पर विवरण

निगमित अभिशासन में एक प्रणाली शामिल है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि कंपनी मामलों को इस प्रकार प्रबंधित किया जा रहा है कि जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यापक अर्थों में सभी लेन-देन में निष्पक्षता है।

तेजी से विकास के बावजूद, वित्तीय प्रतिरोध (exclusion), अस्वीकार्य गरीबी स्तर, बेरोजगारी, पारंपरिक कृषि गतिविधियों से घट रहे आय के स्तर और कौशल की कमी, अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में प्रमुख चुनौती बनी रहती है। हालांकि, अनुसूचित जाति के विकासात्मक मानदंडों में वर्ष 2001 से सुधार हुआ है। फिर भी, समाज में मुख्यधारा और अनुसूचित जाति की आबादी के बीच की खाई अभी भी बनी हुई है। पर्यावरण क्षरण और लिंग असमानता के साथ-साथ विकास में असंतुलन, समावेशी उन्नति को प्राप्त करने में मुख्य चुनौतियां उत्पन्न करते हैं।

एनएसएफडीसी को सुशासन को उन्नत करने और सेवाओं में सुधार करने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की क्षमता के विकास की पहल का समर्थन करता है। एनएसएफडीसी को भी अपने प्रचालन में सुशासन के तत्वों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

### 2. निदेशक मंडल

#### 2.1 बोर्ड का गठन और निदेशकों के पद

भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कंपनी में निदेशकों को नियुक्त करते हैं। बोर्ड के निदेशकों के गठन में 15 पद हैं। 31.03.2021 को बोर्ड में 7 सदस्य थे।

बोर्ड का गठन और निदेशकों श्रेणी नीचे दी जा रही है:—

श्रेणी	निदेशक का नाम	स्थिति में
पूर्णकालिक, कार्यपालक, प्रबंधक निदेशक	श्री के. नारायण (01.09.2019 से 01.01.2021 तक)	पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
	श्री रजनीश कुमार जैनव (01.01.2021 से)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
सरकारी निदेशक*:-		
(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधित्व	श्रीमती उपमा श्रीवास्तव	अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
	श्री संजय पांडे	संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(ख) अन्य मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व	श्री पीयूष श्रीवास्तव	एमएसएमई के प्रतिनिधि
(ग) अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व	श्री एस.एम. आवले	आईडीबीआई के प्रतिनिधि
(घ) एएफसी इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व	श्री बी. गणेशन	प्रबंध निदेशक, एएफसी इंडिया लि.
गैर-सरकारी निदेशक	डॉ. के. रामलिंगम	स्वतंत्र निदेशक

\*अंशकालिक सरकारी निदेशक पदेन सदस्य हैं और उनकी अवधि कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति के समय सरकार में उनके संबंधित पद की अवधि की सह-सीमा अवधि है।

**अनुलग्नक–XI**  
(पैरा 10 देखें)  
(पृष्ठ 6 का 2)

## 2.2 निदेशक मंडल की बैठक और प्रक्रिया

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कार्यकलापों की देखरेख के लिए गठित शीर्षस्थ समिति है। बोर्ड कंपनी की कार्यनीति के लिए निर्देश, प्रबंधन नीतियों और उसकी प्रभाविता देता है व मूल्यांकन करता है तथा सुनिश्चित करता है कि शेयर धारकों (भारत सरकार) का दीर्घावधि हित बना रहे।

## 2.3 तारीख सहित बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान, कम-से-कम दो बैठकों के आयोजन के एवज में बोर्ड की कुल दो बैठकें आयोजित हुईं। बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

बोर्ड की बैठक	तारीख	निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
154वीं	04.09.2020	06	05
155वीं	25.03.2021	07	07

एनएसएफडीसी धारा-8 कंपनी है और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार धारा 173(1) के तहत छूट प्राप्त है और इसके बजाय "उस सीमा तक लागू होगी कि ऐसी कंपनियों के निदेशक मंडल प्रत्येक छः कैलेंडर माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे।"

## 2.4 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	से	तक	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या (2020–21)	अवधि के दौरान बैठकों में उपस्थिति संख्या (2020–21)
श्री के. नारायण	01.09.2019	01.01.2021	1	1
श्री रजनीश कुमार जैनव	01.01.2021	आज तक	1	1
श्रीमती उपमा श्रीवास्तव	04.09.2020	आज तक	2	1
श्री संजय पांडे	18.07.2019	आज तक	2	2
श्री सलिल एम. आवले	04.06.2015	आज तक	2	2
श्री पीयूष श्रीवास्तव	23.03.2018	आज तक	2	2
श्री बी. गणेशन	25.03.2021	आज तक	1	1
डॉ. के. रामालिंगम	20.03.2019	आज तक	2	2

## 2.5 निदेशकों की नियुक्तियां और उनके कार्यकाल की समाप्ति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	से	तक	परिवर्तन का कारण
1.	श्री के. नारायण, अप्रनि	01.09.2019	01.01.2021	कार्यकाल की समाप्ति
2.	श्री रजनीश कुमार जैनव	01.01.2021	आज तक	नियुक्ति
3.	श्री भास्कर पंत	23.03.2018	15.05.2020	कार्यकाल की समाप्ति
4.	श्री कैजांग छोफेल लामा	17.04.2017	30.04.2020	कार्यकाल की समाप्ति
5.	श्री लाचीराम भुक्था	23.03.2018	19.08.2020	कार्यकाल की समाप्ति
6.	श्रीमती विशाखा शैलानी	17.04.2017	16.04.2020	कार्यकाल की समाप्ति
7.	श्रीमती उपमा श्रीवास्तव	04.09.2020	आज तक	नियुक्ति
8.	श्री बी. गणेशन	25.03.2021	आज तक	नियुक्ति

## 2.6 बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाही का रिकार्ड

कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड और समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की कार्यवाही को रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के लिए कार्यवृत्त का मसौदा परिचालित किया जाता है। बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की स्थिति पर एक कार्रवाई रिपोर्ट बोर्ड/समिति के सदस्यों के सूचनार्थ रखी जाती है।

## 2.7 निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

### 2.7.1 पूर्णकालिक कार्यपालक, प्रबंध निदेशक

केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करने वाला सरकारी पत्र नियुक्ति की अवधि, वेतनमान आदि सहित उनकी नियुक्ति के विस्तृत निबंधनों और शर्तों को इंगित करता है और यह भी बताता है कि पत्र में शामिल अन्य निबंधनों और शर्तों के संबंध में, निगम के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

### 2.7.2 अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशक

अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क का भी भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकारी निदेशकों में से कोई भी कंपनी के साथ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं करता है।

### 2.7.3 गैर—सरकारी निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को लाभार्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों के आधिकारिक दौरे पर खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। निदेशक मंडल ने दिनांक 20.03.2019 को आयोजित अपनी 150<sup>वीं</sup> बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड की बैठक/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिदिन ₹4,000/- की फीस अनुमोदित और निर्धारित की।

अनुलग्नक–XI  
(पैरा 10 देखें)  
(पृष्ठ 6 का 4)

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक को बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान की गई फीस निम्न तालिका में दी गई हैं:

बोर्ड बैठक की तारीख	बोर्ड बैठक/वार्षिक आम बैठक की सं.	भाग लेने हेतु प्रदत्त फीस (₹ में)
		डॉ. के. रामलिंगम
04.09.2020	154 <sup>वीं</sup> बोर्ड मीटिंग	4000 / –
25.03.2021	155 <sup>वीं</sup> बोर्ड मीटिंग	4000 / –
27.11.2020	10 <sup>वीं</sup> पारिश्रमिक समिति की बैठक	4000 / –
	<b>कुल</b>	<b>12,000 / –</b>

## 2.8 आचार संहिता

एनएसएफडीसी एक सुपरिभाषित आचार संहिता का पालन करता है, जो सत्यनिष्ठा, हित-संघर्ष और गोपनीयता के मुद्दों को काफी हद तक संबोधित करता है और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर जोर देता है, जो कि सुशासन का आधार है। आचरण संहिता बोर्ड स्तर और बोर्ड से नीचे स्तर तक अर्थात् बोर्ड स्तर से एक ग्रेड नीचे तक महाप्रबंधक प्रबंधन कैंडर तक विद्यमान है और रिपोर्टिंग वर्ष के लिए बोर्ड / मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

## 3 वार्षिक आम बैठक

पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कंपनी की 29<sup>वीं</sup> और 30<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक सचिव कक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6<sup>वीं</sup> मंजिल ('ए' विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण 31<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आयोजित वार्षिक आम बैठकों की तारीख और समय तथा उसमें पारित विशेष संकल्प निम्नलिखित हैं:

वार्षिक आम बैठक (वा.आ.बै.)	वर्ष	तारीख	समय	पारित विशेष संकल्प
29 <sup>वीं</sup>	2017–18	25.09.2018	अपराह्न 2.30	शून्य
30 <sup>वीं</sup>	2018–19	11.11.2019	पूर्वाह्न 11.30	शून्य
31 <sup>वीं</sup>	2019–20	30.12.2020	अपराह्न 2.30	शून्य

## 4. लेखा परीक्षा समिति

निगम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 (पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 के तहत) के अधीन एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कंपनी है और न ही एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कंपनी है और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि कंपनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा के तहत नहीं आती है, इसलिए लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान निगम पर लागू

नहीं था। हालांकि, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के लिए जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन दिनांक 14.01.2016 को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निर्देश के संबंध में किया गया था।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2015 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें धारा-8 कंपनियों को “धारा-177 की उपधारा (2) में ‘बहुमत वाले ऐसे स्वतंत्र निदेशकों के साथ’ शब्दों को छोड़ दिया जाएगा” की छूट दी गई है। तदनुसार, बोर्ड किसी निदेशक को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार धारा-8 कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशकों के सदस्य के रूप में छूट दी गई है। लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 के प्रावधानों के तहत इस तरह की भूमिकाओं खारिज किया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की क्रमशः दिनांक 04.09.2020, और 25.03.2021 को दो बार बैठक हुई।

#### 5. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 और अनुसूची-VII के अनुरूप किया गया है। वर्तमान सीएसआर समिति में श्री रजनीश कुमार जैनव (अध्यक्ष), श्रीमती उपमा श्रीवास्तव (सदस्य) और श्री एस. एम. अवाले (सदस्य) शामिल हैं।

वर्ष के दौरान दिनांक 04.09.2020 और 25.03.2021 को समीक्षा हेतु समिति की दो बार बैठक हुई। अन्य विषयों के साथ-साथ सीएसआर समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- (i) बोर्ड को सीएसआर नीति का गठन और अनुशंसा।
- (ii) सीएसआर व्यय की सिफारिश।
- (iii) सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन।

#### 6. प्रकटीकरण

##### 6.1 वास्तविक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन पर प्रकटीकरण कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध हो सकता है

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी संबंधित पार्टियों के साथ वेतन, भत्तों और गृह ऋण के अलावा, कोई वास्तविक लेन-देन नहीं किया।

##### 6.2 गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देशों से संबंधी किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा गैर-अनुपालन, अर्थ-दंड कर कंपनी पर लगाया गया दोषारोपण का ब्योरा

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, गत तीन वर्षों के दौरान, कंपनी पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अर्थ दंडदोषारोपण नहीं लगाया गया है।

### 6.3 अनुपालन

कंपनी सचिव को बैठक (बैठकों) की कार्यसूची और कार्यवृत्त पर टिप्पणी बनाते समय निगम के संबंध में लागू अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बने नियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी नियमों में संस्तुत सचिवालयी मानकों (सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित विभागाध्यक्ष अपने संबंधित कार्य के अनुसार सभी लागू कानून और विनियमों के लिए जवाबदेह है।

### 7. सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति

कंपनी अपनी सभी व्यापारिक गतिविधियों में नीतिपरक व्यवहार को बढ़ावा देती है और कंपनी ने गैर-कानूनी अथवा गैर-नीतिपरक व्यवहार की रिपोर्ट के लिए एक तंत्र बनाया है। कंपनी के पास सतर्क तंत्र और मुखबिर नीति है, जिसमें कर्मचारीगण लागू कानून और विनियमों तथा आचरण संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

### 8. संचार के साधन

कंपनी अपनी वेबसाइट पर अन्य महत्वपूर्ण सूचना सहित निगम की वार्षिक रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। वार्षिक रिपोर्ट और शेयर धारकों से संबंधित अन्य दस्तावेज नियमित रूप से लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

### 9. अनुपालन प्रमाण-पत्र

यह रिपोर्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के आवश्यक दिशानिर्देशों के अंतर्गत है और उसमें दिशानिर्देशों के अनुबंध–VII में दिए गए सभी सुझाव के मद शामिल हैं। लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित निगमित अभिशासन की आवश्यकता सहित अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन संबंधी एक व्यवसायरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण-पत्र, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–XII** पर संलग्न है।

निदेशकों की समिति का गठन करते समय, यह सुनिश्चित और अनुपालन करना अपेक्षित होगा कि एक निदेशक 10 से अधिक समितियों का निदेशक और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। किसी भी गैर-सरकारी निदेशक को किसी सूचीबद्ध कंपनी में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।



## एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी

कंपनी सचिव, एलएलपीआईएन : एएएम-9113

पंजीकृत कार्यालय: जी-41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली – 110 008

फोन: +91-11-4509230, मोबाइल: +91-9818156340, ई-मेल: nazim@mnkassociates-com

अनुलग्नक-XII  
(पैरा 10 देखें)  
(पृष्ठ 2 का 1)

### कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण-पत्र

(डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन के खंड 8.2.1 के अनुसार)

सेवा में  
सदस्यगण  
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग ("डीपीई"), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन, 2010 में निर्धारित किए अनुसार नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ("कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके साथ जुड़े अनुलग्नकों की जांच की।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन समिति की है। हमारी जांच उक्त उल्लेखित गाइडलाइनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई हुई उस प्रक्रिया और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न लेखापरीक्षा है न ही कंपनी की वित्तीय विवरणिका पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और उत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई गाइडलाइनों में दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन निम्नांकित को छोड़कर किया है:

1. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बैठक करेगी और दो बैठकों के बीच तीन माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। हालांकि, कंपनी के अभिलेखों का अवलोकन पर यह देखा गया है कि निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 04.09.2020 और 25.03.2021 को केवल 2 बैठकों की हैं और दो बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल था।
2. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार/अन्य सीपीएसई द्वारा नियुक्त नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 (दो) तक सीमित होगी; हालांकि कंपनी के बोर्ड में, डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक, तीन (3) नामित निदेशक होंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके नियुक्त किया जाता है;
3. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या कुल बोर्ड सदस्यों की संख्या का 50% से कम (सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में एक कार्यकारी अध्यक्ष सहित) और कम से कम एक तिहाई (एक कार्यकारी अध्यक्ष के बिना सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में) होनी चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों का अवलोकन करने पर, यह देखा गया है कि निदेशक की नियुक्ति संबंधित मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से की जाती है और मंत्रालय ने कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।
4. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति गत 12 माह के दौरान कम से कम चार बार बैठक करेगी और दो बैठकों के बीच चार माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। हालांकि, कंपनी के अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह



## एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी

कंपनी सचिव, एलएलपीआईएन : एएएम-9113

पंजीकृत कार्यालय: जी-41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली – 110 008

फोन: +91-11-4509230, मोबाइल: +91-9818156340, ई-मेल: nazim@mnkassociates-com

अनुलग्नक–XII  
(पैरा 10 देखें)  
(पृष्ठ 2 का 2)

देखा गया है कि लेखापरीक्षा समिति ने गत 12 माह के दौरान केवल 2 बैठकें (दिनांक 04.09.2020 और 25.03.2021 को) की हैं और दो बैठकों के बीच 4 माह से अधिक का अंतराल था।

- डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों में कम से कम तीन निदेशक और इसके दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक के रूप में होंगे। हालांकि, कंपनी के अभिलेखों का अवलोकन पर यह देखा गया है कि लेखापरीक्षा समिति में 3 सदस्य शामिल हैं लेकिन कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक डॉ. के. सी. रामालिंगम, 83 वर्षीय प्रख्यात डॉक्टर हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 द्वारा अपेक्षित वित्तीय पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, उपरोक्त कारणों से, उन्हें लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।
- डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में कम से कम 3 (तीन) निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से सभी अंशकालिक निदेशक होने चाहिए अर्थात् (नामित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, भारत सरकार ने कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक सदस्य को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और एक सदस्य को पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक अर्थात् अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो कि एनआरसी में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हैं। उपरोक्त के आधार पर, समिति में निदेशकों में से एक सरकारी निदेशक होता है।

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन, कंपनी की न ही भावी व्यवहार्यता और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता के लिए आश्वासन हैं, जिससे प्रबंध समिति ने कंपनी कार्य को निष्पादित किया है।

### कृते एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी

कंपनी सचिव

एफआरएन: एल2018डीई004900

ह.

**मोहम्मद नजीम खान**

नामित भागीदार

सीपी 8245 (एफसीएस: 6529)

यूडीआईएन : एफ006529सी000687517

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26.07.2021

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(रुपए लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
<b>I.</b>	<b>परिसंपत्तियां</b>			
<b>1</b>	<b>गैर-चालू परिसंपत्तियां</b>			
	(क) संपत्ति, सयंत्र और उपकरण	3	423.76	436.44
	(ख) विनिधान संपत्ति	4	12.22	12.84
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	1.45	6.98
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	6	113,947.40	110,491.55
	(ii) अन्य	7	116.93	105.29
	(ड) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	8	54.37	61.18
			<b>114,556.13</b>	<b>111,114.28</b>
<b>2</b>	<b>चालू परिसंपत्तियां</b>			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकद और नकद के समकक्ष	9	7,724.65	9,921.19
	(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा बैंक शेष	10	8,274.11	7,938.38
	(iii) ऋण	6	83,361.22	79,198.61
	(iv) अन्य	11	6,080.55	5,700.85
	(ख) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	12	15.75	15.68
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	59.31	38.35
			<b>105,515.59</b>	<b>102,813.06</b>
	<b>कुल परिसंपत्तियां</b>		<b>220,071.72</b>	<b>213,927.34</b>
<b>II.</b>	<b>इक्विटी और दायित्व</b>			
<b>1</b>	<b>इक्विटी</b>			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	150,000.00	150,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	15	63,623.97	58,923.75
			<b>213,623.97</b>	<b>208,923.75</b>
<b>2</b>	<b>दायित्व</b>			
<b>(i)</b>	<b>गैर-चालू दायित्व</b>			
	(क) प्रावधान	16	432.48	392.18
			<b>432.48</b>	<b>392.18</b>
<b>(ii)</b>	<b>चालू दायित्व</b>			
	(क) वित्तीय दायित्व			
	(i) अन्य	17	5,256.60	3,774.67
	(ख) अन्य चालू दायित्व	18	75.91	59.99
	(ग) प्रावधान	16	682.76	776.75
			<b>6,015.27</b>	<b>4,611.41</b>
	<b>कुल इक्विटी और दायित्व</b>		<b>220,071.72</b>	<b>213,927.34</b>
<b>III.</b>	वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां 1–48 देखें।			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 0000262एन

ह.

सी.ए. विश्वास त्रिपाठी

भागीदार

सदस्यता सं. 086897

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 29.07.2021

ह.  
मनजीत सिंह छतवाल  
समप्र (वित्त)

ह.  
(राजेश बिहारी)  
महाप्रबंधक (वित्त)

ह.  
(देवानन्द)  
मुख्य महाप्रबंधक

ह.  
(अन्नु भोगल)  
उमप्र (वित्त व कंपनी सचि.)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.  
(बी. गणेशन)  
निदेशक  
डिन - 03572114

ह.  
(रजनीश कुमार जैनव)  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
डिन- 09056584

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>I</b>	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	<b>19</b>	5,992.09	6,890.11
<b>II</b>	अन्य आय	<b>20</b>	1,259.89	1,470.80
<b>III</b>	<b>कुल राजस्व (I + II)</b>		<b>7,251.98</b>	<b>8,360.91</b>
<b>IV</b>	<b>व्यय</b>			
	कर्मचारी हित व्यय	<b>21</b>	1,575.86	1,655.34
	वित्त लागत	<b>22</b>	0.55	1.01
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	<b>23</b>	40.23	42.52
	एससीए को प्रोत्साहन	<b>24</b>	89.30	88.89
	प्रशिक्षण व्यय – लाभार्थी		—	10.27
	सीएसआर व्यय	<b>37</b>	221.03	99.51
	अन्य व्यय	<b>25</b>	542.48	359.26
	<b>कुल व्यय (IV)</b>		<b>2,469.45</b>	<b>2,256.80</b>
<b>V</b>	<b>असाधारण मदों और करों से पूर्व व्यय से अधिक आय (III - IV)</b>		4,782.53	6,104.11
<b>VI</b>	असाधारण मदें	<b>26</b>	—0.40	—
<b>VII</b>	<b>कर—पूर्व व्यय से अधिक आय (V - VI)</b>		<b>4,782.13</b>	<b>6,104.11</b>
<b>VIII</b>	कर व्यय:			
	(1) वर्तमान कर		—	—
	(2) आस्थगित कर		—	—
<b>IX</b>	<b>निरंतर प्रचालनों की अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (VII-VIII)</b>		<b>4,782.13</b>	<b>6,104.11</b>
<b>X</b>	अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय		—	—
<b>XI</b>	अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		—	—
<b>XII</b>	अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय (X - XI)		—	—
<b>XIII</b>	<b>इस अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (IX + XII)</b>		<b>4,782.13</b>	<b>6,104.11</b>
<b>XIV</b>	<b>अन्य व्यापक आय</b>			
	क. (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	<b>27</b>	(81.91)	(45.57)
	क. (ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		—	—
	ख. (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		—	—
	ख. (ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		—	—

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>XV</b>	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (जिसमें व्यय से अधिक आय और इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है)		4,700.22	6,058.54
<b>XVI</b>	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	28	31.88	40.79
	(2) तरलीकृत (₹ में)	28	31.88	40.79
<b>XVII</b>	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन: (अनिरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)			
	(2) तरलीकृत (₹ में)			
<b>XVIII</b>	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन: (अनिरंतर और निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	28	31.88	40.79
	(2) तरलीकृत (₹ में)	28	31.88	40.79
<b>XIX</b>	वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियों को देखें			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार  
कृते मै. वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं.

सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 0000262एन

ह.  
सी.ए. विश्वास त्रिपाठी  
भागीदार  
सदस्यता सं. 086897  
स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 29.07.2021

ह.  
मनजीत सिंह छतवाल  
समप्र (वित्त)

ह.  
(राजेश बिहारी)  
महाप्रबंधक (वित्त)

ह.  
(देवानन्द)  
मुख्य महाप्रबंधक

ह.  
(अन्नु भोगल)  
उमप्र (वित्त व कंपनी सचि.)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.  
(बी. गणेशन)  
निदेशक  
डिन - 03572114

ह.  
(रजनीश कुमार जैनव)  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
डिन- 09056584

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह</b>		
असाधारण मदों और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय	4,782.13	6,104.11
<b>प्रचालन क्रियाकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकद के प्रति निवल लाभ का सामंजस्य के लिए समायोजन</b>		
मूल्यहास	40.23	42.52
पट्टा दायित्व पर ब्याज	0.55	1.01
परिसंपत्तियों की बिक्री/हानिकरण/विनिमय पर हानि/(लाभ)	0.40	—
पट्टों पर संशोधन लाभ	1.95	—
<b>प्रचालन परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ समायोजन के लिए:</b>	<b>4,825.26</b>	<b>6,147.64</b>
गैर-चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)	(3,455.85)	(7,734.89)
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(11.64)	(8.68)
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	6.81	0.84
चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)	(4,156.71)	(6,226.35)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(379.70)	(461.24)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(20.96)	47.21
अन्य बैंक शेष में कमी/(वृद्धि)	(335.73)	9,759.68
अन्य चालू वित्तीय दायित्वों में कमी/(वृद्धि)	1,478.03	152.70
अन्य चालू दायित्वों में कमी/(वृद्धि)	15.92	12.54
गैर-चालू प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	(41.61)	19.87
चालू प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	(93.99)	235.54
	<b>(6,995.43)</b>	<b>(4,202.79)</b>
<b>प्रचालन से सृजित नकद</b>	<b>(2,170.17)</b>	<b>1,944.84</b>
प्रदत्त आयकर	(0.07)	(3.68)
<b>प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद बहिर्वाह</b>	<b>(2,170.24)</b>	<b>1,941.17</b>
<b>ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह</b>		
संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान	0.86	0.69
संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों की खरीद	(22.26)	(5.92)
अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	—	(1.29)
<b>निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह</b>	<b>(21.40)</b>	<b>(6.52)</b>
<b>ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह</b>		
शेयर पूंजी का निर्गम	—	1,460.00
पट्टा दायित्व पर ब्याज	(0.55)	(1.01)
मूल पट्टे का भुगतान	(4.34)	(5.21)
<b>वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह</b>	<b>(4.89)</b>	<b>1,453.78</b>
<b>नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)</b>	<b>(2,196.53)</b>	<b>3,388.43</b>
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी सं. 9 देखें)	9,921.19	6,532.76
<b>नकद अंत: शेष और नकद समकक्ष</b>	<b>7,724.65</b>	<b>9,921.19</b>
<b>नकद और नकद समकक्ष का सामंजस्य वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी संख्या 9 देखें)</b>	<b>7,724.65</b>	<b>9,921.19</b>

**टिप्पणी:—**

- i यह नकद प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक-7 में दी गई अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।
- ii. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी भारतीय लेखामानक 7 में संशोधन को अपनाया है, जिसके तहत प्रकटीकरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन संस्थानों को ऐसे प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है जो नकदी प्रवाह और गैर-नकदी परिवर्तनों दोनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों सहित, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन-पत्र में प्रारंभ और समापन शेष के बीच सामंजस्य शामिल करने का सुझाव देते हैं ताकि वित्तीय आवश्यकता का प्रकटीकरण हो सके।
- iii. भारतीय लेखामानक 7 “नकद प्रवाह का विवरण” – वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन के अनुसरण में प्रकटीकरण।

**वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान**

(रुपए लाख में)

विवरण	पट्टा दायित्व	
	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
<b>वर्ष के प्रारंभ में शेष</b>	6.29	—
भारतीय लेखा मानक-116 को अपनाना		11.50
1 अप्रैल, 2020 को पुनःशेष	<b>6.29</b>	<b>11.50</b>
नकद प्रवाह:—		
— पुनर्भुगतान	4.89	6.22
— प्राप्ति		—
गैर-नकद:—		
— उचित मूल्य	0.55	1.01
— पट्टा दायित्व वृद्धि के एवज में परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त		—
संशोधन लाभ	(1.95)	—
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	—	<b>6.29</b>

- iv. विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलना करने और उनकी पुष्टि करने के लिए पुनःवर्गीकृत / पुनर्गठित किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं.

सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 0000262एन

ह.  
सी.ए. विश्वास त्रिपाठी  
भागीदार  
सदस्यता सं. 086897  
स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 29.07.2021

ह.  
मनजीत सिंह छतवाल  
समप्र (वित्त)

ह.  
(राजेश बिहारी)  
महाप्रबंधक (वित्त)

ह.  
(देवानन्द)  
मुख्य महाप्रबंधक

ह.  
(अन्नु भोगल)  
उमप्र (वित्त व कंपनी सचि.)

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

ह.  
(बी. गणेशन)  
निदेशक  
डिन - 03572114

ह.  
(रजनीश कुमार जैनव)  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
डिन- 09056584

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि
1 अप्रैल, 2020 को शेष	150.00	150,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	—	—
31 मार्च, 2021 को शेष	150.00	150,000.00

ख. अन्य इक्विटी

(रुपए लाख में)

विवरण	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष			कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	—	5,631.87	53,291.88	—	58,923.74
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी संख्या 33 देखें)	—	—	—	—	—
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	—	5,631.87	53,291.88	—	58,923.74
वर्ष के लिए लाभ	—	—	—	4,782.13	4,782.13
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	—	—	—	(81.91)	(81.91)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	—	—	—	4,700.22	4,700.22
विशेष आरक्षित में अंतरण	—	451.34	—	(451.34)	—
विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज का अंतरण	—	268.75	—	(268.75)	—
सामान्य आरक्षित में अंतरण	—	—	3,980.13	(3,980.13)	—
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	—	—	—	—	—
शेयर पूंजी का निर्गम	—	—	—	—	—
वर्ष के अंत में बकाया शेष	—	6,351.95	57,272.01	—	63,623.96

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 0000262एन

ह.

सी.ए. विश्वास त्रिपाठी

भागीदार

सदस्यता सं. 086897

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 29.07.2021

ह.  
मनजीत सिंह छतवाल  
समग्र (वित्त)

ह.  
(राजेश बिहारी)  
महाप्रबंधक (वित्त)

ह.  
(देवानन्द)  
मुख्य महाप्रबंधक

ह.  
(अन्नु भोगल)  
उमप्र (वित्त व कंपनी सचि.)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.  
(बी. गणेशन)  
निदेशक  
डिन - 03572114

ह.  
(रजनीश कुमार जैनव)  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
डिन- 09056584

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि
1 अप्रैल, 2019 को शेष	148.54	148,540.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	1.46	1,460.00
31 मार्च, 2020 को शेष	150.00	150,000.00

ख. अन्य इक्विटी

(रुपए लाख में)

विवरण	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष			कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	—	4,738.57	48,075.25	—	52,813.82
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी संख्या 33 देखें)	—	—	51.39	—	51.39
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	—	4,738.57	48,126.64	—	52,865.19
वर्ष के लिए लाभ	—	—	—	6,104.11	6,104.11
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	—	—	—	(45.57)	(45.57)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	—	—	—	6,058.54	6,058.54
विशेष आरक्षित में अंतरण	—	578.98	—	(578.98)	—
विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज का अंतरण	—	314.32	—	(314.32)	—
सामान्य आरक्षित में अंतरण	—	—	5,165.24	(5,165.24)	—
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	—	—	—	—	—
शेयर पूंजी का निर्गम	—	—	—	—	—
वर्ष के अंत में बकाया शेष	—	5,631.87	53,291.88	—	58,923.74

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 0000262एन

ह.  
मनजीत सिंह छतवाल  
समप्र (वित्त)

ह.  
(राजेश बिहारी)  
महाप्रबंधक (वित्त)

ह.  
(देवानन्द)  
मुख्य महाप्रबंधक

ह.  
(अन्नु भोगल)  
उमप्र (वित्त व कंपनी सचि.)

ह.  
सी.ए. विश्वास त्रिपाठी  
भागीदार  
सदस्यता सं. 086897  
स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 29.07.2021

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.  
(बी. गणेशन)  
निदेशक  
डिन - 03572114

ह.  
(रजनीश कुमार जैनव)  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
डिन- 09056584

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### 1 कॉर्पोरेट सूचना

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भारत में स्थित एक लाभ-निरपेक्ष कंपनी है और यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 हो गई है) के अंतर्गत दिनांक 08.02.1989 को स्थापित की गई थी। इसने दिनांक 09.04.2001 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। यह निगम दिनांक 10.04.2001 को जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के पश्चात् द्विभाजित हो गया था। इसके द्विभाजन के परिणामस्वरूप निगम अब अनुसूचित जाति लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं की अनन्य रूप से पूर्ति करता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 14<sup>वाँ</sup> तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092 में स्थित है।

### 2 लेखांकन नीतियां

#### 2.1 अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2021 और की स्थिति के अनुसार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) समय-समय पर संशोधित नियमावली के अनुसार तैयार किए गए हैं।

#### 2.2 तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं, निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है:

- (i) सुनिश्चित लाभ योजना और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ।
- (ii) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और उचित मूल्य पर मापे गए दायित्व।

#### 2.3 अनुमानों और निर्णय का इस्तेमाल

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान करें, जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों और दायित्वों के प्रकटीकरण तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करे। इस प्रकार के अनुमानों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल, संदिग्ध ऋणों, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्वों और आकस्मिक दायित्वों के लिए प्रावधान शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इन अनुमानों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम जाने जाते हैं / इन्हें मूर्त रूप दिया जाता है।

2.4 सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों को दो दशमलव पॉइंटों के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय ऐसी स्थिति के, जहां अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

## 2.5 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह, अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा कर-पूर्व लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकार के लेन-देनों और बाद के या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों के उपार्जन या किसी आस्थगन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण के क्रियाकलापों से नकद प्रवाह सूचना के आधार पर अलग-अलग कर दिया जाता है।

नकद प्रवाह के विवरण के उद्देश्यों के लिए, नकद और नकद समकक्ष में हस्तांगत नकदी, बैंकों में नकद और बैंकों में मांग जमा राशियां, निवल बकाया, बैंक मांग ड्राफ्ट (ओवरड्राफ्ट) शामिल हैं, जो मांग किए जाने पर भुगतान किए जाने योग्य हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का भाग माने जाते हैं।

### भारतीय लेखा मानक 7:

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-7 के संशोधन को अपनाया, जिसके तहत संस्थाओं को प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकद प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तनों दोनों से उठे परिवर्तन, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन-पत्र के आरंभिक और अंतःशेष राशि के बीच समायोजन पर सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

## 2.6 विदेशी मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए मदों को ऐसे प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का इस्तेमाल करके मापा जाता है, जिसमें कंपनी संचालन करती है (अर्थात् कार्यात्मक मुद्रा)। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

विदेशी मुद्राओं में हुई आय और किए गए खर्च के लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा की आर्थिक परिसंपत्तियां और दायित्व तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित की जाती हैं और निपटान तथा पुनः उल्लेख से उत्पन्न विनिमय लाभों और हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

## 2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संचित मूल्यहास और नुकसान से होने वाली हानियां, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई लागत
- (ii) मदों को अलग-अलग करने और हटाने तथा उस साइट को पुनः स्थापित करने, जिस पर यह स्थित है, यदि मान्यता संबंधी मापदंड पूरे किए गए हैं, की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की लागत और दीर्घावधि निर्माण परियोजनाओं की उधार लागतें पूंजीकृत की जाती हैं, यदि मान्यता का मापदंड पूरा किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत रु.5,000/- से अधिक है, को आय एवं व्यय के विवरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किया गया है।

परिसंपत्तियों की बिक्री पर लागत और संचित मूल्यहास का अनुमान वित्तीय विवरणों से लगाया जाता है और परिणामी लाभों तथा हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मूल्यहास का प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर अधोलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है। अनुमानित, उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यहास पद्धति की समीक्षा भावी आधार पर लेखे में लिए गए अनुमानों में किसी परिवर्तन की अवधि से, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, निम्नानुसार है:

### परिसंपत्तियों की श्रेणी

विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	60
एयर कंडीशनर	5
कंप्यूटर और हिस्से-पुर्जे	3
जुड़नार और फिटिंग	10
फर्नीचर	10
कार्यालय उपकरण	5
वाहन	8

लीज होल्ड बिल्डिंग का परिशोधन प्राथमिक पट्टा अवधि पर किया जा रहा है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का मूल्यहास अलग-अलग किया जाता है, यदि भाग की लागत उस मद की तुलना के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवनकाल बाकी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल से भिन्न है।

परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्तियों की लागत के 5% के रूप में लिया जाता है।

मूल्यहास को चल रहे पूंजीगत कार्य पर दर्ज नहीं किया जाता जब तक निर्माण और संस्थापन पूरा न कर लिया गया हो और परिसंपत्ति इसके आशयित इस्तेमाल के लिए तैयार न हो।

मूल्यहास पद्धतियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।

## 2.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को उस समय मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्ति के

कारण होते हैं, उद्यम तक आएं और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख, संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई है, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

“अमूर्त परिसंपत्तियों” के संबंध में ऐसा सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर उपकरण का अभिन्न अंग नहीं है, सॉफ्टवेयर तैयार करने और उससे संबंधित खर्च, जिसके परिणामस्वरूप तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक संस्थापन किया गया है, को लागत पर मान्यता दी जाती है और इसे तीन वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्टक मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है।

### 2.9 निवेश संपत्तियां

- (i) निवेश संपत्ति में पूरी कर ली गई संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्तपोषण पट्टे के अधीन रखी गई संपत्ति शामिल है, जो सामान्य व्यवसाय में बिक्री के लिए या उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल के लिए, के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजी बढ़ाने के लिए या दोनों के लिए रखी गई है।
- (ii) निवेश संपत्तियों का उल्लेख लागत, निवल संचित मूल्यह्रास और संचित नुकसान से होने वाली हानियाँ, यदि कोई हैं, पर किया जाता है।
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार कंपनी, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर उचित ढंग से निवेश के भवन संघटक पर मूल्यह्रास करती है (टिप्पणी 2.7 देखें)।
- (iv) निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास या तो तब दिया जाता है जब उनका निपटान कर दिया गया हो या जब वे उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले ली गई हों और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो। निपटान से प्राप्त निवल राशि और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्त करने की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

### 2.10 प्रावधान

प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब:

- (i) कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणाम के रूप में कोई वर्तमान दायित्व हो;
- (ii) संसाधनों के किसी संभावित बहिर्वाह द्वारा दायित्व के निपटाए जाने की आशा हो और
- (iii) दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

ऊपर मान्यता प्रदान किए गए प्रावधान, जिसे 12 महीने से अधिक के समय में निपटान किए जाने की आशा हो, को कर-पूर्व रियायती दर का इस्तेमाल करके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो देयताओं के प्रति विशिष्ट जोखिम दर्शाता है और समय बीत जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज खर्चों के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है।

## 2.11 राजस्व मान्यता

### (I) प्रचालन से राजस्व (आय):

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचेगा और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। तथापि, जब राजस्व में पहले से ही शामिल की गई राशि की संग्रहणीयता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो संग्रहण न किए जाने योग्य राशि या ऐसी राशि, जिसके संबंध में वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, को पहले से ही मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के समायोजन के बजाय खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

- (क) प्रदत्त ऋणों पर ब्याज संबंधी आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके लागू होने वाली दर और बकाया राशि हिसाब में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।
- (ख) अदायगियों में चूक पर दंडस्वरूप ब्याज को इसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण वसूली पर मान्यता दी जाती है।
- (ग) अप्रयुक्त ऋण निधियों की वापसी पर प्रभारित दंडस्वरूप ब्याज प्रबंधन नीति के अधीन है (देखें टिप्पणी 19.1) और इसकी गणना उपचय (बढ़ोतरी) के आधार पर की जाती है।

### (II) अन्य राजस्व मान्यता:

- (क) बैंक जमा राशियों पर ब्याज को बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रख कर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।
- (ख) स्टाफ ऋण पर ब्याज संबंधी आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके लागू होने वाली ब्याज दर और बकाया राशि को लेखों में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

## 2.12 इंड एस 20 के अंतर्गत यथानुमत सरकार/अन्य संगठनों से राजस्व अनुदान

- (i) जिस अवधि में संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है उसमें अनुदानों को जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए होते हैं प्रणालीबद्ध आधार पर आय एवं व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।
- (ii) सरकारी अनुदान पूर्वावधि में किए गए व्यय या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में किसी संस्था द्वारा प्राप्ति योग्य हो सकता है। ऐसे अनुदान को उसको प्राप्ति योग्य बनने की अवधि में आय एवं व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।
- (iii) आय से संबंधित अनुदानों को संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

## 2.13 पट्टा

### पट्टाधारी के रूप में

- (i) कंपनी पट्टा आरंभ होने की तिथि पर परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार एवं पट्टा देयता को मान्य करती है। संपत्ति के प्रयोगाधिकार को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या इससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि, व्यय की गई कोई आरंभिक सीधी लागत सहित तथा अंतर्निहित

परिसंपत्ति को नष्ट करने या हटाने के लिए या अंतर्निहित परिसंपत्ति या क्षेत्र जिस पर यह स्थित है, को बहाल करने का लागत अनुमान शामिल होता है तथा इसमें से प्राप्त कोई पट्टा प्रोत्साहन घटाया जाता है।

- (ii) संपत्ति के प्रयोगाधिकार के उपयोगी कार्यकाल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि या पट्टा अवधि की समाप्ति से सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके संपत्ति के प्रयोगाधिकार को बाद में मूल्यहास किया जाता है। परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार के अनुमानित उपयोगी कार्यकाल का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जिस आधार पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा, संपत्ति के प्रयोगाधिकार को क्षति नुकसानी, यदि कोई हो, द्वारा घटाया जाता है और पट्टा देयता के कुछ पुनः मापन के लिए समायोजित किया जाता है।
- (iii) पट्टा देयता को जिनका प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता, पट्टा में अंतर्निहित ब्याज दर के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है या उस दर का आसानी से निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो कंपनी की वृद्धि मूलक ऋण दर का प्रयोग करके छूट दी जाती है।
- (iv) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, इसे जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है तब उस समय पुनः मापा जाता है। जब पट्टा देयता को इस तरह से पुनः मापा जाता है या यदि परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार की अग्रणीत राशि को घटाकर शून्य कर दिया गया है, तब लाभ एवं हानि में दर्ज किया जाता है।
- (v) कंपनी परिसंपत्ति के ऐसे प्रयोगाधिकार को तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है जो 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण' में निवेश संपत्ति और 'अन्य वित्तीय देयताएं' में वित्तीय देयता की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।
- (vi) अल्प अवधि का पट्टा तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे। कंपनी ने अल्प अवधि के पट्टों के लिए परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार एवं पट्टा देयताओं को मान्य न करने का चयन किया है जिनकी पट्टा अवधि 12 माह या कम है तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में मान्य करती है।

### पट्टाकार के रूप में

- (i) जब कंपनी पट्टाकार के रूप में कार्य करती है तो यह पट्टा शुरू होने पर निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है अथवा प्रचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए कंपनी इस बात का समग्र आकलन करती है कि क्या पट्टा अप्रयुक्त परिसंपत्ति के स्वामित्व से वास्तविक सभी जोखिम एवं लाभों को पर्याप्त रूप से अंतरित करता है। यदि ऐसा होता है तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि ऐसा नहीं होता है तो यह प्रचालन पट्टा है। आकलन के अंग के रूप में कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक उपयोगिता के बड़े भाग के लिए है।
- (ii) यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक होते हैं तो कंपनी संविदा में प्रतिफल आवंटित करने के लिए इंड एस 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' का प्रयोग करती है।
- (iii) कंपनी प्रचालन पट्टा के तहत प्राप्त पट्टा भुगतानों को 'अन्य आय' के अंग के रूप में पट्टा अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आय के रूप में मान्य करती है।

### **2.14 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण**

- (i) परिसंपत्तियों की कैरिंग राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यह निश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या हानिकरण का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान

लगाया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए, जो उपयोग के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं, वसूली योग्य राशि का अनुमान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को लगाया जाता है।

- (ii) नुकसान से होने वाली हानि को उस समय मान्यता दी जाती है जब कभी किसी परिसंपत्ति की कैरिंग राशि या इसकी नकदी, सृजन इकाई इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षति नुकसानी को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।
- (iii) नुकसान से होने वाली हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन किया गया है। क्षति नुकसानी को केवल उसी सीमा तक प्रत्यावर्तित किया जाता है कि परिसंपत्ति की कैरिंग राशि उस कैरिंग राशि से अधिक नहीं है, जो निवल मूल्यह्रास या परिशोधन के रूप में निर्धारित की जाती, यदि क्षति नुकसानी को मान्यता न दी गई होती।

## 2.15 कर्मचारी लाभ

### (i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, के आय एवं व्यय का विवरण में गैर-बट्टागत आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

### (ii) नियोजनोत्तर लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

#### (क) सुनिश्चित अंशदान योजना

सुनिश्चित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा और समूह बचत संबद्ध बीमा योजनाओं को, खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे आय एवं व्यय का विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी, भविष्य निधि के संबंध में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सुनिश्चित अंशदान देती है। कंपनी के पास अपने अंशदान के अलावा, इस संबंध में कोई अन्य दायित्व नहीं है, जिसका भुगतान देय होने के समय किया जाता है। एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त योजनाएं जैसे 'परिभाषित अंशदान पेंशन योजना' और 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा' योजना हैं बशर्ते कि लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कंपनी द्वारा अंशदान किया गया हो।

#### (क) (i) पेंशन योजना

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशानुसार निगम में "एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" है। नियोक्ता, न्यास को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भत्ता का 10% देता है। निगम ने योजना के प्रबंधन के लिए 'एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना न्यास (ट्रस्ट)' नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एनएसएफडीसी का निधि प्रबंधक है।

#### (क) (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना

निगम में "सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित चिकित्सा योजना" है। निगम ने "एनएसएफडीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा योजना न्यास (ट्रस्ट)" नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। नियोक्ता ट्रस्ट को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भत्ता का 3% अंश देता है। निधियों का प्रबंधन, ट्रस्ट द्वारा स्थापना से दिनांक 01.08.2018 तक किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम दिनांक 02.08.2018 से समूह सेवानिवृत्ति नकद संचयी लाभ योजना के अंतर्गत ट्रस्ट की निधियों का प्रबंधन कर रहा है।

**(ख) सुनिश्चित लाभ योजना**

**(ख) (i) उपदान**

कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधिकरण, एक अलग न्यास के माध्यम से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जीवन बीमा निगम, जो एक सरकारी उपक्रम है, ने जीवन बीमा निगम द्वारा प्रमाणित अनुसार बीमांकिक गणना के आधार पर वर्ष के दौरान प्रीमियम प्रभारित किया है। तुलन-पत्र में मान्यता दी गई राशि, तुलन-पत्र की तारीख को सुनिश्चित लाभ दायित्वों में से 'योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य' घटाकर और उसमें से अभी तक मान्यता न दी गई कोई पूर्व सेवा लागत घटाकर निकाली गई राशि है।

**(ख) (ii) छुट्टी लाभ**

निगम में एक सुनिश्चित लाभ योजना (छुट्टी लाभ योजना) है, जिसमें निगम की छुट्टी नियमावली के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के वेतन और सेवाकाल के आधार पर पात्र कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। छुट्टी लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण, चिकित्सा छुट्टी इत्यादि को वर्ष के अंत में यथास्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

**2.16 विशेष आरक्षित निधि**

निगम, व्यय से अधिक आय का 10%, भवनों में निवेश करने और आकस्मिकताओं/आकस्मिक घटनाओं के लिए विशेष आरक्षित निधि की आय पर विचार करने से पूर्व विशेष राजस्व निधि में अंतरित करता है।

**2.17 आय कर**

कंपनी की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26बी) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार आयकर के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप "आयकर के लिए लेखांकन" का भारतीय लेखा मानक-12 का प्रावधान लागू नहीं होता।

**2.18 प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर अर्जन निर्धारित करने में, कंपनी, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर अर्जनों की संगणना करने में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या, इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या, तरलीकरण की संभावना वाले सभी इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किए जाते हैं।

**2.19 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले में किया जाता है:

- (i) किसी पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि इस दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; या
- (ii) वर्तमान दायित्व का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता; या

(iii) कोई संभावित दायित्व, जब तक संसाधन के बहिर्वाह की संभावना अल्पतम है।

- आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।
- आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक देयताओं और प्रावधानों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।
- आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह पर विचार करते हुए निवल अनुमानित प्रावधान हैं।

## 2.20 उचित मूल्य मापन

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं, जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है, को पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित, निम्नलिखित के रूप में विनिर्धारित उचित मूल्य अनुक्रम के अंदर श्रेणीकृत किया जाता है:

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्यांकन मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हैं।
- स्तर 3 – ऐसी मूल्य तकनीकें, जिनके लिए, उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट, अवलोकन न किए जाने योग्य हैं।

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, जिन्हें वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनः निर्धारित करके (पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित) अनुक्रम में स्तरों के बीच किए गए हैं।

रिपोर्टिंग की तारीख को, कंपनी, परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में संचालनों का विश्लेषण करती है, जिनका पुनःमापन या पुनःनिर्धारण लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी, संविदाओं और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल्यांकन संगणना में अनुप्रयुक्त प्रमुख इनपुटों का सत्यापन करती है।

कंपनी, प्रत्येक परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्यांकन में हुए परिवर्तन का भी मिलान सुसंगत बाह्य स्रोतों के साथ यह पता लगाने हेतु करती है कि क्या परिवर्तन तर्कसंगत हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति या दायित्व के स्वरूप, गुण और जोखिमों और ऊपर स्पष्ट किए गए उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

## 2.21 वित्तीय विलेख:—

### (i) आरंभिक मान्यता और मापन

इनमें वित्तीय विलेखों को प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण या वित्तीय विलेख जारी करने के लिए प्रदान किए जाने योग्य लेन-देन संबंधी ऐसी लागतें जोड़कर या कम करके इसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(ii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

(अ) परिशोधित लागत पर

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन, परिशोधित लागत पर किया जाएगा, यदि निम्नलिखित में से दोनों शर्तें पूरी की जाती हैं:

- (क) वित्तीय परिसंपत्ति, किसी व्यवसाय मॉडल के अंदर धारित है, जिसका उद्देश्य, संविदात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां धारित करना है; और
- (ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें, विनिर्दिष्ट तारीखों को, ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो बकाया मूलधन पर अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, हानिकरण, यदि कोई है, कम करके, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके, परिशोधित लागत पर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर परिशोधन) आय एवं व्यय का विवरण में वित्तीय आय में शामिल है।

(आ) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई)

‘ऋण विलेख’ अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, यदि निम्नलिखित में से दोनों मापदंड पूरे किए जाते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह संगृहीत करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर दोनों तरीके से प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह, अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान को प्रदर्शित करता है।

एफवीटीओसीआई के अंदर शामिल किए गए ऋण विलेखों का मापन आरंभ में और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। तथापि, कंपनी, ‘आय और व्यय का विवरण’ में, ब्याज से आय, नुकसान से होने वाली हानियों एवं प्रत्यावर्तनों और विदेशी विनिमय लाभ या हानि को मान्यता देती है। ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान की गई परिसंपत्ति, संचयी लाभ या हानि की मान्यता समाप्त करने पर उसे लाभ और हानि की इक्विटी में पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के इस्तेमाल को मान्यता दी गई है।

(इ) लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

‘लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर’ (एफवीटीपीएल), वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत पर या पीवीटीओसीआई में दिए गए श्रेणीकरण का मापदंड पूरा नहीं करती, को एफवीटीपीएल पर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी, ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट करने का विकल्प चुन सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मापदंड को पूरा करती है, यदि ऐसा करना मापन या मान्यता की असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दिए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

### वित्तीय देयताएं

#### (क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशियों, प्रतिभूति जमा राशियों और अवधारण राशि द्वारा प्रदर्शित परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्वों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात इसे प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित मूल्य पर लिया जाता है।

#### (ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय दायित्व

कंपनी ने किसी वित्तीय दायित्व को, एफवीटीपीएल पर नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

#### (iii) मान्यता समाप्त करना

##### वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति के किसी भाग या उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह के भाग) की मान्यता केवल तभी समाप्त की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियां और परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्ततः सभी जोखिम और रिवाइडस अंतरित हो जाते हैं।

##### वित्तीय देयता

वित्तीय देयता की मान्यता तभी समाप्त की जाती है, जब देयता के अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता, पर्याप्ततः भिन्न शर्तों पर उसी ऋणी से अन्य ऋणी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या किसी वर्तमान देयता की शर्तें पर्याप्ततः संशोधित कर दी जाती हैं तो ऐसी अदला-बदली या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और किसी नई देयता की मान्यता और संबंधित कैरिंग राशियों में अंतर को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

#### (iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण:

- (i) कंपनी, तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या वित्तीय परिसंपत्ति का हानिकरण हुआ है। भारतीय लेखा मानक-109 में, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) को, हानि अनुमति के जरिए मापे जाने की अपेक्षा की गई है।

- (ii) संविदा परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को 12 माह के बराबर राशि पर या जीवनकाल ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाएगा, यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम में इसकी आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप में वृद्धि हो गई है।
- (iii) इस अवधि के दौरान मान्यता दी गई ईसीएल क्षति नुकसानी भत्ते (या रिवर्सल) को 'आय एवं व्यय का विवरण' में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

## 2.22 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर-चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह), बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, जब उनकी कैरिंग राशि, किसी बिक्री लेनदेन के जरिए सिद्धांत रूप में वसूल की जानी हैं और बिक्री अत्यधिक संभावना वाली केवल तभी मानी जाती है, जब परिसंपत्ति या निपटान समूह, उसकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऐसी संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी और बिक्री, वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों का उल्लेख, कैरिंग राशि के न्यूनतम स्तर और उचित मूल्य में से बिक्री करने की लागत घटाकर आए मूल्य पर किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाने के पश्चात् संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास नहीं किया जाता या इन्हें परिशोधित नहीं किया जाता। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां और दायित्व, तुलन-पत्र में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

यदि भारतीय लेखा मानक-105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद कर दिए गए प्रचालन" द्वारा उल्लिखित मापदंड पूरे नहीं किए गए हैं तो निपटान समूह का, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है। गैर-चालू परिसंपत्ति, जिसका बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है, का मापन:

- (i) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले की मूल्यहास के लिए समायोजित इसकी कैरिंग राशि, जिसे मान्यता दी जाती है, यदि वह परिसंपत्ति, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत न की गई होती; और
- (ii) उस तारीख, जब निपटान समूह, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त होता है, को इसकी वसूली योग्य राशि से निम्नतर राशि पर किया जाता है।

## 2.23 मानक/संशोधन जारी किए गए हैं लेकिन अभी प्रभावी नहीं हैं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 18 जून 2021 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2021 को जारी किया था। भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2021 में निम्नलिखित मानकों में संशोधन किए गए हैं:

1. भारतीय लेखा मानकों को प्रथम बार अंगीकरण (इंड एस-101)
2. शेयर-आधारित भुगतान (इंड एस-102)
3. व्यावसायिक संयोजन (इंड एस-103)
4. बीमा अनुबंध1 (इंड एस-104)
5. बिक्री के लिए धारित और बंद की गई गैर-चालू आस्तियां (इंड एस-105)
6. खनिज संसाधनों की खोज और मूल्यांकन (इंड एस-106)

7. वित्तीय लिखतें (इंड एएस-107)
8. वित्तीय लिखतें : प्रकटन (इंड एएस-109)
9. संयुक्त व्यवस्थाएं (इंड एएस-111)
10. नियामक आस्थगन लेखा (इंड एएस-114)
11. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (इंड एएस-115)
12. पट्टा (इंड एएस-116)
13. वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण (इंड एएस-1)
14. लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियाँ (इंड एएस-8)
15. आयकर (इंड एएस-12)
16. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (इंड एएस-16)
17. समेकित और पृथक वित्तीय विवरण (इंड एएस-27)
18. सहयोगी (एसोसिएट्स) और संयुक्त उद्यमों में निवेश (इंड एएस-28)
19. अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (इंड एएस-34)
20. प्रावधान, आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक आस्तियां (इंड एएस-37)
21. अमूर्त आस्तियां (इंड एएस -38)
22. निवेश संपत्ति (इंडिया एएस-40)

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रुपए लाख में)

विवरण	भवन फ्रीहोल्ड	भवन लीजहोल्ड	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	कुल
<b>लागत या मानित लागत</b>							
<b>1 अप्रैल, 2019 को</b>	<b>22.48</b>	<b>635.38</b>	<b>108.26</b>	<b>15.41</b>	<b>39.45</b>	<b>94.94</b>	<b>915.92</b>
भारतीय लेखा मानक-116 से परिवर्तन का समायोजन*	—	11.50	—	—	—	—	11.50
अभिवर्धन निपटान/समायोजन	—	—	1.60	—	2.62	1.70	5.92
	—	—	—	—	(1.16)	(2.20)	(3.35)
<b>31 मार्च, 2020 को</b>	<b>22.48</b>	<b>646.89</b>	<b>109.86</b>	<b>15.41</b>	<b>40.90</b>	<b>94.44</b>	<b>929.99</b>
अभिवर्धन निपटान/समायोजन	—	—	1.06	8.02	2.15	11.03	22.26
	—	—	(0.06)	—	(2.68)	(31.86)	(34.60)
<b>31 मार्च, 2021 को</b>	<b>22.48</b>	<b>646.89</b>	<b>110.86</b>	<b>23.43</b>	<b>40.37</b>	<b>73.61</b>	<b>917.65</b>
<b>मूल्यहास और हानिकरण</b>							
<b>1 अप्रैल, 2019 को</b>	<b>16.77</b>	<b>215.25</b>	<b>98.47</b>	<b>12.86</b>	<b>32.28</b>	<b>84.40</b>	<b>460.03</b>
वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार हानिकरण निपटान/समायोजन	0.27	24.10	1.36	0.91	3.47	6.07	36.17
	—	—	—	—	(0.66)	(2.00)	(2.66)
<b>31 मार्च, 2020 को</b>	<b>17.04</b>	<b>239.35</b>	<b>99.83</b>	<b>13.77</b>	<b>35.09</b>	<b>88.46</b>	<b>493.54</b>
वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार हानिकरण निपटान/समायोजन	0.26	23.04	1.32	0.55	2.50	6.41	34.08
	—	—	(0.06)	—	(2.36)	(31.32)	(33.74)
<b>31 मार्च, 2021 को</b>	<b>17.30</b>	<b>262.39</b>	<b>101.09</b>	<b>14.32</b>	<b>35.23</b>	<b>63.55</b>	<b>493.88</b>
<b>निवल बुक मूल्य</b>							
<b>31 मार्च, 2021 को</b>	<b>5.17</b>	<b>384.50</b>	<b>9.78</b>	<b>9.11</b>	<b>5.14</b>	<b>10.06</b>	<b>423.76</b>
<b>31 मार्च, 2020 को</b>	<b>5.43</b>	<b>407.54</b>	<b>10.04</b>	<b>1.64</b>	<b>5.81</b>	<b>5.98</b>	<b>436.44</b>

**टिप्पणी:— 3.1** कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यहास/परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तदनुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यहास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

**टिप्पणी:— 3.2** भवनों में, लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड दोनों भवन शामिल हैं। पट्टे वाले भवनों में, स्वामित्व/उप-पट्टे का अंतरण लंबित रहते, उप-पट्टे पर खरीदा गया, स्कोप मीनार भवन स्थित परिसर शामिल है। इसके अलावा, मुंबई में खरीदे गए दो फ्लैटों का औपचारिक विलेख म्हाडा और आवास समिति के बीच अभी निष्पादित किया जाना है।

**टिप्पणी :— 3.3\*** कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी (भारतीय लेखामानक) संशोधन नियम, 2019 में संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके अधिसूचित के रूप में भारतीय लेखामानक-116 'पट्टे' को अपनाया है जिसके तहत पट्टेदार के तुलन-पत्र में पट्टा व्यवस्था को एक समान पट्टा देयता के साथ 'उपयोग के अधिकार' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। विवरण के लिए टिप्पणी सं. 41 का संदर्भ लें।

## 4 विनिधान संपत्ति

(रुपए लाख में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भवन	कुल
<b>लागत या मानित लागत</b>		
1 अप्रैल, 2019 को	46.50	46.50
अभिवर्धन	—	
निपटान/समायोजन	—	
31 मार्च, 2020 को	46.50	46.50
अभिवर्धन		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च, 2021 को	46.50	46.50
<b>मूल्यह्रास और हानिकरण</b>		
1 अप्रैल, 2019 को	33.01	33.01
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.65	0.65
हानिकरण		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च, 2020 को	33.66	33.66
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.62	0.62
हानिकरण		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च, 2021 को	34.28	34.28
<b>निवल बुक मूल्य</b>		
31 मार्च, 2021 को	12.22	12.22
31 मार्च, 2020 को	12.84	12.84

**टिप्पणी:—** 4.1 कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तदनुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

टिप्पणी:— 4.2 संपत्ति के विनिवेश का मूल्य निर्धारण

<b>भाग "क" का मूल्य निर्धारण</b>	
कारपेट एरिया	328.39 वर्ग मीटर
कार्यालय स्थान के लिए 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट रु. 77000/— की दर पर भाग 'क' कार्यालय स्थान का मूल्य	रु. 77000/वर्ग मीटर रु. 25,286,030.00
यह 4 <sup>थी</sup> मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर फ्लाइओवर के सामने है अतः 30% की दर पर कटौती	रु. 7,585,809.00
<b>भाग 'क' का उचित बाजार मूल्य</b>	<b>रु. 17,700,221.00</b>
	(क) रु. 177.00 लाख
<b>भाग "ख" का मूल्य निर्धारण</b>	
कारपेट एरिया	57.704 वर्ग मीटर
कार्यालय स्थान के लिए 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट रु. 77000/— की दर पर भाग 'क' कार्यालय स्थान का मूल्य	रु. 77000/वर्ग मीटर रु. 4,443,208.00
यह 4 <sup>थी</sup> मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर फ्लाइओवर के सामने है अतः 30% की दर पर कटौती	रु. 1,332,962.40 रु. 3,110,245.60
जोड़ें: मूल्यह्रास को समायोजित करने के उपरांत लकड़ी के विभाजक और अन्य लकड़ी के कार्य	रु. 150,000.00
	<b>रु. 3,260,245.60</b>
<b>भाग 'ख' का उचित बाजार मूल्य</b>	<b>(ख) रु. 32.6 लाख</b>
<b>संपत्ति का उचित बाजार मूल्य (क + ख)</b>	<b>रु. 209.60</b>

## 5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
<b>लागत या मानित लागत</b>		
<b>1 अप्रैल, 2019 को</b>	<b>30.49</b>	<b>30.49</b>
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	1.29	1.29
समायोजन	—	—
<b>31 मार्च, 2020 को</b>	<b>31.78</b>	<b>31.78</b>
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	—	—
समायोजन	—	—
<b>31 मार्च, 2021 को</b>	<b>31.78</b>	<b>31.78</b>
<b>परिशोधन और हानिकरण</b>		
<b>1 अप्रैल, 2019 को</b>	<b>19.10</b>	<b>19.10</b>
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	5.70	5.70
वर्ष के दौरान हानिकरण	—	—
<b>31 मार्च, 2020 को</b>	<b>24.80</b>	<b>24.80</b>
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	5.53	5.53
वर्ष के दौरान हानिकरण	—	—
<b>31 मार्च, 2021 को</b>	<b>30.33</b>	<b>30.33</b>
<b>निवल कैरिंग मूल्य</b>		
<b>31 मार्च, 2021 को</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>
<b>31 मार्च, 2020 को</b>	<b>6.98</b>	<b>6.98</b>

6 वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

ऋणों को गैर-चालू भाग, 'गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ऋणों को चालू भाग 'चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर-चालू	चालू		गैर-चालू	चालू	
<b>I क. ऋण (अप्रतिभूत – अच्छा समझा गया)</b>						
<b>i) मियादी ऋण संवितरण (संदर्भ टिप्पणी 6.1)</b>	482,228.87	-	482,228.87	436,200.74	-	436,200.74
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(69,186.41)	-	-69,186.41	(66,507.34)	-	(66,507.34)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(240,635.89)	-	-240,635.89	(211,022.29)	-	(211,022.29)
घटाएं: चालू भाग	(67,886.79)	67,886.79	-	(56,775.79)	56,775.79	0.00
	<b>104,519.78</b>	<b>67,886.79</b>	<b>172,406.57</b>	<b>101,895.32</b>	<b>56,775.79</b>	<b>158,671.11</b>
<b>ii) लघु ऋण वित्त संवितरण</b>	66,990.29	-	66,990.29	65,581.29	-	65,581.29
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(12,849.62)	-	-12,849.62	(11,519.14)	-	(11,519.14)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(48,231.99)	-	-48,231.99	(42,472.68)	-	(42,472.68)
घटाएं: चालू भाग	(4,578.52)	4,578.52	-	(9,794.83)	9,794.83	-
	<b>1,330.16</b>	<b>4,578.52</b>	<b>5,908.68</b>	<b>1,794.64</b>	<b>9,794.83</b>	<b>11,589.47</b>
<b>iii) महिला समृद्धि योजना संवितरण</b>	78,194.39	-	78,194.39	71,968.39	-	71,968.39
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(12,349.94)	-	-12,349.94	(11,845.88)	-	(11,845.88)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(52,027.93)	-	-52,027.93	(46,119.78)	-	(46,119.78)
घटाएं: चालू भाग	(8,889.75)	8,889.75	-	(10,493.12)	10,493.12	-
	<b>4,926.77</b>	<b>8,889.75</b>	<b>13,816.52</b>	<b>3,509.61</b>	<b>10,493.12</b>	<b>14,002.74</b>
<b>iv) महिला किसान योजना संवितरण</b>	1,358.70	-	1,358.70	1,326.70	-	1,326.70
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(560.07)	-	-560.07	(547.97)	-	(547.97)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(613.53)	-	-613.53	(608.18)	-	(608.18)
घटाएं: चालू भाग	(87.66)	87.66	-	(80.42)	80.42	-
	<b>97.44</b>	<b>87.66</b>	<b>185.10</b>	<b>90.13</b>	<b>80.42</b>	<b>170.55</b>
<b>v) शिल्पी समृद्धि योजना संवितरण</b>	480.65	-	480.65	440.65	-	440.65
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(258.24)	-	-258.24	(251.74)	-	(251.74)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(157.58)	-	-157.58	(149.71)	-	(149.71)
घटाएं: चालू भाग	(15.56)	15.56	-	(8.89)	8.89	-
	<b>49.27</b>	<b>15.56</b>	<b>64.83</b>	<b>30.31</b>	<b>8.89</b>	<b>39.20</b>
<b>vi) शिक्षा ऋण योजना संवितरण</b>	6,359.02	-	6,359.02	5,795.78	-	5,795.78
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(504.69)	-	-504.69	(250.09)	-	(250.09)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(2,137.86)	-	-2,137.86	(1,566.74)	-	(1,566.74)
घटाएं: चालू भाग	(1,547.91)	1,547.91	-	(1,602.90)	1,602.90	-
	<b>2,168.56</b>	<b>1,547.91</b>	<b>3,716.47</b>	<b>2,376.04</b>	<b>1,602.90</b>	<b>3,978.95</b>
<b>vii) वीईटीएलएस</b>	568.27	-	568.27	118.27	-	118.27
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	(61.96)	-	-61.96	(11.31)	-	(11.31)
घटाएं: चालू भाग	(113.65)	113.65	-	(28.15)	28.15	-
	<b>392.66</b>	<b>113.65</b>	<b>506.31</b>	<b>78.81</b>	<b>28.15</b>	<b>106.96</b>

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर-चालू	चालू		गैर-चालू	चालू	
<b>viii) आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना संवितरण</b>	-	-	-	165.81	-	165.81
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	-	-	-	(103.33)	-	(103.33)
घटाएं: चालू भाग	-	-	-	(30.59)	30.59	-
	-	-	-	31.89	30.59	62.48
<b>कुल : I क</b>	<b>113,484.65</b>	<b>83,119.84</b>	<b>196,604.48</b>	<b>109,806.75</b>	<b>78,814.70</b>	<b>188,621.45</b>
<b>I ख. ऋण (प्रतिभूत - अच्छा समझा गया)</b>						
<b>i) आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना</b>	416.27	-	416.27	175.71	-	175.71
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	(260.94)	-	-260.94	(113.23)	-	-113.23
घटाएं: चालू भाग	(84.28)	84.28	-	(30.59)	30.59	0.00
	<b>71.05</b>	<b>84.28</b>	<b>155.33</b>	<b>31.89</b>	<b>30.59</b>	<b>62.48</b>
<b>ii) उद्यम निधि योजना संवितरण*</b>	589.04	-	589.04	589.04	-	589.04
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	(438.13)	-	-438.13	(49.09)	-	-49.09
घटाएं: चालू भाग	(52.74)	52.74	-	(245.43)	245.43	-
	<b>98.17</b>	<b>52.74</b>	<b>150.91</b>	<b>294.52</b>	<b>245.43</b>	<b>539.95</b>
<b>iii) स्टाफ अग्रिम</b>	293.53	104.36	397.89	358.39	107.88	466.27
<b>कुल : I ख</b>	<b>462.75</b>	<b>241.38</b>	<b>704.13</b>	<b>684.80</b>	<b>383.91</b>	<b>1,068.70</b>
<b>I ग. ऐसी ऋण प्राप्तियां जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है</b>						
<b>(i) मियादी ऋण संवितरण</b>	666.27	-	666.27	666.27	-	666.27
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
घटाएं: चालू भाग	-	-	-	-	-	-
	<b>666.27</b>	<b>-</b>	<b>666.27</b>	<b>666.27</b>	<b>-</b>	<b>666.27</b>
<b>(ii) लघु ऋण वित्त संवितरण</b>	16.00	-	16.00	16.00	-	16.00
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
घटाएं: चालू भाग	-	-	-	-	-	-
	<b>16.00</b>	<b>-</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>-</b>	<b>16.00</b>
<b>(iii) महिला समृद्धि योजना संवितरण</b>	95.00	-	95.00	95.00	-	95.00
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
घटाएं: चालू भाग	-	-	-	-	-	-
	95.00	-	95.00	95.00	-	95.00
<b>कुल : I ग</b>	<b>777.27</b>	<b>-</b>	<b>777.27</b>	<b>777.27</b>	<b>-</b>	<b>777.27</b>
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋण (टिप्पणी सं. 31 का संदर्भ लें)	(777.27)	-	(777.27)	(777.27)	-	(777.27)
<b>कुल (1क+1ख)</b>	<b>113,947.40</b>	<b>83,361.22</b>	<b>197,308.62</b>	<b>110,491.55</b>	<b>79,198.61</b>	<b>189,690.15</b>

6.1 वर्ष के विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2020	संवितरण 2020–21	पुनर्भुगतान 2020–21	वापसी / वापस मंगाया 2020–21	अंतः शेष 31.03.21
मियादी ऋण (टीएल)	159,337.38	46,028.14	29,613.60	2,679.07	173,072.85
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ)*	11,605.47	1,409.00	5,759.31	1,330.48	5,924.68
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	14,097.74	6,226.00	5,908.15	504.06	13,911.53
महिला किसान योजना (एमकेवाई)	170.55	32.00	5.35	12.10	185.10
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई)	39.20	40.00	7.87	6.50	64.83
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	3,978.95	563.25	571.12	254.60	3,716.47
वीईटीएलएस	106.96	450.00	50.65	-	506.31
आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना	124.95	74.75	44.37	-	155.33
उद्यम निधि योजना	539.95	-	389.04	-	150.91
<b>कुल</b>	<b>190,001.15</b>	<b>54,823.13</b>	<b>42,349.47</b>	<b>4,786.81</b>	<b>197,688.00</b>

\* प्रारंभिक चालू शेष में एमसीएफ से मियादी ऋण में रु.2333.45 लाख का समायोजन शामिल है।

**6.1(क):** 'चालू ऋण' वह ऋण राशि है जो वित्तीय वर्ष के अंत तक अगले 12 महीनों के दौरान प्राप्ति योग्य है।

**6.1(ख):** 'चालू ऋण' नीति के तहत, 120 दिनों के बाद ऋण की अप्रयुक्त धनराशि पुनर्भुगतान योग्य है। हालांकि, विभिन्न घटकों जैसे एससीए के साथ लाभार्थियों द्वारा दस्तावेजीकरण पूर्ण करने में देरी, दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का कवरेज, पाइपलाइन में शेष बचे हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि कारणों से अनिश्चित है, उसे 'गैर-चालू' में किया जाएगा।

**6.1(ग):** वर्ष 2001 में निगम के विभाजन के परिणामस्वरूप, पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की सभी संपत्तियों और देनदारियों को, वास्तविक परिसंपत्तियों के मूल्य और ब्याज की उच्च दर (एचआरआई) और चूक भुगतान पर नकद हानि (एलडीडीपी) को छोड़कर 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया था।

दोनों निगमों के अधिकारियों की एक बैठक संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सान्या और अधिमं और जनजातीय कार्य के मंत्रालय के कार्यालय में हुई थी। उपर्युक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एनएससीएसटीएफडीसी के पास विभाजन के दिन (अर्थात् 10.04.2001) से उपलब्ध सरकारी गारंटी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के हाल ही में संशोधित अनुपात में संबंधित राज्य सरकार को पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा सूचना के माध्यम से अंतरित किया जाएगा। उपर्युक्त गारंटियां अभी भी पूर्व एनएससीएसटीएफडीसी के नाम पर ही हैं।

तदनुसार, दिनांक 07.09.2006 के विभिन्न पत्र सं. एनएनएसएफडीसी/वित्त-ऋण/बीएफ-02/खंड-2/ के माध्यम से 10.04.2001 को विशिष्ट राज्य सरकार गारंटी (अभी भी पूर्व निगम के नाम पर) की उपलब्धता निम्नलिखित राशि अनुसार कम हो गई है:

i) कर्नाटक – रु.671.42 लाख, (ii) तमिलनाडु – रु.184.18 लाख, (iii) मणिपुर – रु.116.25 लाख, (iv) जम्मू व कश्मीर – रु.304.09 लाख और (v) ओडिशा – रु.108.17 लाख

**6.1(घ):** रु.19,151.15 लाख (गत वर्ष रु.21,151.15 लाख) के कुल उपलब्ध सरकारी आश्वासन द्वारा रु.1,985.47 लाख (वर्ष 2019–20 में रु.2,685.47 लाख) की बकाया राशि प्राप्त की है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन सरकारी विलेख/आदेश के अनुरूप नहीं है। जोकि मध्यस्थता के माध्यम से विवादित मामलों में भी लागू किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी उन मामलों में वसूली करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है जहां बकाया ऋण राशि के संबंध में सरकारी आश्वासन दिया गया है।

**6.1(ङ):** वर्ष के दौरान, बीएससीडीसी से कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए रु.55.09 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2021 को बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान रु.1,522.73 लाख (पिछले वर्ष रु.1,467.64 लाख) है। इसमें दिनांक 31.03.2021 का रु.777.27 लाख (पिछले वर्ष रु.777.27 लाख) का संचयी मूल प्रावधान शामिल है। दिनांक 31.03.2021 को संचयी ब्याज प्रावधान रु.745.46 लाख (गत वर्ष रु.690.37 लाख) है।

## 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर-चालू

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
<b>अप्रतिभूत, अच्छा माना गया</b>		
प्रतिभूति जमा (टिप्पणी सं. 7.1 देखें)	6.41	4.34
प्राप्तव्य ब्याज किंतु देय नहीं	110.52	100.94706
<b>ऐसी प्राप्तियां जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है</b>		
जमा वसूली (संदिग्ध)	1,539.99	1,539.99
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता (टिप्पणी सं. 31)	(1,539.99)	(1,539.99)
<b>कुल</b>	<b>116.93</b>	<b>105.29</b>

7.1 प्रतिभूति जमा में टेलीफोन और टैलेक्स प्रतिभूति शामिल है।

7.2 जमा वसूली में पनवायर से रु.1539.99 लाख की वसूली राशि शामिल है (टिप्पणी 31.3 का संदर्भ लें)।

## 8 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
कार्मिकों हेतु पूर्व प्रदत्त व्यय (टिप्पणी 8.1 का संदर्भ लें)	54.37	61.18
	<b>54.37</b>	<b>61.18</b>

8.1 पूर्व प्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर-परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता या दिए गए ऋण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का रु.54.37 लाख (2019–20 – रु.61.18 लाख) शामिल है।

9 नकद और नकद समकक्ष

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
नकद और बैंक शेष		
बचत खाते में	7,724.65	9,921.19
<b>कुल</b>	<b>7,724.65</b>	<b>9,921.19</b>

10 नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
<b>अन्य बैंक शेष</b>		
एफडीआर	50.60	—
विशेष आरक्षित निधि की एफडीआर	5,069.99	4,738.57
अन्य (टिप्पणी : 10.1 का संदर्भ लें)	3,153.52	3,199.82
<b>कुल</b>	<b>8,274.11</b>	<b>7,938.38</b>

10.1 अन्य बैंक शेष – यह अनुदान निधियों को दर्शाता है जोकि लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग हेतु बनाई गई हैं।

11 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
<b>i) प्राप्तव्य ब्याज</b>	6,204.44	5,726.68
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता (टिप्पणी सं. 6.1 (ड) व 31 देखें)	(745.46)	(690.37)
	<b>5,458.98</b>	<b>5,036.31</b>
<b>ii) अन्य</b>		
बचत बैंक खाते पर प्राप्तव्य ब्याज	8.40	7.51
जमा राशियों पर प्राप्तव्य परंतु अदेय ब्याज	1.30	—
विशेष आरक्षित निधि पर प्राप्तव्य परंतु अदेय ब्याज	124.75	187.63
प्राप्तव्य किराया	—	0.00
प्राप्तव्य राशि	50.99	33.27
प्राप्तव्य अनुदान	436.13	436.13
<b>कुल</b>	<b>6,080.55</b>	<b>5,700.85</b>

11.1 तथापि, बीएससीडीसी से अतिदेय संबंधी रु.55.09 लाख (2019–20: रु.53.14 लाख) के ब्याज को लेखांकन नीति 2.11(i) (क) के संदर्भ में दर्ज किया गया है।

वर्ष के दौरान, बीएससीडीसी से कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए रु.55.09 लाख अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तदनुसार, 31.03.2021 को बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान रु.1,522.73 लाख (पिछले वर्ष रु.1,467.64 लाख) है।

## 12 चालू कर परिसंपत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
i) प्राप्तव्य स्रोत पर कर की कटौती	15.75	15.68
<b>कुल</b>	<b>15.75</b>	<b>15.68</b>

## 13 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
<b>पूंजीगत अग्रिम के अलावा अग्रिम</b>		
स्टाफ को अग्रिम	2.94	8.25
पार्टियों को अग्रिम	47.52	20.76
<b>अन्य</b>		
पूर्व-प्रदत्त खर्चे	8.85	9.34
<b>कुल</b>	<b>59.31</b>	<b>38.35</b>

13.1 पूर्व प्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर-परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता और दिए गए ऋण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का रु.8.41 लाख (2019–20 रु.8.51) शामिल है।

## 14 शेयर पूंजी

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
<b>प्राधिकृत शेयर पूंजी</b>		
प्रति रु.1000/- के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर (31-03-2020 की स्थिति के अनुसार : 1,50,00,000)		
प्रति रु.1000/- के इक्विटी शेयर	150,000.00	150,000.00
<b>जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी</b>		
प्रति रु.1000/- के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर (31-03-2020 की स्थिति के अनुसार: 1,50,00,000)		
प्रति रु.1000/- के इक्विटी शेयर	150,000.00	150,000.00
	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>

14.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का सामंजस्य

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
	(शेयरों की संख्या लाख में)	(रुपए लाख में)	(शेयरों की संख्या लाख में)	(रुपए लाख में)
वर्ष के आरंभ में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	150.00	150,000.00	148.54	148,540.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	—	—	1.46	1,460.00
वर्ष के अंत में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	<b>150.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150,000.00</b>

इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें और अधिकार

निगम के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जो रु.1000/- प्रति शेयर के सममूल्य वाले हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इसलिए कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान योग्य नहीं है।

14.2 कंपनी में कुल मिलाकर 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों के शेयरों के ब्योरे

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
	(शेयरों की संख्या लाख में)	होल्डिंग का %	(शेयरों की संख्या लाख में)	होल्डिंग का %
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	150.00	100%	150.00	100%
	<b>150.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>150.00</b>	<b>100.00%</b>

15 अन्य इक्विटी

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
अन्य आरक्षित		
विशेष आरक्षित	6,351.96	5,631.87
सामान्य आरक्षित	57,272.01	53,291.88
प्रतिधारित आय	—	—
	<b>63,623.97</b>	<b>58,923.75</b>

15.1 विशेष आरक्षित

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	5,631.87	4,738.57
जोड़े: विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	268.75	314.32
जोड़े: प्रतिधारित आय से अंतरित	451.34	578.98
<b>अंत: शेष</b>	<b>6,351.96</b>	<b>5,631.87</b>

15.2 सामान्य आरक्षित

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	53,291.88	48,075.25
घटाएं: पूर्वावधि चूक	—	51.39
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष का दुहराव	53,291.88	48,126.64
जोड़े: प्रतिधारित आय से अंतरित	3,980.13	5,165.24
<b>अंत: शेष</b>	<b>57,272.01</b>	<b>53,291.88</b>

15.3 प्रतिधारित आय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	—	—
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से अंतरित	4,782.13	6,104.11
घटाएं: विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज विशेष आरक्षित में अंतरित	(268.75)	(314.32)
विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज से आय पर विचार करने से पूर्व आय एवं व्यय	<b>4,513.38</b>	<b>5,789.79</b>
घटाएं : विशेष आरक्षित निधि में अंतरित 10%	451.34	578.98
घटाएं: पूर्वावधि वर्ष संबंधी 10% राशि को विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि से रिवर्स किया	—	—
जोड़ें: निर्धारित लाभ दायित्व की अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	(81.91)	(45.57)
साधारण आरक्षित में अंतरित बकाया	3,980.13	5,165.24
<b>अंत: शेष</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

16 चालू और गैर-चालू प्रावधान

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर-चालू	चालू		गैर-चालू	चालू	
i) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान						
– छुट्टी लाभ	432.48	23.05	455.53	392.18	21.12	413.30
– कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	–	361.84	361.84	–	580.82	580.82
– उपदान (निवल)	–	26.23	26.23	–	0.65	0.65
ii) अन्य प्रावधान						
– एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	–	134.30	134.30	–	133.89	133.89
– ब्याज सहायता हेतु प्रावधान (एनबीएफसी-एमएफआई)	–	5.50	5.50	–	5.50	5.50
– धन वापसी पर ब्याज के लिए प्रावधान	–	32.84	32.84	–	32.84	32.84
– सीएसआर के लिए प्रावधान	–	99.00	99.00	–	1.9365	1.94
<b>कुल</b>	<b>432.48</b>	<b>682.76</b>	<b>1,115.24</b>	<b>392.18</b>	<b>776.75</b>	<b>1,168.93</b>

16.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अगले 12 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से संबंधित धनराशि, चालू प्रावधान के रूप में ली गई है।

16.2 प्रावधानों के ब्योरे :

(रुपए लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2020–21 के दौरान अभिवर्धन	2020–21 के दौरान उपयोग / भुगतान	2020–21 के दौरान वापस लिया	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
छुट्टी लाभ	413.30	76.84	34.61	-	455.53
पीआरपी के लिए प्रावधान	622.10	118.32	375.62	2.96	361.84
एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	133.89	90.23	61.46	28.36	134.30
ब्याज सहायता हेतु प्रावधान (एनबीएफसी-एमएफआई)	5.50	-	-	-	5.50
धन वापसी पर ब्याज के लिए प्रावधान	32.84	-	-	-	32.84
सीएसआर के लिए प्रावधान	1.94	99.00	1.94	-	99.00
<b>कुल</b>	<b>1,209.56</b>	<b>384.39</b>	<b>473.63</b>	<b>31.32</b>	<b>1,089.01</b>

**16.3 भारतीय लेखा मानक-19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन (उपदान, छुट्टी लाभ) का प्रकटीकरण**

निधिबद्ध स्थिति के साथ-साथ आय एवं व्यय लेखा विवरण और तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि छुट्टी लाभों और उपदान के सुनिश्चित लाभों की सारांशीकृत स्थिति निम्नलिखित है:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)
<b>(I) बीमांकिक का मुख्य अनुमान</b>	आईएएलएम (2006-08)		आईएएलएम (2006-08)	
मृत्यु दर				
एट्रिशन दर				
30 वर्षों तक	3%	3%	3%	3%
31 से 44 वर्ष	2%	2%	2%	2%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%	1%	1%
बढ़ा दर	6.79	6.79	7.61%	7.61%
वेतन में वृद्धि (वार्षिक)	6.00	6.00	6.00%	6.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर लाभ की दर (वार्षिक)				
शेष कार्यकाल	11.62 वर्ष	11.62 वर्ष	13.31 वर्ष	13.31 वर्ष
<b>(II) देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन</b>				
अवधि के आरंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	630.92	413.30	521.39	335.24
ब्याज लागत	42.90	28.10	39.68	25.51
चालू सेवा लागत	31.53	20.64	26.50	19.35
पूर्व सेवा लागत	—	—	—	—
प्रदत्त लाभ (यदि कोई है)	(20.35)	(34.61)	—	(22.14)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	88.08	28.10	43.36	55.34
<b>अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य</b>	<b>773.08</b>	<b>455.53</b>	<b>630.92</b>	<b>413.30</b>
<b>(III) तुलन-पत्र में मान्यता दी जाने वाली धनराशि:</b>				
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	746.84	—	630.27	—
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार देयताओं का वर्तमान मूल्य	773.08	455.53	630.92	413.30
तुलन-पत्र में मान्यता दी गई निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	<b>(26.24)</b>	<b>(455.53)</b>	<b>(0.65)</b>	<b>(413.30)</b>
<b>(IV) आय एवं व्यय विवरण में मान्यता दिए गए व्यय</b>				
चालू सेवा लागत	31.53	20.64	26.50	19.35
पूर्व सेवा लागत	—	—	—	—
निवल ब्याज लागत	0.04	28.10	(3.87)	25.51
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	—	28.10	0	55.34
'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी गई निवल लागत	<b>31.57</b>	<b>76.84</b>	<b>22.63</b>	<b>100.20</b>

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)
<b>(V) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:</b>				
अवधि के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	630.27	—	572.22	—
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ अंशदान	49.02	—	41.33	—
प्रदत्त लाभ	87.90	—	16.72	—
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(20.35)	—	—	—
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—	—	—
	<b>746.84</b>	<b>—</b>	<b>630.27</b>	<b>—</b>
<b>(VI) अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए जाने वाला बीमांकिक लाभ/(हानि) :</b>				
	(81.91)	—	(45.57)	—
	<b>(81.91)</b>	<b>—</b>	<b>(45.57)</b>	<b>—</b>

संवेदनशीलता का विश्लेषण:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए लाख में)

निम्नलिखित में परिवर्तन	अनुमानों में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		उपदान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव	उपदान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव
<b>बढ़ा दर</b>	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	773.08	455.53	630.92	413.30
	0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	(24.66)	(15.12)	(21.62)	(14.69)
	0.50% कमी के कारण प्रभाव	25.89	15.84	22.73	15.40
	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	773.08	455.53	630.92	413.30
<b>वेतन की वृद्धि दर</b>	0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	25.96	15.90	22.80	15.46
	0.50% कमी के कारण प्रभाव	(24.96)	(15.23)	(21.88)	(14.79)

मृत्यु दर और आहरणों के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए, परिवर्तनों के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में संवेदनशीलताएं सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती।

**परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता की रूपरेखा**

(रुपए लाख में)

वर्ष	राशि	राशि	राशि	राशि
i 0 से 1 वर्ष	32.19	23.05	27.60	21.12
ii 1 से 2 वर्ष	50.45	35.67	24.47	17.97
iii 2 से 3 वर्ष	30.57	20.89	42.72	31.81
iv 3 से 4 वर्ष	66.39	36.99	24.78	18.64
v 4 से 5 वर्ष	49.46	28.98	54.32	33.31
vi 5 से 6 वर्ष	54.99	33.63	39.89	25.83
vii 6 वर्ष के बाद	489.04	276.32	417.15	264.62

**17 अन्य वित्तीय दायित्व**

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
<b>निम्नलिखित के प्रति सहायता-अनुदान:</b>		
(i) कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुदान (सान्याअमं) (टिप्पणी सं. :17.1 देखें)	1,973.95	3,221.69
अन्य संगठनों से अनुदान (टिप्पणी सं. : 19.1)	31.44	95.23
वस्त्र मंत्रालय से अनुदान	18.78	17.92
दक्ष सान्याअमं	1,694.93	—
डीजीटी, एमएसडीई, भारत सरकार से अनुदान	250.00	—
विसवास सान्याअमं	962.48	—
(ii) प्राप्त हुई प्रतिभूति जमा	4.71	4.45
(iii) भुगतान योग्य ईएमडी	13.85	15.48
(iv) विविध लेनदार	248.45	350.21
(v) बकाया व्यय	43.34	47.82
(vi) अन्य भुगतान योग्य	14.67	15.58
(vii) पट्टा दायित्व	—	6.29
<b>कुल</b>	<b>5,256.60</b>	<b>3,774.67</b>

17.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, उपलब्ध अनुदानों को राजस्व अनुदानों के रूप में मान्यता दी जाती है और खर्च न किए गए शेष को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है। कंपनी ने अनुदान की मान्यता के लिए आय दृष्टिकोण का पालन किया है। अनुदान संबंधी व्यय और प्राप्तियों को आय और व्यय खाते के माध्यम से मान्यता दी जाती है। प्रशिक्षण अनुदानों और आर्थिक सहायता के ब्योरे वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान प्राप्त, वापसी, निर्मुक्त किए गए और 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार शेष निम्नलिखित हैं:

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के दौरान प्राप्तियां	वर्ष 20-21 के दौरान ब्याज आय	वर्ष 20-21 के लिए वापसी	वर्ष 20-21 के दौरान स्वीकृत (निर्मुक्त)	31 मार्च, 2021 को अंतः शेष
1	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (प्रशिक्षण अनुदान)	3,221.70	0.00	135.92	-	1383.66	1,973.95
		-	-	-	-	-	-
2	संसाधन लिंकेज कार्यक्रम II	95.23	87.16	1.72	-	152.66	31.45
3	वस्त्र मंत्रालय से अनुदान	17.92	0.00	1.13	-	0.27	18.78
4	दक्ष सान्याअमं	-	1761.00	26.09	-	92.16	1,694.93
5	डीजीटी, एमएसडीई, भारत सरकार से अनुदान	-	250.00	0.00	-	0.00	250.00
6	विसवास सान्याअमं	-	1000.00	8.44	-	45.96	962.48
	<b>31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शेष</b>	<b>3,334.85</b>	<b>87.16</b>	<b>138.77</b>	<b>-</b>	<b>1,536.59</b>	<b>4,931.60</b>
	<b>31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार शेष</b>	<b>2,933.89</b>	<b>2,898.45</b>	<b>137.30</b>	<b>-</b>	<b>2,634.79</b>	<b>3,334.86</b>

18 अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपए/लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय राशियां	7,591,191.00	75.91	5,998,902.00	59.99
उचित मूल्य समायोजन				
<b>कुल</b>	<b>7,591,191.00</b>	<b>75.91</b>	<b>5,998,902.00</b>	<b>59.99</b>

19 प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/अन्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज</b>		
मियादी ऋण (टीएल) पर ब्याज	5,525.42	5,143.39
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ) पर ब्याज	165.20	314.00
महिला किसान योजना (एमकेवाई) पर ब्याज	3.31	2.93
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) पर ब्याज	123.81	142.28
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) पर ब्याज	0.71	0.50
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) पर ब्याज	58.48	44.44
वीईटीएलएस पर ब्याज	5.68	1.11
उद्यम निधि योजना पर ब्याज	15.42	14.10
वापसी पर ब्याज (टिप्पणी : 19.1 का संदर्भ लें)	86.62	1,227.37
<b>अन्य प्रचालन से राजस्व</b>		
ब्याज सबवेंशन विसवास योजना प्रबंधन प्रभार (देखें टिप्पणी : 19.2)		7.44
<b>कुल</b>	<b>5,992.09</b>	<b>6,890.11</b>

19.1 वर्ष 2020–21 के दौरान, एससीए, आरआरबी/पीएसबी और एनबीएफसी-एमएफआई से 1,183.74 लाख रुपए (वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 379.97 लाख रुपए) की धनवापसी पर क्रमशः रु.40.74 लाख (वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु.760.27 लाख), रु.45.88 लाख (वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान रु.483.40 लाख रुपए) और रुपए शून्य (वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान शून्य) धन वापसी पर ब्याज लगाया गया था।

वर्तमान ऋण नीति के अनुसार धनवापसी पर ब्याज निम्नानुसार लगाया जाता है:—

- (i) एससीए के मामले में संवितरित राशि की पूरी वापसी पर।
- (ii) चैनलाइजिंग एजेंसियों के मामले में:—
  - (क) 120 दिनों की अवधि के अंदर अप्रयुक्त निधि और धनवापसी पर ब्याज एनएसएफडीसी द्वारा चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्रभारित सामान्य ब्याज दर से अधिक 4% वार्षिक की दर से लागू होगा और संवितरण की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगा।
  - (ख) चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा 120 दिनों के अंदर भी अप्रयुक्त की गई राशि पर भी ऊपर बताए अनुसार वही लागू किया जाएगा।

- (ग) चैनलाइजिंग एजेंसियों को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 80% या उससे अधिक संचयी निधि उपयोग स्तर के अप्रयुक्त राशि पर लगाए जाने से छूट दी जाएगी।
- (iii) एनबीएफसी-एमएफआई के मामले में, चैनलाइजिंग एजेंसियों को धनवापसी पर ब्याज लगाए जाने से छूट दी जाएगी, यदि संचयी निधि उपयोग स्तर किसी विशेष योजना के तहत 80% या उससे अधिक है।
- (iv) "एनबीएफसी-एमएफआई, दावा आधारित वार्षिक आधार पर देय राशियों की समय से पूर्ण अदायगी पर 2% वार्षिक की दर से राहत पाने के पात्र हैं।"

**19.2** वर्ष के दौरान, निगम ने मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (VISVAS)' नाम से ब्याज आर्थिक सहायता (सबवेंशन) योजना को लागू किया है। इसके लिए निगम आर्थिक सहायता के ऋण पर 1% प्रबंधन शुल्क का हकदार है।

### 20 अन्य आय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>क) ब्याज आय</b>		
बैंकों में जमा राशियों पर ब्याज	674.82	1,027.58
बचत बैंक खातों पर ब्याज	219.39	66.79
कर्मचारी एवं अन्य को दिए गए अग्रिम पर ब्याज (टिप्पणी 20.1 का संदर्भ लें)	38.87	39.69
विशेष आरक्षित निधि पर ब्याज (टिप्पणी – 20.2 का संदर्भ लें)	268.75	314.32
<b>ख) अन्य गैर-प्रचालन आय</b>		
विविध प्राप्तियां	0.89	—
प्राप्त किराया	23.53	22.17
पट्टे पर संशोधन लाभ	1.95	—
बट्टे खाते के लिए प्रावधान	31.70	0.25
<b>कुल</b>	<b>1,259.89</b>	<b>1,470.80</b>

**20.1** कर्मचारी ऋण के उचित मूल्य निर्धारण के कारण आस्थगित खर्चों के परिशोधन के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान रु.8.15 लाख (वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु.5.00 लाख) को मान्यता दी गई है।

**20.2** जैसा कि 2006–07 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्देश दिया गया, दिनांक 24 जनवरी, 2008 को आयोजित अपनी 101<sup>वीं</sup> बैठक में बोर्ड ने एक विशेष आरक्षित निधि का सृजन करने के लिए मंजूरी प्रदान की जो उद्दिष्ट निधि (डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार) का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष आरक्षित निधि पर अर्जित ब्याज उसी निधि में पुनः निवेशित के रूप में बना रहता है। इसलिए, लेखांकन नीति 2.16 के अनुसार प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तथा इसे अलग रखा जाता है।

21 कर्मचारी हित व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>क) वेतन, मजदूरी एवं लाभ : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक</b>		
वेतन एवं भत्ते	8.20	14.60
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	—	0.11
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	—	0.13
छुट्टी लाभ	—	0.70
बाह्य सेवा अंशदान	2.16	3.53
	<b>10.36</b>	<b>19.07</b>
<b>ख) वेतन, मजदूरी एवं लाभ : कर्मचारी</b>		
वेतन एवं भत्ते	1,110.65	1,039.84
छुट्टी लाभ	76.84	100.20
छुट्टी यात्रा रियायत नकदीकरण	1.46	0.10
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	0.60	3.51
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	21.58	24.69
समयोपरि भत्ता	1.35	1.65
व्यावसायिक सदस्यता शुल्क	0.10	0.16
निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	118.32	243.52
बाह्य सेवा अंशदान	2.96	0.93
	<b>1,333.86</b>	<b>1,414.60</b>
<b>ग) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान</b>		
भविष्य निधि/जीएसएलआईएस में निगम का अंशदान	77.07	70.46
पेंशन में निगम का अंशदान	10.93	11.30
भविष्य निधि प्रशासनिक व्यय	3.70	3.44
उपदान	31.57	22.63
चिकित्सा (सेवानिवृत्त)	21.98	20.42
पेंशन (सेवानिवृत्त)	73.27	68.07
	<b>218.52</b>	<b>196.32</b>
<b>घ) कर्मचारी कल्याण व्यय</b>	4.97	20.35
	<b>4.97</b>	<b>20.35</b>
<b>ङ) ऋणों और अग्रिमों पर कर्मचारी लाभ व्यय</b>	8.15	5.00
<b>कुल</b>	<b>1,575.86</b>	<b>1,655.34</b>

22 वित्त लाभ

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>ब्याज</b>		
पट्टा देयता पर ब्याज लाभ	0.55	1.01
<b>कुल</b>	<b>0.55</b>	<b>1.01</b>

23 मूल्यहास और परिशोधन लागतें

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास (टिप्पणी सं. 3 और 4 का संदर्भ लें)	28.95	31.07
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर मूल्यहास (टिप्पणी सं. 3 का संदर्भ लें)	5.75	5.75
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी सं. 5 का संदर्भ लें)	5.53	5.70
<b>कुल</b>	<b>40.23</b>	<b>42.52</b>

24 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहन

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वसूली के लिए एससीए को प्रोत्साहन	44.30	43.89
एससीए को प्रोत्साहन-एनएपीई	45.00	45.00
<b>कुल</b>	<b>89.30</b>	<b>88.89</b>

25 अन्य व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन व्यय	0.19	0.72
हिंदी व्यय	0.37	—
कारोबार उन्नयन व्यय	1.69	—
कंप्यूटर एवं वेबसाइट व्यय	3.69	3.08
निगम सदस्यता शुल्क	1.78	1.46
निदेशक/बोर्ड बैठक व्यय	0.14	2.49

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत प्रभार	12.98	17.15
बीमा प्रभार	4.41	4.17
विधि और व्यावसायिक व्यय/परामर्श	83.40	19.12
दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम/मूल्यांकन/सम्मेलन/सेमिनार	14.17	71.72
कार्यालय इमारत व्यय	44.48	55.30
कार्यालय व्यय	76.40	53.07
कार्यालय किराया	0.34	0.37
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी सं. 25.1 का संदर्भ लें)	2.97	1.63
डाक, तार	0.70	1.46
मुद्रण और लेखन-सामग्री	3.66	9.48
टेलीफोन एवं टैलेक्स	4.44	5.26
प्रशिक्षण व्यय – स्टाफ	0.10	4.85
प्रशिक्षण व्यय – निदेशक	—	1.42
यात्रा किराया व्यय	0.69	1.56
यात्रा व्यय – निदेशक	0.13	9.63
यात्रा व्यय – स्टाफ	10.58	27.00
वाहन व्यय	7.37	7.71
दरें एवं कर	4.97	4.93
संसदीय समिति व्यय	7.37	1.85
समाचार-पत्र, पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.39	0.69
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	55.09	53.14
एक बारगी समायोजना के तहत ब्याज माफी (टिप्पणी सं. 25.2 देखें)	199.98	—
अनुदान व्यय	1,536.59	2,634.79
घटाएं: अनुदान आय	(1,536.59)	(2,634.79)
<b>कुल</b>	<b>542.48</b>	<b>359.26</b>

## 25.1 लेखापरीक्षक पारिश्रमिक

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा के लिए	2.49	1.63
गत वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए	0.48	—
कराधान मामलों के लिए	—	—
कंपनी विधिक मामलों के लिए	—	—
प्रबंधकीय सेवाओं के लिए	—	—
अन्य सेवाओं के लिए	—	—
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	—	—
<b>कुल</b>	<b>2.97</b>	<b>1.63</b>

**25.2** एनएसएफडीसी से वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक की अवधि के दौरान आर्यावर्त बैंक ने रु.61.76 करोड़ और एयूपीजीबी ने रु.29.70 करोड़ लिए थे। चूंकि, एयूपीजीबी को नवगठित आर्यावर्त बैंक के साथ मिला दिया गया था, आर्यावर्त बैंक ने दिनांक 24.07.2019 को पूर्ववर्ती एयूपीजीबी की अप्रयुक्त धनराशि रु.4.45 करोड़ वापस कर दी थी। पूर्ववर्ती एयूपीजीबी की शेष अप्रयुक्त राशि कुछ समय बाद सामान्य तिमाही पुनर्भुगतान के माध्यम से वापस कर दी गई थी।

बैंकों/आरआरबी के लिए एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार त्रैमासिक चुकौती के माध्यम से वापस की गई/चुकाई गई धनराशि पर दंडात्मक ब्याज/उच्च ब्याज दर (एचआरआई) प्रभारित होगा। आर्यावर्त बैंक ने बताया कि उन्हें विलय के बाद साझेदार से समर्थन की आवश्यकता है और वापस की गई राशि पर दंडात्मक ब्याज की छूट की मांग की। बोर्ड ने दिनांक 25.03.2021 को आयोजित अपनी 155वीं बोर्ड बैठक में रु.1,99,88,149/- की राशि के दंडात्मक ब्याज को एक बारगी समायोजन योजना के अधीन ऋण माफ करने हेतु मंजूरी दी।

ओएसएफडीसी वर्ष 2010–11 से वितरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा न कर पाने के कारण एनएसएफडीसी की निधियों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करने पर ओएसएफडीसी ने भुगतान किया और दंडात्मक ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया। दिनांक 31.10.2020 तक मूलधन और ब्याज की पूरी राशि के पुनर्भुगतान को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने विशेष मामले के रूप में रु.9,603/- माफ करने के लिए अनुमोदन दिया।

## 26 असाधारण मदें

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)	0.40	—
<b>कुल</b>	<b>0.40</b>	<b>—</b>

27 अन्य व्यापक आय के संघटक (ओसीआई)

इक्विटी में आरक्षण के प्रत्येक प्रकार द्वारा अन्य व्यापक आय के परिवर्तनों को पृथकतः नीचे दर्शाया गया है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	एफवीटीओसीआई	एफवीटीओसीआई
	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
सुनिश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन – उपदान	(81.91)	(45.57)
<b>कुल</b>	<b>(81.91)</b>	<b>(45.57)</b>

28 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>मूलभूत ईपीएस</b>		
निरंतर प्रचालन से	31.88	40.79
<b>तरलीकृत ईपीएस</b>		
निरंतर प्रचालन से	31.88	40.79

28.1 प्रति शेयर मूलभूत अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों का अर्जन और भारित औसत संख्या:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
निरंतर प्रचालन से	4,782.13	6,104.11
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन	4,782.13	6,104.11
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	150.00	149.65

### 28.2 प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन

प्रति शेयर तरलीकृत के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों के अर्जन और भारित औसत संख्या:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ :		
निरंतर प्रचालन से	4,782.13	6,104.11
निरंतर प्रचालनों से प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन	<b>4,782.13</b>	<b>6,104.11</b>

मूल अर्जन की गणना में इस्तेमाल किए इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या को तरलीकृत प्रति शेयर अर्जन के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित संख्या के सामंजस्य को नीचे दिया जा रहा है:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रभाव के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	150.00	149.65
तरलीकरण का प्रभाव:	—	—
आबंटन के लिए लंबित शेयर	—	—
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित संख्या	<b>150.00</b>	<b>149.65</b>

### 29 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य कार्यशील संस्था प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता सुनिश्चित करने और उसकी रक्षा करने के लिए एक तरीके से अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम लाभ और अन्य शेयरधारियों को लाभ उपलब्ध कराना जारी रख सके।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय प्रसंविदाओं की आर्थिक शर्तों और अपेक्षाओं में परिवर्तनों के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी का प्रबंधन करने के लिए उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

30 उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणियों के अनुसार वित्तीय विलेखों का कैरिंग मूल्य निम्नलिखित है:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		
	एफवीटीपी एल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपी एल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
<b>वित्तीय परिसंपत्तियां</b>						
(i) नकद और नकद समतुल्य	—	—	7,724.65	—	—	9,921.19
(ii) अन्य बैंक शेष	—	—	8,274.11	—	—	7,938.38
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	—	—	6,197.48	—	—	5,806.13
(iv) एससीए और सीए को ऋण	—	—	196,910.72	—	—	189,223.88
(v) कर्मचारियों को ऋण	—	—	397.89	—	—	466.27
<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियां</b>	—	—	<b>219,504.85</b>	—	—	<b>213,355.86</b>
<b>वित्तीय देयताएं</b>						
(i) प्रतिभूति जमा और भुगतान योग्य ईएमडी	—	—	18.56	—	—	19.93
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	—	—	5,238.04	—	—	3,754.74
<b>कुल वित्तीय देयताएं</b>	—	—	<b>5,256.60</b>	—	—	<b>3,774.67</b>

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य, जो उचित मूल्य पर मापा जाता है:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य
<b>वित्तीय परिसंपत्तियां</b>				
(i) एससीए और सीए को ऋण	196,910.72	196,910.72	189,223.88	189,223.88
(ii) स्टाफ ऋण और अग्रिम	397.89	379.70	466.27	448.75
<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियां</b>	<b>197,308.61</b>	<b>197,290.42</b>	<b>189,690.15</b>	<b>189,672.63</b>
<b>वित्तीय देयताएं</b>				
(i) प्रतिभूति जमा और भुगतान योग्य ईएमडी	19.93	19.93	19.93	19.93
<b>कुल वित्तीय देयताएं</b>	<b>19.93</b>	<b>19.93</b>	<b>19.93</b>	<b>19.93</b>

- i) नकद और नकद समकक्ष की कैरिंग राशियां, अन्य बैंक शेष, उधार, ईएमडी, अन्य वित्तीय देयताएं और एससीए को ऋण, अल्पावधि स्वरूप के होने के कारण उतने ही माने जाते हैं, जितना उनका उचित मूल्य है।
- ii) “कर्मचारियों को ऋण” का उचित मूल्य को वर्तमान बाजार दर का इस्तेमाल करके बढ़ाकृत नकद प्रवाहों के आधार पर परिकलित किया गया है। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अतथ्यात्मक योग्य इनपुटों के समावेशन के कारण उन्हें उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर-3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

### उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 के अंदर शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, इनपुट जो या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से लिए गए), परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए तुलनीय योग्य हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो अवलोकन बाजार के तुलनीय आंकड़ों (अतथ्यात्मक इनपुटों) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित सारणी परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को दर्शाती है:

#### दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम:

(रुपए लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तारीख	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
<b>वित्तीय परिसंपत्तियां</b>					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च, 2021	—	—	379.70	379.70
<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियां</b>		—	—	<b>379.70</b>	<b>379.70</b>

#### दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम:

(रुपए लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तारीख	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
<b>वित्तीय परिसंपत्तियां</b>					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च, 2020	—	—	448.75	448.75
<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियां</b>		—	—	<b>448.75</b>	<b>448.75</b>

### (iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

“कंपनी के मुख्य वित्तीय दायित्वों में अनुदान और अन्य भुगतान योग्य राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय दायित्वों के मुख्य उद्देश्य, कंपनी के प्रचालनों का वित्त पोषण करने और इसके प्रचालन को समर्थन देने के लिए गारंटियां उपलब्ध कराना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/सीए को मियादी/माइक्रो वित्त ऋण शामिल हैं, जो अपनी इक्विटी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम है। कंपनी के वित्तीय जोखिम क्रियाकलाप समुचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित होते हैं तथा इन वित्तीय जोखिमों का पता लगाया जाता है, इन्हें मापा जाता है और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक का प्रबंधन करने के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमति व्यक्त करता है, जो नीचे सारांशीकृत किए गए हैं :-

### क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम एक ऐसा जोखिम है कि किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाजार मूल्यों में परिवर्तनों के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम शामिल होता है। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावी वित्तीय विलेखों में ऋण और अग्रिम, जमा राशियां और अन्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय विलेख शामिल हैं।

### ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि बाजार ब्याज दर में परिवर्तनों के कारण किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी को ब्याज दर जोखिम का खतरा नहीं है।

### ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि किसी वित्तीय विलेख की कोई काउंटर पार्टी अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहती है और यह मुख्यतः एससीए और सीए से प्राप्ति योग्य कंपनी के ऋणों से उत्पन्न होता है। कंपनी को एससीए और सीए को दिए गए ऋणों के अपने वित्तीय क्रियाकलापों से क्रेडिट जोखिम का खतरा है।

कंपनी अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन करती है। कंपनी परिसंपत्तियों की आरंभिक मान्यता पर चूक की संभावना पर विचार करती है और इस बात पर भी विचार करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में चलायमान आधार पर क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, कंपनी आरंभिक मान्यता की तारीख की स्थिति के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों पर हुई चूक के जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध तर्कसंगत और समर्थकारी अग्रगामी सूचना पर विचार करती है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल किए गए हैं:

- दायित्व को समर्थन देने वाले संपार्श्विक या तृतीय पक्षकार गारंटियों की गुणवत्ता के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- समूह में ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससीए और सीए) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससीए) के प्रचालन परिणामों में परिवर्तनों सहित ऋण प्राप्तकर्ता (एससीए और सीए) के प्रत्याशित कार्य-निष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

सामान्य तौर पर, यह अनुमान लगाया जाता है कि आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, यदि भुगतान 3 वर्ष से अधिक समय तक देय है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में चूक तब होती है जब काउंटर पार्टी उस समय भुगतान करने में विफल रहती है जब वे देय हो जाते हैं।

### वित्तीय विलेख और नकद जमा राशियां

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास शेषों से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश काउंटर पार्टी से प्राप्त वित्तीय कोट्स के आधार पर काउंटर पार्टी के अनुमोदन से ही किया जाता है।

### घ) नकद हानि (लिक्विडिटी जोखिम)

लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। कंपनी पूर्वानुमानों और वास्तविक नकद प्रवाहों की निरंतर मॉनीटरिंग करके और वित्तीय देयताओं की परिपक्वताओं का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

31 प्रावधान

31.1 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान :

(रुपए लाख में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की अनुमानित सकल कैरिंग धनराशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित ऋण हानियां	कैरिंग राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
जीवनकाल की प्रत्याशित ऋण हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।*	ऋण	196,910.72	0%	-	196,910.72
		ऋणों पर ब्याज	5,458.98	0%	-	5,458.98
	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है और ऋण रूप से हानिकरण नहीं हुआ।	ऋण	777.27	100%	777.27	-
		ऋणों पर ब्याज	745.46	100%	745.46	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			<b>205,432.42</b>		<b>3,062.72</b>	<b>202,369.70</b>

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान :

(रुपए लाख में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की अनुमानित सकल कैरिंग धनराशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित ऋण हानियां	कैरिंग राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
लाइफटाइम प्रत्याशित ऋण हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।*	ऋण	189,223.88	0%	-	189,223.88
		ऋणों पर ब्याज	5,036.31	0%	-	5,036.31
	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है और ऋण रूप से हानिकरण नहीं हुआ।	ऋण	777.27	100%	777.27	-
		ऋणों पर ब्याज	690.37	100%	690.37	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			<b>197,267.83</b>		<b>3,007.64</b>	<b>194,260.19</b>

\* ऋणों तथा ऋणों पर ब्याज आय में किसी प्रावधान को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी वसूलनीयता के बारे में कोई संदेह नहीं होता है, तथापि, कुछ मामलों में इसमें काफी समय लगता है। गारंटी विलेख में मूलधन शामिल होता है तथा उस पर सभी प्रकार के ब्याज को गारंटीकर्ता (राज्य सरकार) द्वारा कवर किया जाता है। उपर्युक्त राशि बकाया होती है क्योंकि गारंटी का प्रतिसंहरण करने के लिए पर्याप्त अवधि पात्र है।

**31.2** एसीए के लिए, जहां राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासन उपलब्ध है, संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति लेखा-बहियों में 100% की दर से दी गई है, यदि तुलन-पत्र की तारीख को अतिदेय 3 वर्ष से अधिक है और राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासनों में कमी है।

सीए के अलावा (जहां गारंटी उपलब्ध नहीं है)

- (क) भुगतान के लिए देय परंतु 3 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि पर 100% का प्रावधान है।
- (ख) भुगतान के लिए देय परंतु 2 वर्ष या इससे अधिक परंतु 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 40% का प्रावधान है।
- (ग) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष या इससे अधिक परंतु 2 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 25% का प्रावधान है।
- (घ) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष से कम अवधि के लिए बकाया राशि पर कोई प्रावधान नहीं है।

### 31.3 अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान

वर्ष 2000–01 के दौरान “पनवायर” के पास जमा की गई राशि के संबंध में लेखा-पुस्तिकाओं में अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए रु.1,539.99 लाख (2019–20, रु.1,539.99 लाख) [जिसकी मूल राशि रु.1,485.00 लाख है (2019–20 रु.1,485.00 लाख) और प्राप्ति योग्य तथा देय ब्याज रु.54.99 लाख (2019–20, रु.54.99 लाख)] का प्रावधान है क्योंकि मूलधन ही वसूली के लिए संदिग्ध है, इसलिए ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत “पनवायर” के विरुद्ध एनएसएफडीसी द्वारा दो कोर्ट केस संबंधित न्यायालय में लंबित हैं। कंपनी (पनवायर) का माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा द्वारा पारित दिनांक 01.02.2001 के आदेश द्वारा परिसमापन हो गया था। इसके पश्चात इस मामले में न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया था। सरकारी परिसमापक से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार पनवायर की परिसंपत्तियां, उसके प्रतिभूत लेनदारों के प्रति कंपनी की देयताएं पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। एनएसएफडीसी के एक अप्रतिभूत लेनदार होने के कारण, इसकी राशि की वसूली की कोई गुंजाइश नहीं है और उक्त कंपनी में एनएसएफडीसी द्वारा निवेश की गई राशि वसूली के लिए संदिग्ध है।

## 32 अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

भविष्य से संबंधित मुख्य अनुमान निम्नलिखित हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, जिसके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की कैरिंग राशि में महत्वपूर्ण समायोजन किया जा सकता है:

### क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.7 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में मूल्यहास के खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

**ख) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल**

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.8 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में परिशोधन खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

**ग) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया**

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों द्वारा मापे जाते हैं। इन पद्धतियों के इनपुट, जहां संभव हो, अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य निकालने के लिए निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। निर्णयों में नकद हानि जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुटों पर विचार करना शामिल है। इन कारकों के बारे में अनुमानों में होने वाले परिवर्तन वित्तीय विलेखों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगले प्रकटीकरणों के लिए टिप्पणी संख्या 30 देखें।

**घ) सुनिश्चित लाभ दायित्व**

कर्मचारी लाभ दायित्व, बीमांकिक मूल्यांकनों का इस्तेमाल करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में ऐसे विभिन्न अनुमान लगाना शामिल है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें बड़ा दर का निर्धारण, वेतन में भावी वृद्धियां और मृत्यु दरें शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसके दीर्घावधि स्वरूप के कारण सुनिश्चित लाभ दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

**33 पूर्व-अवधि त्रुटियां**

(रुपए लाख में)

विवरण	राशि
दिनांक 01.04.2019 को सामान्य आरक्षित राशि	48,075.25
पूर्वावधि समायोजन	51.39
<b>दिनांक 01.04.2019 को पुनः प्रस्तुत प्रारंभिक सामान्य आरक्षित</b>	<b>48,126.64</b>
2019–20 को समाप्त वर्ष के लिए निरंतर प्रचालन की अवधि के लिए पुनः प्रस्तुत व्यय से अधिक आय की शेष राशि	5,789.79
2019–20 के दौरान विशेष आरक्षित राशि में अंतरण	(578.98)
2019–20 के दौरान अन्य व्यापक आय	(45.57)
<b>31.03.2020 को पुनः प्रस्तुत प्रारंभिक सामान्य आरक्षित</b>	<b>53,291.88</b>

इक्विटी, आय एवं व्यय का विवरण और ईपीएस पर पूर्व अवधि की त्रुटियों का प्रभाव

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी पर प्रभाव [इक्विटी में वृद्धि / (कमी)]	
प्राप्ति योग्य ब्याज	(3.89)
बकाया व्यय	10.10
	—
इक्विटी पर निवल प्रभाव	6.21

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
'आय और व्यय का विवरण' पर प्रभाव [लाभ में वृद्धि / (कमी)]		
मियादी ऋण (टीएल) वापसी पर ब्याज	—	(16.30)
अन्य खर्च	—	10.10
शिक्षा ऋण पर ब्याज	—	0.09
बचत खाते पर ब्याज	—	(5.19)
मियादी ऋण (टीएल) पर ब्याज	—	17.51
एससीए को वसूली हेतु प्रोत्साहन	—	—
	—	—
कुल प्रभाव	—	6.21
इक्विटी धारकों के प्रति	—	6.21

मूल और तरलीकृत प्रति शेयर अर्जनों (ईपीएस) [ईपीएस में वृद्धि / (कमी) पर प्रभाव]

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर प्रचालन के लिए प्रति शेयर अर्जन		
इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से मूलभूत, लाभ	—	0.04
इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से तरलीकृत, लाभ	—	0.04

## 34 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

### 34.1 कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद
श्री रजनीश कुमार जैनव	अप्रनि (1 जनवरी, 2021 से)
श्री के. नारायण	अप्रनि (1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2020 तक)
श्रीमती अन्नु भोगल	कंपनी सचिव
श्रीमती अन्नु भोगल	महाप्रबंधक (वित्त)
डॉ. के. रामालिंगम	स्वतंत्र निदेशक

### 34.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन:

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ किए गए लेनदेनों का स्वरूप या मात्रा

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि लाभ	99.37	83.15
स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	0.14	0.35
नियोजनोत्तर कर्मचारी लाभ	59.39	144.31
	<b>158.90</b>	<b>227.81</b>

अल्पावधि लाभ में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को दिया गया पारितोषिक शामिल है।

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
<b>संबंधित पार्टी को ऋण</b>		
<b>(i) श्री राजेश बिहारी (महाप्रबंधक – वित्त)</b>		
वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	2.77	5.42
वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	—	0.00
ब्याज	—	0.09
वर्ष के दौरान अदायगी	(1.42)	(1.00)
अंतिम शेष	<b>1.35</b>	<b>4.51</b>

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
<b>(ii) श्रीमती अन्नु भोगल (कंपनी सचिव)</b>		
वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	10.66	14.94
ब्याज	0.41	0.90
वर्ष के दौरान अदायगी	(2.63)	(3.21)
अंतिम शेष	<b>8.44</b>	<b>12.63</b>
वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली राशि	<b>9.79</b>	<b>17.14</b>

### 34.3 सरकारी संस्थाओं के साथ लेन-देन

उपरोक्त दिए गए लेन-देन के अलावा, कंपनी का अन्य सरकारी संस्थानों के साथ भी लेन-देन है, जिसमें निम्न शामिल हैं, लेकिन ये यहां तक ही सीमित नहीं हैं:-

**सरकार का नाम :** भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से (100% पूंजीगत अंशदान)

#### कुछ महत्वपूर्ण लेन-देन

पक्षकार	लेन-देन की प्रकृति	(रुपए लाख में)	
		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पूंजीगत अंशदान	—	1,460.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	कौशल प्रशिक्षण हेतु अनुदान	—	2,020.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	दक्ष के लिए	17.61	—
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	विसवास के लिए	10	—
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य योजनाएं	9.79	0.08
नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	जागरूकता कार्यक्रम	5.92	32.71
		<b>43.32</b>	<b>3,512.79</b>

**नोट:-** विसवास अनुदान में, रु.10 करोड़ में से, रु.5.00 करोड़ की राशि दिनांक 08.04.2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को वापस कर दी गई थी।

35 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा-22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण  
(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई बाकी मूल राशि	9.61	0.51
(ii) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई राशि पर देय ब्याज	—	—
(iii) निश्चित तारीख के पश्चात किए गए भुगतान की राशियों के साथ भुगतान किए गए ब्याज की राशि	—	—
(iv) वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	—	—
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और शेष अप्रदत्त	—	—
(vi) आगामी देय ब्याज की राशि और आगामी वर्ष में भी भुगतान योग्य, जब तक कि उस तारीख तक उक्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता।	—	—

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशियां, उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक, प्रबंधन द्वारा प्राप्त की गई सूचना के आधार पर इन पार्टियों की पहचान कर ली गई है। इस पर, लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

36 राष्ट्रीय स्तर के निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ किए गए लेन-देन की बाबत, वसूली योग्य / प्राप्त योग्य राशियों का प्रतितुलन करने के पश्चात, सामूहिक रूप से / उनकी ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रमों के प्रति वसूली योग्य कुल धनराशि रु.32.26 लाख (31.03.2020 को रु.19.53 लाख) है।

37 निगमित सामाजिक दायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय का गतिविधिवार विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए लाख में)

सीएसआर व्यय	वित्तीय वर्ष	
	2020–21	2019–20
(i) किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	शून्य	शून्य
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर		
स्वास्थ्य देखभाल / पोषण के अंतर्गत गतिविधियां	125.67	75.23
अनुसूचित जाति छात्रावासों / प्रयोगशाला / निर्माण आदि के लिए शिक्षा / उपकरण के अंतर्गत गतिविधियां।	26.91	22.34
<b>कुल</b>	<b>152.58</b>	<b>97.57</b>

37.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 और इसकी अनुसूची- VII के साथ पठित अनुसार, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के प्रकटीकरण के संबंध में

(क) व्यय की जाने वाली राशि का ब्योरा

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(i) ईओआईओई		
2016–17	—	4,900.92
2017–18	4,747.53	4,747.53
2018–19	5,126.67	5,126.67
2019–20	6,097.90	—
(ii) कुल (ईओआईओई)	<b>15,972.10</b>	<b>14,775.12</b>
(iii) घटाएँ: परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए समायोजन	—	—
(iv) निवल लाभ	15,972.10	14,775.12
(v) औसत (iv/3)	5,324.03	4,925.04
(vi) (v) का 2%	<b>106.48</b>	98.50
(vii) वर्ष के आरंभ में अव्ययित राशि	<b>106.22</b>	105.29
(viii) वर्ष के दौरान व्ययित राशि	152.58	97.57
(ix) वर्ष के अंत में अव्ययित राशि (vi+vii-viii)	<b>60.12</b>	<b>106.22</b>

37.2 अव्ययित राशि चल रही परियोजनाओं से संबंधित है। चल रही सीएसआर परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(रुपए लाख में)

एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	प्रारंभिक वर्ष	मंजूर राशि
हिरदा खेती को बढ़ावा देने के माध्यम से सामाजिक उद्यमिता	सामाजिक उद्यमिता (गैर विषयगत गतिविधि)	दिल्ली	2019	5.61
आईआईटी बॉम्बे	स्कूली छात्रों के लिए साइकोमेट्रिक परीक्षण	पबं, झारखंड, उप्र	2019	12.50
एसपीवाईएम	बेघरों के लिए आरोग्य कक्ष	दिल्ली	2019	6.60
भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान	माइक्रो कार्पेट क्लस्टर का विकास	जम्मू व कश्मीर	2019	9.94
प्रबुद्ध भारती इंटरनेशनल	दिल्ली राज्य में कोविड-19 के कारण संकट शमन के लिए राशन कार्ड रहित दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी कामगारों को राशन किट वितरण	दिल्ली	2020	2.25

एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	प्रारंभिक वर्ष	मंजूर राशि
सेंटर फॉर कम्यूनिटी इनिशिएटिव	कोविड रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान, चुराचांदपुर, मणिपुर	चुराचांदपुर, मणिपुर	2020	2.01
अनुग्रह दृष्टिदान	प्रवासी और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम (कोविड-19 लॉकडाउन 4.0) चरण IV	दिल्ली	2020	2.55
सर्ज इम्पैक्ट फाउंडेशन	कोविड-19 के कारण तेलंगाना राज्य में राशन कार्ड रहित बेरोजगार आदिवासियों को राशन किट का वितरण	महबूबाबाद, तेलंगाना	2020	6.19
टेक महिंद्रा फाउंडेशन	मोबाइल साइंस लैब	दिल्ली	2020	20.00
अनुग्रह दृष्टिदान	यमुना पुस्ता प्रवासियों और जेजे क्लस्टर निवासियों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम (कोविड-19 लॉकडाउन 3.0) चरण II	दिल्ली	2020	4.25
अनुग्रह दृष्टिदान	यमुना पुस्ता प्रवासियों, जेजे क्लस्टर निवासियों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम (कोविड-19 लॉकडाउन 2.0) चरण-I	दिल्ली	2020	4.25
अनुग्रह दृष्टिदान	यमुना पुस्ता प्रवासियों और जेजे क्लस्टर निवासियों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम (कोविड-19 लॉकडाउन 4.0) चरण III	दिल्ली	2020	3.19
केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड-केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन	डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट	केरल	2020	4.93
पीएमकेयर्स फंड	पीएमकेयर्स फंड में सीएसआर योगदान	संपूर्ण भारत	2020	20.00
अनुग्रह दृष्टिदान	प्रवासी और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम (कोविड-19)	दिल्ली	2020	2.20
स्वावलंबन	बायो-डिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम	दिल्ली	2020	1.00

एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	प्रारंभिक वर्ष	मंजूर राशि
सुलभ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्शन सोशियोलॉजी	नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना (सरकारी अस्पताल) में चिकित्सा कर्मियों के लिए 500 पीपीई किट	बिहार	2020	2.23
सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास	कोविड लॉकडाउन (1.0 से 4.0) के दौरान निराश्रितों को खाने के लिए बर्तन	दिल्ली	2020	9.65
द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन	वरिष्ठ नागरिकों, बेसहारा और मानसिक रूप से बीमार के लिए भोजन	हरियाणा	2020	5.29
पंजाब विरसा सब्यचरक सोसायटी	एसएस मोहाली, चंडीगढ़ में कोविड रोगियों के इलाज के लिए पीपीई, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था	पंजाब	2020	2.97
भारतीय उद्यमियता संस्थान	नलबाड़ी जिले, असम बाढ़ प्रभावित (100 अनुसूचित जाति परिवार) के लिए भोजन और आवश्यक किट	असम	2020	2.52
त्रिपुरा अजा सहकारी विकास निगम	अजा छात्रावासों को उपकरण—त्रिपुरा अजा निगम	त्रिपुरा	2020	19.76
महावीर इंटरनेशनल	दिल्ली राज्य में कोविड-19 से प्रभावित राशन कार्ड रहित कृषि और दिहाड़ी मजदूरों को राशन किट का वितरण	दिल्ली	2020	6.48
टेक महिंद्रा फाउंडेशन	कोविड-19 सुरक्षा के लिए धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र में सार्वजनिक शौचालयों की कीटाणुशोधन और स्वच्छता	महाराष्ट्र	2020	6.14
पुद्दुचेरी आदिद्रविदार विकास निगम लिमिटेड	पुद्दुचेरी राज्य में कोविड-19 से प्रभावित राशन कार्ड रहित और दिहाड़ी मजदूरों को राशन किट का वितरण	पुद्दुचेरी	2020	3.75
बाल उमंग दृश्य संस्था	दिल्ली दंगों से प्रभावित 250 लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा	दिल्ली	2020	3.00
महिला मंडल बाड़मेर अगोर	राजस्थान राज्य में कोविड-19 से प्रभावित राशन कार्ड रहित और दिहाड़ी मजदूरों को राशन किट का वितरण	राजस्थान	2020	2.25
भारतीय बांस संसाधन और प्रौद्योगिकी केंद्र	मखनीपुरवा, बहराइच में वीडियो फिल्म और राशन किट वितरण के माध्यम से जागरूकता (1000 व्यक्ति)	उत्तर प्रदेश	2020	1.66

एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	प्रारंभिक वर्ष	मंजूर राशि
राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	अस्पताल प्रयोगशाला उपकरण-राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	मणिपुर	2020	21.87
अनुग्रह दृष्टिदान	कोविड-19 जागरूकता-सह- स्वास्थ्य शिविर (05 दिन)	दिल्ली	2020	2.94
मुस्कान फाउंडेशन	दिल्ली राज्य में कोविड-19 से प्रभावित राशन कार्ड रहित और दिहाड़ी मजदूरों को राशन किट का वितरण	दिल्ली	2020	2.25
सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास	बेघरों को भोजन वितरण के लिए परिवहन (कोविड लॉकडाउन 3.0) चरण II	दिल्ली	2020	2.52
महावीर इंटरनेशनल, बाल उमंग दृश्य संस्था, अनुग्रह दृष्टिदान और सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास	250 राशन किट के वितरण के लिए एनसीसीएफ	दिल्ली	2020	1.89
हिंदुस्तान लैटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट	अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए उपकरण	तेलंगाना	2020	10.89
हिंदुस्तान लैटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट	पीपीई किट्स का वितरण	मुंबई, महाराष्ट्र	2020	3.30
अनुग्रह दृष्टिदान	स्वास्थ्य सह कोविड-19 जागरूकता शिविर	दिल्ली	2020	1.76
अनुग्रह दृष्टिदान	स्वास्थ्य सह कोविड-19 जागरूकता शिविर	दिल्ली	2020	0.59
अनुग्रह दृष्टिदान	स्वास्थ्य सह कोविड-19 जागरूकता शिविर एवं राशन किट का वितरण	दिल्ली	2020	4.93
द गोट ट्रस्ट	बकरी पालन के माध्यम से आजीविका	लखनऊ, उप्र	2019	17.93
पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास निगम	पानी के लिए आरओ सिस्टम	फिरोजपुर, पंजाब	2020	9.94
आरएससीएसटीएफडीसी	एक सांस्कृतिक भवन का निर्माण	पोकरण, राजस्थान	2020	3.00
हिंदुस्तान लैटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट	500 पीपीई किट्स का वितरण	मुंबई, महाराष्ट्र	2020	3.30
अन्नामलाई विश्वविद्यालय	एक कमरे के साथ बहुउद्देशीय कंक्रीट के फर्श का निर्माण	कुड्डालोर, तमिलानाडु	2020	5.77
				<b>266.05</b>

(ड) 31.03.2020 तक अव्ययित राशि (चल रही परियोजना) का विवरण

(रुपए लाख में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतःशेष	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर खाते में
105.29	-	98.50	97.57	-	106.22	-

31.03.2021 तक अव्ययित राशि (चल रही परियोजना) का विवरण

(रुपए लाख में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतःशेष	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर खाते में
106.22	-	106.48	152.58	-	-	67.75

- 37.3 (i) वर्ष 2020–21 के दौरान खर्च की जाने वाली राशि में से, ने बैंक खाते की कुल रु.220.33 लाख की राशि में से रु.106.48 लाख की आवश्यक राशि के बदले रु.152.58 लाख निर्मुक्त किए और अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में रु.67.75 लाख अंतरित किए।
- (ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान खर्च की गई वास्तविक राशि और साथ ही कंपनी (संशोधित) अधिनियम, 2021 के अधीन अपेक्षित अनुसार वर्ष 2020–21 की चल रही सीएसआर परियोजनाओं पर अव्ययित शेष राशि के लिए रु.221.03 लाख का 'सीएसआर व्यय' बुक किया है।
- (iii) कोविड महामारी लॉकडाउन के कारण अनुमानित आधार पर दिनांक 30.04.2021 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रु.67.75 लाख जमा किए गए। दिनांक 31.03.2021 को रु. 60.12 लाख की वास्तविक अव्ययित राशि है के लिए रु.99.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
- (iv) वर्ष 2020–21 के दौरान, अव्ययित राशि परियोजना की पूर्णता के अनुपात में/आवश्यकता के आधार पर किशतों में या चरणबद्ध तरीके से राशि जारी करने के कारण है।
- (v) कंपनी (संशोधित) अधिनियम, 2021 के अधीन अपेक्षित सुधार अनुसार दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में सीएसआर के लिए रु.99.00 लाख (गत वर्ष रु.1.94 लाख) का प्रावधान किया गया है।

- 38 "मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एमपीएससीएफडीसी) ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य (एमपी) के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में द्विभाजन के कारण निगम/राज्य सरकार के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों के अंतरण को विनियमित करता है, के अनुसार एनएसएफडीसी के अपने ऋण पोर्टफोलियो द्विभाजित कर दिए। तत्कालीन एमपीएससीएफडीसी के द्विभाजन के कारण एमपीएसडीएफडीसी और छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम (सीएसएएसएफडीसी) के बीच

ऋण देयता के संविभाजन का मामला, अपर रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी अधिकरण, भोपाल को संदर्भित किया गया था क्योंकि एमपीएससीएफडीसी द्वारा किया गया द्विभाजन, सीएसएएसएफडीसी को स्वीकार्य नहीं था। एमपीएससीएफडीसी के पक्ष में दिया गया न्यायाधिकरण का निर्णय, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के समक्ष अपील दायर की। यह समादेश याचिका, माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। यह मामला अभी निर्णयाधीन है।

न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला निर्णय लंबित रहते हुए, देय ब्याज के साथ-साथ रु.210.09 लाख की ऋण देयताएं, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार कर ली गई है और अदा कर दी गई है। सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार न की गई, मूलधन के रु.1114.43 लाख (गत वर्ष रु.1036.39 लाख) और दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ब्याज के रु.835.93 लाख (गत वर्ष रु.835.93 लाख) की देयता के लिए, इसे एमपीएससीएफडीसी के विरुद्ध दिखाया जा रहा है और इसकी अदायगी के लिए उन्हें मांग जारी की जा रही है।”

39 दिनांक 31.03.2021 को ऋणों का कुल अतिदेय, रु.4,817.01 लाख (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु.4,056.70 लाख) के ब्याज सहित रु.41,216.51 लाख (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु.35,651.24 लाख) है।

39.1 तीन वर्ष से अधिक के अतिदेय वाली “राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां / चैनलाइजिंग एजेंसियां” निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	एजेंसी	राज्य	कुल अतिदेय (रुपए लाख में) (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार)
1	एसडीसी	असम	649.10
2	बीएससीडीसी	बिहार	1,522.73
3	एमपीएससीएफडीसी	मध्य प्रदेश	1,950.36
4	एलएसडीसी	महाराष्ट्र	8,707.69
5	ओएसएफडीसी	ओडिशा	—
6	पीएसएलडीएफसी	पंजाब	900.48
7	पीयूडीसीओ	पुद्दुचेरी	—
8	यूपीएससीएफडीसी	उत्तर प्रदेश	1,208.20
9	एमएसटीसीबी	मणिपुर	147.88
10	जीएमबीसीडीसी	गुजरात	1,116.51
11	सीटीएससीडीसी	छत्तीसगढ़	2,168.36
12	लिडकॉम	महाराष्ट्र	1,802.14
	<b>कुल (क)</b>		<b>20,173.45</b>

39.2 तीन वर्ष से कम के अतिदेय वाली “राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां / चैनलाइजिंग एजेंसियां” निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	एजेंसी	राज्य	कुल अतिदेय (रुपए लाख में) (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार)
1	जीएससीडीसी	गुजरात	3,516.63
2	टीएससीडीसी	त्रिपुरा	3,487.91
3	एपीएससीडीसी	आंध्र प्रदेश	7,181.98
4	सीजीएससीएफडीसी	छत्तीसगढ़	—
5	एमपीबीसीडीसी	महाराष्ट्र	2,598.56
6	आरएससीडीसी	राजस्थान	2,439.53
7	डब्ल्यूबीएससीडीसी	पश्चिम बंगाल	—
8	केवीजीबी	कर्नाटक	—
9	जेएससीडीसी	झारखंड	571.80
10	शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां / चैनलाइजिंग एजेंसियां		1,246.65
	<b>कुल (ख)</b>		<b>21,043.06</b>
	<b>सकल कुल (क+ख)</b>		<b>41,216.51</b>

39.2.1 उपर्युक्त राशि बकाया है क्योंकि गारंटी का प्रतिसंहरण करने के लिए समयावधि पर्याप्त है। सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील संस्थान एवं व्यवसाय परिवेश के रूप में जारी रखने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और बिहार के एससीए के मामले में कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं।

39.3 दिनांक 31.03.2021 को रु.62,080.23 लाख (दिनांक 31.03.2020 को रु.75,848.69 लाख) के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। एससीए / सीए-वार अप्रयुक्त निधियों के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	राज्य	एजेंसी	अप्रयुक्त निधियां (रुपए लाख में)	
			2020–21	2019–20
1	आंध्र प्रदेश	एपीएससीसीएफसी	19,269.92	19,269.92
2	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएससीएसटीडीएफसी	7,005.86	10,835.75
3	राजस्थान	आरएससीडीसी	2,536.44	8,029.07
4	कर्नाटक	डीबीआरएडीसी	7,442.69	7,442.69
5	गुजरात	जीएससीडीसी	5,982.95	3,964.50
6	महाराष्ट्र	एमपीबीसीडीसी	2,871.43	3,469.07

क्रम सं.	राज्य	एजेंसी	अप्रयुक्त निधियां (रुपए लाख में)	
			2020–21	2019–20
7	त्रिपुरा	टीएससीडीसी	931.72	2,129.78
8	महाराष्ट्र	एलएसडीसी	1,862.34	1,862.34
9	छत्तीसगढ़	सीजीएससीएफडीसी	923.67	1,600.26
10	केरल	केएसडीसी	—	1,511.86
11	महाराष्ट्र	लिडकॉम	1,425.25	1,453.61
12	केरल	केएसडब्ल्यूडीसी	1,894.87	961.18
13	दिल्ली	डीएसएफडीसी	637.35	848.54
14	झारखंड	जेएससीडीसी	301.77	636.65
15	हिमाचल प्रदेश	एचपीएससीएसटीडीसी	524.80	495.75
16	गुजरात	जीएससीएमबीसीडीसी	305.71	305.71
17	असम	एसडीसी	304.75	304.75
18	उत्तराखंड	यूबीवीईवीएन	—	268.75
19	पंजाब	पीएसएलडीएफसी	251.43	251.43
20	झारखंड	झारक्राफ्ट	250.00	250.00
21	हरियाणा	एचएससीडीसी	196.72	181.80
22	जम्मू व कश्मीर	जेकेएससीएसटीबीसीडीसी	624.96	171.56
23	सिक्किम	एसएससीएसटीबीसीडीसी	—	167.35
24	मध्य प्रदेश	एमपीएससीएफडीसी	166.23	166.23
25	उत्तर प्रदेश	यूपीएससीएफडीसी	160.82	160.82
26	चंडीगढ़	सीएससीएफडीसी	—	117.14
27	ओडिशा	ओएसएफडीसी	110.79	110.79
28	पुद्दुचेरी	पाडको	193.87	—
29	मणिपुर	नेडफी—मण	100.00	100.00
30		शेष चैनल भागीदार	5,803.89	8,781.39
	<b>कुल</b>		<b>62,080.23</b>	<b>75,848.69</b>

#### 40 आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर से छूट

आयकर/आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगम की आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26)(ख) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।

इसके अलावा सीबीडीटी ने दिनांक 29.05.2017 को परिपत्र सं. 18/2017 जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि धारा 10 खंड (26बी) में संदर्भित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्थापित निगम, निकाय, संस्था या संगठन के मामले में, जिनकी आय में अप्रतिबंधित रूप से छूट प्राप्त है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अनुसार वैधानिक रूप से आयकर विवरणी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वहां स्रोत पर कर कटौती की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी आय भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के तहत कर से छूट प्राप्त है।

#### 41 पट्टा प्रकटन

##### (i) इंड एस 1 “वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति” द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन

##### लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन:

इंड एस 116 “पट्टे” की प्रयोज्यता के कारण वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में “पट्टा” की नीति को संशोधित किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल 2019 को इंड एस 116 को अधिसूचित किया गया था, जिसने इंड एस 17 का स्थान लिया है। इंड एस 116 पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति और प्रकटन के लिए सिद्धांत का वर्णन करता है और यह अपेक्षा करता है कि पट्टाधारी तुलन-पत्र में अधिकांश पट्टों को मान्य करे।

इंड एस 116 के अधीन का पट्टाकार लेखांकन इंड एस 17 से पर्याप्त रूप से अपरिवर्तित है। पट्टाकार इंड एस 17 जैसे समान सिद्धांतों का प्रयोग करके प्रचालन एवं या वित्त पट्टा के रूप में पट्टों को वर्गीकृत करना जारी रखेंगे। इसलिए, जहां कंपनी पट्टाकार है वहां इंड एस 116 का पट्टों के लिए कोई प्रभाव नहीं हुआ।

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 के आरंभिक प्रयोग की तारीख से अंगीकरण की संशोधित पूर्वव्यापी विधि का प्रयोग करके इंड एस 116 को अपनाया। इस विधि के तहत, आरंभिक प्रयोग की तिथि को स्वीकृत मानक के शुरुआती प्रयोग के संचयी प्रभाव के साथ मानक का प्रयोग पूर्वव्यापी प्रभाव से किया जाता है। **कंपनी ने पट्टे के आकलन के लिए परिवर्तन प्रणाली को अपनाया है ताकि दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को पट्टा संविदा है या इसमें पट्टा निहित है का पुनः आकलन नहीं करना पड़े।** कंपनी ने केवल उन्हीं संविदाओं पर मानकों का प्रयोग किया जो पहले इंड एस 17 का प्रयोग करके पट्टा के रूप में चिह्नित किए गए थे।

कंपनी के पास भवन के लिए पट्टा संविदाएं हैं। इंड एस 116 को अपनाने से पूर्व, कंपनी ने प्रारंभ तिथि पर अपने प्रत्येक पट्टे को (पट्टाधारी के रूप में) वित्त पट्टा या प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया था। इंड एस 116 को अपनाने पर, कंपनी ने अल्प अवधि के पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता एवं मापन दृष्टिकोण का प्रयोग किया। मानक विशिष्ट परिवर्तनीय संक्रमण आवश्यकताएं एवं व्यावहारिक प्रणालियां प्रदान करता है, जिन्हें कंपनी द्वारा प्रयुक्त किया गया है।

### पूर्व में वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किए गए पट्टे

कंपनी ने पूर्व में वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए प्रारंभिक प्रायोज्यता की तिथि पर मान्य परिसंपत्तियों की आरंभिक अग्रणीत राशियों में परिवर्तन नहीं किया। इंड एस 116 की आवश्यकताओं को 1 अप्रैल, 2019 से इन पट्टों पर लागू किया गया।

### पूर्व में प्रचालन पट्टा के रूप में लेखांकित पट्टे

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अल्प अवधि के पट्टों को छोड़कर पूर्व में प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए पट्टा देयता के तहत पट्टा परिसंपत्तियों को मान्य किया। पट्टाधारी पट्टा के शेष भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देयता को मान्य करता है जिसे प्रारंभिक प्रायोज्यता की तारीख पर पट्टाधारी की वृद्धिमूलक उधारी दर का प्रयोग करके डिस्काउंट किया जाता है तथा परिणामस्वरूप पट्टा देयता के बराबर राशि पर पट्टा परिसंपत्तियों को मापा गया, पहले मान्य पूर्वप्रदत्त या उपार्जित पट्टा भुगतानों के लिए समायोजित किया गया।

कंपनी ने उपलब्ध व्यावहारिक प्रणालियों का भी प्रयोग किया जिसमें इसने:

- (i) यथोचित रूप से समान विशेषताओं वाले पट्टों के वर्ग के लिए एकल पट्टा दर का प्रयोग किया।
- (ii) ऐसी अवधि वाले पट्टों पर अल्प अवधि के पट्टा छूटों का प्रयोग किया जो आरंभिक प्रयोग की तारीख से 12 माह के अंदर समाप्त होती है और पट्टा की कुल अवधि 12 माह से कम होती है।
- (iii) आरंभिक प्रयोग की तारीख पर परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार के मापन में आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को शामिल नहीं किया।
- (iv) पट्टा अवधि के निर्धारण में दूरदर्शिता का प्रयोग किया जहां संविदा में पट्टा की अवधि बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प निहित थे।

पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारत औसत वृद्धिमूलक उधारी दर 8.75 प्रतिशत है।

### (ii) इंड एस-116 के अनुसार पट्टा प्रकटन

#### (क) पट्टाधारी के रूप में कंपनी

कंपनी ने 5 अप्रैल 2016 से 4 अप्रैल 2021 तक की 5 साल की अवधि के लिए पट्टे पर बेंगलूरु कार्यालय हेतु स्थान लिया है जिसे इंड एस 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पीपीई के तहत दर्ज किया गया है। इस मानक को अपनाने से 1 अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार क्रमशः रु.11.50 लाख और रु.11.50 लाख की “पट्टा देयता की मान्यता” और ‘प्रयोग का अधिकार’ की परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। तथापि, दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लाभ पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं हुआ।

### पट्टा परिसंपत्तियां

पट्टा परिसंपत्तियों की मान्यता प्राप्त राशियाँ और वर्ष के दौरान होने वाली गतिविधियों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
वर्ष के आरंभ में शेष	5.75	—
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	11.5
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	5.75	5.8
वर्ष के अंत में शेष	0.00	5.75

### पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान, पट्टा देयताओं की कैरिंग राशि की मान्यता और गतिविधियां नीचे प्रस्तुत की गई हैं:

(रुपए लाख में)

	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
वर्ष के आरंभ में शेष	6.29	—
वृद्धि	—	11.5
ब्याज का आभिवृद्धि	0.55	1.01
भुगतान	4.89	6.22
संशोधन लाभ	1.95	—
वर्ष के अंत में शेष	0	6.29
चालू	0	6.29
गैर-चालू	—	—

31 मार्च, 2021 तक अघोषित रूप से पट्टा देनदारी का परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	-	-	-
	-	-	-

31 मार्च, 2020 तक अघोषित रूप से पट्टा देनदारी का परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	6.29	-	-
	6.29	-	-

लाभ और हानि के विवरण में मान्य राशि

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पट्टा परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास व्यय	5.8	5.8
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	0.6	1.0
	<b>6.3</b>	<b>6.8</b>

(ख) पट्टाकार के रूप में कंपनी

पट्टा पर दी गई परिसंपत्तियों का विवरण टिप्पणी 4 – निवेश संपत्ति के तहत दिया गया है।

42 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत छूट

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 29.04.2011 के पत्र संख्या डीएनबीएस.एनडी.संख्या 4175एमआई/10.01.001/2010–11 के अंतर्गत यह प्रमाणित किया है कि एनएसएफडीसी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1क के उपबंधों और कंपनी के सामुदायिक सेवा में नियोजित एक 'लाभ निरपेक्ष' कंपनी के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाने के कारण कंपनी (एनएसएफडीसी) के आधार पर अन्य विनियामक और विवेकपूर्ण मानकों से बैंक द्वारा छूट प्रदान कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड के संकल्प की प्रति प्रस्तुत करने की सलाह दी जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कंपनी (एनएसएफडीसी) जनता से निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। तदनुसार दिनांक 30 मई, 2011 को हुई बोर्ड की 118<sup>वाँ</sup> बैठक में संकल्प पारित किया गया है और यह संकल्प दिनांक 13 जून, 2011 के पत्र संख्या एनएसएफडीसी/एसईसीटी/193/2010/2704 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

43 भौतिक वस्तुओं पर भारतीय लेखांकन मानक की प्रायोज्यता

पूर्व अवधि की मदों तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों की प्रायोज्यता भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्वव्यापी रूप में केवल भौतिक वस्तुओं पर किया जाता है।

44 कोविड-19 का प्रभाव

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020 के द्वारा राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा की, जिसे समय-समय पर 17.05.2020 तक बढ़ाया गया।

तथापि, कंपनी के प्रचालन बाधित नहीं हुए हैं। असाधारण स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने परिवर्तित व्यवसाय परिवेश को अपनाया है। कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने के उद्देश्य से निगम ने जून 2020 में समाप्त तिमाही के लिए देय होने वाली किस्त के लिए विलंबन अवधि में विस्तार प्रदान किया है। इसके अलावा, पुनर्भुगतान की अनुसूची के साथ विलंबन अवधि बढ़ाने वाले आरबीआई के परिपत्र दिनांक 23 मई, 2020 के अनुसार, कंपनी ने दिनांक 30 जून, 2020 तक देय पुनर्भुगतान अनुसूची पर दांडिक ब्याज लगाए बिना तीन माह की अवधि के लिए अर्थात् 30 सितंबर, 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया। इसका वित्तीय प्रभाव नहीं है और 31.03.2021 को नकद प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया है।

## 45 सेगमेंट रिपोर्टिंग

## (क) प्रचालन सेगमेंट

कंपनी एकल सेगमेंट में अर्थात् लक्षित समूहों के लिए आय अर्जित करने वाली परियोजना के परोक्ष वित्त पोषण के व्यवसाय में लगी हुई है जहां से यह अपनी आय अर्जित कर रही है और व्यय कर रही है। एकल भाग के प्रचालन के परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा निष्पादन का आकलन किया जाता है, जिन्हें मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में माना जा सकता है। कंपनी के सभी संसाधन इस एकल भाग के लिए समर्पित हैं तथा इस भाग के लिए सभी अलग वित्तीय सूचना उपलब्ध है।

## (ख) भौगोलिक सूचना

चूंकि कंपनी की गतिविधियां / प्रचालन देश के अंदर हैं और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए जोखिम और प्रतिफल समान हैं और इस प्रकार केवल एक भौगोलिक सेगमेंट है।

## (ग) प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

10 ग्राहकों से राजस्व लक्षित समूहों के लिए आय सृजित करने वाली परियोजना के परोक्ष वित्त पोषण नामक प्रचालन से उत्पन्न कंपनी के कुल राजस्व के लगभग रु.3,504.00 लाख अर्थात् 58.55% (गत वर्ष रु.4,104.00 लाख अर्थात् 59.7%) का प्रतिनिधित्व करता है।

46 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए और चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों से तुलना कर पाने के लिए पुनः एकीकृत किया गया है।

47 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 24 मार्च, 2021 की अपनी अधिसूचना के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। प्रबंधन समिति का मानना है कि चूंकि परिवर्तन दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से लागू हैं अतः ये दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू होते हैं और दिनांक 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाले लेखांकन वर्षों के संबंध में जारी वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं। इसलिए, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर विचार नहीं किया गया है।

## 48 वित्तीय विवरण का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 29.07.2021 को मंजूरी दे दी गई थी।

## वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

8-ई, हंसालय, 15 बाराखंबा रोड,  
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110 001  
फोन: +91-11-23319596, 23352449  
+91-11-23323045  
ई-मेल: vst@sahaitripathi-com

### स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  
के सदस्यगणों को

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 के तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ और हानि का विवरण और उस समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी योग्य राय पैरा और विषय का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर उक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुसार आवश्यक सूचना को अपेक्षित रूप से दर्शाते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित ("इंड एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा-133 के अधीन तथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों का निर्धारित भारतीय लेखा मानक तथा भारत में स्वीकृत अन्य सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और कुल व्यापक आय और ईक्विटी में परिवर्तन का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

1. कंपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए संवितरण के मामले में यह आवश्यक है कि संवितरण की तारीख से 120 दिन के अंदर एससीए एवं सीए द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, समग्र संवितरण के मामले में सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों से तिमाही आधार पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होते हैं। तथापि, अनेक मामलों में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण:

- (क) दिनांक 31 मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार, रु.62,080.23 लाख का ऋण बकाया है जिसका कोई उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं (कृपया टिप्पणी सं.39.3 का संदर्भ लें)।

(ख) कंपनी **टिप्पणी सं.19.1** के अनुसार गणना किए गए ऋणों की अप्रयुक्त राशि की वापसी पर ब्याज का निर्धारण करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से धन वापसी पर ब्याज आय की मान्यता सही नहीं है।

हम अपेक्षित सूचना के अभाव में उपरोक्त दी गई राशि की गणना करने में असमर्थ हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए 'लेखापरीक्षक का दायित्व' के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमावलियों के अधीन भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र कंपनी है, तथा हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हैं।

### विषय का प्रभाव

1. दिनांक 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को महामारी के रूप में घोषित किया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय के रूप में दिनांक 24 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020 के माध्यम से देश की संपूर्ण आबादी की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया। इस प्रकोप से मानव जीवन की जो क्षति हुई है उसके अलावा इसने सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय संरचना को भी बाधित किया है जिसकी वजह से वैश्विक एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में काफी कमी आ गई है।

तथापि, कंपनी के प्रचालन बाधित नहीं हुए हैं। इस असाधारण स्थिति की वास्तविकता और गतिशील परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी निश्चितता के साथ अपने प्रचालनों पर भावी प्रभाव का अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं है। कंपनी भावी आर्थिक स्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की ध्यान से निगरानी करना जारी रखेगी और भविष्य में कंपनी के व्यवसाय पर प्रभाव कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समग्र स्थितियों पर निर्भर होगा जिनका इस समय विश्वसनीय ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

कंपनी व्यवसाय के बदलते परिवेश को अपनाने के लिए आशावान है तथा यह अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने में किसी बड़ी चुनौती का अनुमान नहीं लगाती है। अतः कंपनी यह विश्वास करती है कि कंपनी को क्रियाशील संस्था के रूप में बनाए रखने तथा अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए अप्रभावित होगी। **(टिप्पणी संख्या 44 देखें)**

2. वर्ष के दौरान, कंपनी ने बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) से संदिग्ध अतिदेय धनराशियों के संबंध में रु.55.09 लाख की ब्याज आय बुक की है। **टिप्पणी सं. 6.1 (ड)** के अनुसार, उक्त दिए गए ऋण के लिए कंपनी के पास कोई गारंटी नहीं है लेकिन उसके बदले में सरकारी आश्वासन है। जिसका रु.55.09 लाख की सीमा तक, प्रचालनों से राजस्व (आय) की अत्युक्तिपूर्ण कथन का प्रभाव पड़ा है। तथापि, इतनी ही धनराशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के सृजन के कारण कुछ सीमा तक व्यय से अधिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

3. यह अवलोकन किया गया है कि अनेक एससीए ने भुगतानों में चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित रु.140.47 करोड़ तक की राशि का तीन वर्ष से अधिक का अतिदेय हो गया है। हालांकि, ये ऋण राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा सुरक्षित हैं, परंतु ये गारंटियां कभी भी भुनाई नहीं गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हो गई हैं।

4. कंपनी द्वारा सरकारी आश्वासन प्राप्त रु.1,985.47 लाख की ऋण राशि के संबंध में **टिप्पणी सं. 6.1(घ)** की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जोकि सरकारी विलेख/आदेश के अनुरूप नहीं है। हालांकि, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से विवादित मामलों में लागू किया जा सकता है। प्रबंध समिति की दृष्टि में, कंपनी उन मामलों में पर्याप्त रूप से कवर की गई है जहां बकाया ऋण राशि के लिए सरकारी गारंटी दी जाती है।
5. एससीए गारंटी प्रकटीकरण के संबंध में **टिप्पणी सं. 6.1(ग)** की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कंपनी ने दिनांक 10.04.2001 को नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन ("पूर्व संस्था") के पास उपलब्ध सरकारी गारंटी को कंपनी (एनएसएफडीसी) और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन ("एनएसटीएफडीसी") के बीच सहमत अनुपात में विभाजित किया है। जैसा कि उपर्युक्त टिप्पणी में वर्णित है, यह विभिन्न पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया था तथा परिणामस्वरूप राज्य सरकार की गारंटी अभी भी पूर्व संस्था के नाम पर है, न कि कंपनी के नाम पर।
6. टिप्पणी सं. 25.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें दिनांक 25 मार्च, 2021 को हुई बोर्ड बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के बाद वित्तीय वर्ष 2020–21 में आर्यावर्त बैंक के रु.199.88 लाख के दंडात्मक ब्याज माफी को खर्च के रूप में दर्ज किया गया था।
7. हम ऋण एवं अग्रिम, ऋणदाता आदि के संबंध में शेष पुष्टि की व्यवस्था करने के लिए कंपनी के उत्तरदायित्व की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। कुछ एससीए, पीएसबी/आरआरबी, एनबीएफसी – एमएफआई और ऋणदाता के मामले में शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इंड एस के वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई है, अनिश्चित है।
8. **टिप्पणी सं.17** की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कंपनी के पास सरकारी अनुदानों के लिए रु.4,900.15 लाख तथा अप्रयुक्त अनुदान देयता के लिए अन्य पीएसयू से अनुदान के लिए रु.31.45 लाख का अंत शेष है जिसे वित्तीय विवरणों में 'अन्य वित्तीय देयता' के रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी ने रु.436.13 लाख का व्यय किया है जिसकी तुलना में एक वर्ष से अधिक के लिए अनुदान प्राप्ति योग्य है (**कृपया टिप्पणी सं.11 देखें**)। इसके अलावा, अनुदान के लिए सॉफ्टवेयर में लेखांकन एकल लेखांकन की बजाय संचयी आधार पर किया जाता है, लेकिन विभाजन मैन्युअल रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं।
9. एनएससीएफडीसी की ऋण नीति में चुकौती की निर्धारित/सहमत तिथि के बाद देयों के चूक भुगतान पर नकद हानि (ब्याज सहित मूलधन) के लिए देय राशि पर लागू सामान्य ब्याज दर से प्रतिवर्ष 2% की दर से अधिक का प्रावधान है। चूक भुगतानों पर नकद हानि (एलडीडीपी) को इसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण प्राप्ति पर मान्यता प्राप्त है। हालांकि, यह देखा गया है कि वित्त वर्ष 2020–2021 में एलडीडीपी के लिए एससीए को मांग जारी की गई है।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में योग्य/संशोधित नहीं है।

### वित्तीय विवरणों और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारियाँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारियों में वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी शामिल है लेकिन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर आश्वासनात्मक निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व, अन्य जानकारी को पढ़ना और, ऐसा करने में विचार करें क्या वित्तीय विवरणों की अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान अथवा अन्यथा वस्तुतः गलत प्रतीत तो नहीं होते हैं।

यदि हमारे निष्पादित कार्यों के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री मिथ्या वर्णन है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

### प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व और वित्तीय विवरणों के नियमन (गवर्नेंस) करने वालों के दायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित लेखा मानकों और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के साथ पठित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) की धारा-133 के अधीन विनिर्धारित के अनुसार कंपनी वित्तीय कार्य-निष्पादन, कंपनी की इक्विटी और इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकद प्रवाहों सहित वित्तीय स्थितियों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथा लागू प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था के आधार पर करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी होगा जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

### वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा इस बारे में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे एकल अथवा समग्र रूप से इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखा मानकों सहित लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम:

- भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील

लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्त्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा-143(3)(i) के अंतर्गत हम कंपनी में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण की सक्रिय प्रभावकारिता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधतंत्र द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्त्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो कंपनी की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्त्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करें, अथवा, ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। हालांकि भावी घटनाएं अथवा स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कंपनी कार्यशील कंपनी के रूप में अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

भौतिकता भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है, जो अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों के मूल्यांकन में और (ii) भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में कोई भी पहचान की गई गलतबयानी विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक, भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों के साथ अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं।

हम शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों को उन विवरणों को उपलब्ध कराते हैं जिनका हमने संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता अनुकूल उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा उपाय, के बारे में संवाद करते हैं।

### अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") में अपेक्षित अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 की उप धारा (11) के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के कंपनी पर लागू नहीं होता। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक नहीं दिया गया है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के जरिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथापेक्षित, प्रबंधन से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर हम संलग्न **“अनुलग्नक क”** में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :
  - (क) योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने वे सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
  - (ख) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियों रखीं हैं जो नियमानुसार आवश्यक है।
  - (ग) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, आय और व्यय विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं;
  - (घ) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, उक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 और संशोधित कंपनी नियम (भारतीय लेखा मानक), 2015 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;
  - (ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-164 की उप-धारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती;
  - (च) हमारी राय में, उपर्युक्त योग्य राय के पैरा में वर्णित मामले से कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है;
  - (छ) योग्यता और अन्य पर्यवेक्षण के अनुसार खातों के रखरखाव और इसके साथ जुड़े अन्य मामले से संबंधित उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव पैरा अनुसार है;
  - (ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इस रिपोर्ट का **“अनुलग्नक ख”** देखें;
  - (झ) अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित, की आवश्यकता अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
  - (ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- (i) कंपनी ने अपने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव को प्रकट किया है।
- (ii) कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि थी;
- (iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जहाँ कंपनी द्वारा राशि को निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किए जाना आवश्यक थे।

वी सहाय त्रिपाठी एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 000262एन

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 29.07.2021

ह.  
विश्वास त्रिपाठी  
साझेदार  
सदस्यता सं. 086897  
यूडीआईएन: 20086897एएएबीए1248

“अनुलग्नक-क”**नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट**

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के हमारे उत्तर निम्नांकित हैं:

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन को प्रक्रमित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखा की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देन के प्रक्रमण के निहितार्थ, यदि कोई है, का उल्लेख करें।	कंपनी का वित्तीय लेखांकन टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। तथापि, कंपनी का ऋण लेखांकन मैनुअल लेजर पर किया जाता है। जैसा कि प्रबंध समिति ने स्पष्ट किया है कि मैनुअल लेजर को टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ सामंजस्य (मिलान) किया जाता है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है। ऋण लेखांकन का आईटी प्रणाली रहित प्रक्रमण से लेखा की प्रामाणिकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और अतएव इसका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।
2	क्या ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के मौजूदा ऋण या माफी/बट्टे-खाते में डालने को पुनर्गठित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऋणों के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के किसी मौजूदा ऋणों या माफी/बट्टे-खाते में डालने को पुनर्गठित नहीं किया गया।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/इसके नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया? व्यतिक्रम मामलों को सूचित करें।	उपर्युक्त योग्य राय तथा मामले का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/उपयोग रखा/किया जाता है।

वी सहाय त्रिपाठी एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 000262एन

ह.  
विश्वास त्रिपाठी  
साझेदार  
सदस्यता सं. 086897  
यूडीआईएन: 20086897एएएएबीए1248

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 29.07.2021

## नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा-143 की उप-धारा 3 के खंड(i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (‘कंपनी’) के दिनांक 31 मार्च, 2021 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण के दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

### लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी (‘दशानिर्देश टिप्पणी’) के अनुसार की है। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू हैं तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जाँच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

### वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं:

- (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन का आवश्यकतानुसार रिकार्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

### वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रेक्षपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

### राय

हमारी राय में, नीचे खंड 1 से 3 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

1. कंपनी के आकार और इसके प्रचालनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एससीए और सीए को संस्वीकृत एवं वितरित निधियों के अंतिम प्रयोग का सत्यापन करने के लिए प्रबंधन द्वारा अभिकल्पित आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणालियां तर्कसंगत रूप से पर्याप्त नहीं हैं। प्रबंधन से कंपनी के आकार और इसके प्रचालनों की प्रकृति के अनुपात में प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को निधियाँ जारी

करने के लिए केवल एससीए जिम्मेदार हैं। कंपनी को ऐसी कोई लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को समुचित रूप से निधियों का संवितरण किया जा रहा है।

2. कंपनी, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। तथापि, 31 मार्च, 2021 को रु.62,080.23 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं। यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।
3. हमारी योग्य राय के खंड 1 व 2 में और अन्य मामले के खंड 6 में संदर्भित मामले आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी के हैं। इस संबंध में कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी और उसे सुदृढ़ करना चाहिए।

वी सहाय त्रिपाठी एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 000262एन

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 29.07.2021

ह.  
विश्वास त्रिपाठी  
साझेदार  
सदस्यता सं. 086897  
यूडीआईएन: 20086897एएएबीए1248

## वार्षिक लेखा 2020–21 पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर

पैरा सं.	लेखापरीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
1	कंपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए संवितरण के मामले में यह आवश्यक है कि संवितरण की तारीख से 120 दिन के अंदर एससीए एवं सीए द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, समग्र संवितरण के मामले में सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों से तिमाही आधार पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होते हैं। तथापि, अनेक मामलों में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण:	<p>एनएसएफडीसी पूरे भारत में अपनी चैनलाइजिंग एजेंसियों के एक नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं को लागू करता है। निधियों के संवितरण संबंधी मानदंडों में से एक के अनुसार निधियों का न्यूनतम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए।</p> <p>एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, संवितरित की गई निधियों का उपयोग राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा संवितरण की तारीख से 120 दिनों के अंदर किया जाना है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग एक सतत प्रक्रिया है और कभी-कभी यह अगले वित्तीय वर्ष तक भी चली जाती है।</p> <p>अनुमत्य अवधि की समाप्ति अर्थात् 120 दिन के बाद, संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ इस मामले का अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, चैनल वित्त प्रणाली में, 15–20% निधियाँ पाइपलाइन में रहना एक सामान्य बात है इसलिए नए संवितरण पर विचार करने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को इस सीमा तक छूट भी दी जाती है।</p>
क.	दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी से रु.62,080.23 लाख के बकाया ऋण पर कोई उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है (कृपया नोट 39.3 का संदर्भ लें)।	वर्तमान में, दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार, निधि का उपयोग 87.37% (पिछले वर्ष 85.31%) है। इसलिए, रु.62,080.23 लाख (पिछले वर्ष रु.75,848.69 लाख) का लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र केवल 12.65% (पिछले वर्ष 14.69%) तक ही सीमित है।
ख.	कंपनी टिप्पणी सं.19.1 के अनुसार, कंपनी गणना किए गए ऋणों की अप्रयुक्त राशि की वापसी पर ब्याज का निर्धारण करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से वापसी पर ब्याज आय की मान्यता सही नहीं है।	ऋण नीति के अनुसार, 120 दिनों से अधिक अप्रयुक्त निधि और लौटाई गई निधियों की वापसी पर ब्याज लगाया जाता है। इसके अलावा, अप्रयुक्त निधि की वापसी की प्राप्ति की स्थिति में वापसी पर ब्याज प्रभारित किया जाता है। अतएव जब उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो ऋण की अप्रयुक्त राशि की वापसी पर ब्याज की गणना की जाती है और ब्याज प्रभारित किया जाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वापसी पर ब्याज की मान्यता स्वीकृत ऋण नीति के अनुसार है और इसे सही दिखाया गया है।



कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)  
Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110 002  
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

No.: AMG-2/4-16/PSU/NSFDC/2021-22/

Dated: 23.11.2021

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक  
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम  
14वीं मंज़िल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2,  
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,  
लक्ष्मी नगर,  
दिल्ली - 110092

विषय: भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीया,

निदेशक (ए.एम.जी.-2)

परिशिष्ट 'ग'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 18.2 देखें)

## नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा-139(5) के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा-143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा-143 के अधीन वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी दिनांक 29 जुलाई, 2021 के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ, माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा-143(6)(क) के अधीन नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, के दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षण स्वतंत्र ढंग से वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बिना किया गया है तथा यह प्राथमिकतः वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशेष नहीं आया है जिससे वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक  
तथा उनकी ओर से

ह.

(अशोक सिन्हा)

प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा

(स्वास्थ्य, कल्याण और ग्रामीण विकास)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23.11.2021

## कार्यालयों का पता

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)

### पंजीकृत कार्यालय

14<sup>वां</sup> तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार,  
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली – 110 092  
फोन : 011–22054391, 22054392, 22054396 फैक्स : 011–22054395  
ई-मेल : support-nsfdc@nic-in वेबसाइट : www.nsfdc.nic.in

### एनएसएफडीसी – संपर्क केंद्र

1.	डॉ. के. सी. महतो उप महाप्रबंधक एनएसएफडीसी संपर्क केंद्र 5वीं मंजिल, हुडको बिल्डिंग 15-एन नेल्लयी सेनगुप्ता सारनी, नया बाजार, फेज-I, कोलकाता – 700 087 दूरभाष: 033–22521395 मोबाइल: 09810448741
2.	डॉ. वी. आर. सालकुटे, मुख्य प्रबंधक, एनएसएफडीसी संपर्क केंद्र सं. 1, 3रा क्रॉस रोड, 15वीं मेन, मथिकेरे (सुब्बैया अस्पताल के पास) बैंगलूरु – 560 054 दूरभाष: 80–23465175 मोबाइल: 09845871561
3.	डॉ. वी. आर. सालकुटे, एनएसएफडीसी संपर्क केंद्र ओशिवारा म्हाडा कॉम्प्लैक्स बिल्डिंग नं. 5, प्लैट नं.004 आदर्श नगर न्यू लिंक रोड, आजाद नगर डाकघर, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई – 400 053 दूरभाष: 22–26361624 मोबाइल: 09987318885